THE SICK INDUSTRIAL COMPANIES (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI DALBIR SINGH: Madam, I introduce the Bill.

THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES BILL 1992

THE DEPUTY CHAIRMAN: We now take up the National Commission for Minorities Bill, 1992. Shri Sitaram Kesri.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : मैं इसके इन्ट्रोडक्शन पर कुछ कहना चाहता हूं।

उपसभापति : अभी आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। कितनी देर से केसरी जी बैठे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस बिल के विरोध में मेरे तीन बिन्दु हैं। पहला यह कि यह संविधान की धाराओं की भावनाओं के विरुद्ध है। दूसरा यह विभक्तकारी है और तीसरा यह डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है।

उपसभापति : लेकिन यह तो पास होने आया है। यह लोकसभा में पास हो गया है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह हमारा अधिकार है।

उपसभापति : आप भाषण करिए। यहां तो कंसीडरेशन हो रहा है, इन्ट्रोडक्शन नहीं है। इन्ट्रोडक्शन तो दूसरे बिल का था। माथुर साहब मैं आपसे अर्ज करूं... (व्यवधान)...

Let me explain the technical point.

मैंने जो बिल इन्ट्रोड्यूज कराया था वह दलवीर सिंह जी का बिल था। अब यह केसरी जी का बिल है। यह इन्ट्रोड्यूज नहीं हो रहा है, यह कंसीडरेशन के लिये आया है। लोकसभा ने इसे पास कर दिया है। इसलिये इसको यहां पास करना ही है और इस पर आपको बोलना ही है। आप इस पर जरूर बोलना।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरा अधिकार है। इसको यहां पर डिसकशन न किया जाय, इसको वापस किया जाय। यह मेरा अधिकार है।

उपसभापति : आप जरूर बोलिये जब आपका बोलने का समय आये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अभी है बोलने का समय।

उपसभापति : अभी मंत्री जी का है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : क्या आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ है?

श्री प्रमोद महाजन : आप हिन्दुओं के खिलाफ है। ... (व्यवधान)...

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब, शायद आपने सुना नहीं। माथुर साहब, जरा कृपया एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। मैं यही अर्ज करना चाह रही हूं कि there is some confusion. This Bill is not for introduction now. This Bill has come up for consideration now. The Bill which I had allowed to be introduced was Mr. Dalbir Singh's Bill. There is some confusion. This Bill is for consideration. There is no provision for any Member to speak at this stage. The Minister has to move the Bill first

1.00 P.M. Then, you can speak against the Bill, at that point of time. Not now. No, no, you cannot do it now.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: No, Madam, I beg to differ.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सदन का समय बरबाद कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : आप हिन्दुओं के खिलाफ हैं **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं पहली रीडिंग पर इसका विरोध करूंगा ।

उपसभापति : पहली रीडिंग पर कुछ नहीं है । मंत्री जो बोल रहे हैं **(व्यवधान)** आप इतना बुलवाते हैं कि मुझे खांसी हो गई **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, मुझे बताइए ।

उपसभापति : बोलिए मंत्री जी । यह टेक्नीकली गलत बोल रहे हैं । इनको मालूम नहीं है **(व्यवधान)**

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, मेरा सबमिशन यह है **(व्यवधान)**

उपसभापति : माथुर साहब, आपने जो चिट्ठी लिखी है वह भी गलत है **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप मेरी बात को सुन लीजिए ।

उपसभापति : आपने चिट्ठी गलत लिखी है ।

Shall I read it out for the House? Let me read out the letter which he has written. It says:

"I would like to oppose the National Commission for Minorities Bill, 1992, at the introduction stage."

Now, this is not the introduction stage, this is the consideration stage. How can I stop it?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, मेरी बात आप सुन लीजिए । **(व्यवधान)**

उपसभापति : मैं आपको कैसे बोलने दूं । माथुर साहब आपका जो समय बोलने का आएगा आपको पूरा बोलने की अनुमति दूंगी । इस समय आप उनको बोलने दीजिए । । आपका जो समय पार्टी का आएगा, मैं आपको बोलने दूंगी ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरी पार्टी का सवाल नहीं है **(व्यवधान)**

उपसभापति : बोलिए मंत्री जी । वह समझना ही नहीं चाह रहे हैं टैक्नीकल बात, मैं कैसे समझाऊं **(व्यवधान)** जो रूल्ज रेगुलेशनस हैं वह कैसे समझाऊं **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में यह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए ।

महोदया, 1991 के आम चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण वचनबद्धता यह थी कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाएगा ताकि इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके ।

जुलाई, 1991 को राष्ट्रपति महोदय ने भी संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में इस वचनबद्धता से को दोहराया था ।

हाल ही में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री द्वारा भी यह आश्वासन दिया गया कि इस प्रयोजन

[श्री सीताराम केसरी]

के लिए एक विधेयक चालू बजट अधिवेशन में ही पेश कर दिया जाएगा।

तदनुसार 4 मई, 1992 को इस आशय का एक विधेयक मैंने लोक सभा में पेश किया जो उस सदन ने 12–5–1992 को पास किया।

मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों में यह विश्वास पैदा करने के लिए है कि संविधान में उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय पूरी तरह कार्यान्वित किए जाएं।

सांविधिक दर्जे से युक्त अल्पसंख्यक आयोग को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा मंत्रालयों/विभागों एवं केंद्रीय सरकार के अन्य संगठनों में व्यवहार में और अधिक महत्व व अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

अपने कार्यों के सम्पादन के लिए इस विधेयक में किसी व्यक्ति को सम्मन करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति के संबंध में आयोग को एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

इस आयोग का मुख्य कार्य संविधान में तथा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिनियमों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कार्यकरण को अनुश्रवण करना होगा।

यह आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से उन्हें वंचित रखने से संबंधित किसी निश्चित शिकायत की भी जांच करेगा।

इसके अतिरिक्त यह अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करेगा ताकि कमियों को दूर करने के लिए समुचित उपायों के बारे में विचार किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक के प्रावधानों पर विचार करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

The question was proposed.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, I rise to support this Bill and to compliment the Minister Shri Sitaram Kesri, and the Government for bringing it forward. The spring and sanction for this Bill are to be found in articles 29 and 30 of our Constitution. Article 29 gives to minorities the right to conserve their culture. Article 30 gives minorities the right to establish their schools and prohibits the State from discriminating against minorities. According to figures available, Muslims are 11.3 per cent of the Indian population, Christians 2.6 per cent, Sikhs 1.9 per cent, Buddhists 0.7 per cent, Jains 0.47 per cent and Hindus 83 per cent.

The present Minority Commission, created by a 1978 Resolution of the Government of India, suffers from three weaknesses: (1) It has no weight. It cannot record evidence. (2) It has no teeth, It cannot enforce action on it findings. (3) It makes no sound. Its reports are not discussed in Parliament. The need to make the Minority Commission effective rather than decorative is obvious. Hence this legislation and hence my welcome to it.

But the new legislation has weaknesses. The SCST Commission set up following the 65th amendment of the Constitution piloted by our Government, which received the Presidential assent on 7-6-1990, empowers the SC ST Commission, under 5 (c), to participate and advise in the planning process of socio-economic development of SCs and STs. The National Commission on Women Act, 1990, also initiated by

our Government, which received the Presidential assent on August 30, 1990, similary empowers the Women's Commission to participate and advise on the planning process of socio-economic development of women. The present Bill that you have introduced, Mr. Minister, does not give corresponding powers to the Minority Commission. Hence the amendments that I have moved, which have been circulated.

The BJP is opposed to this Bill. It is not only opposed to this Bill but it is also opposed to the toothless Minority Commission which their leaders themselves joined in sponsoring in 1978. But, does the BJP stop here? Does it stop only with opposing this new Bill, does it stop only with opposing the Minority Commission that its leaders helped sponsor in 1978, or does it go even beyond that? On April 18 and 19 the Vishwa Hindu Parishad organized a conference in Madurai, of 300 advocates. This conference, Madam Deputy Chairman, demanded the removal of articles 29 and 30 from the Constitution. I ask, let the BJP declare whether it is merely opposed to this Bill or whether, like the VHP, it also wants removal of articles 29 and 30. I ask the BJP to declare whether it is only opposed to what it is pleased to call pseudo-secularism, or whether it is opposed to secularism itself.

Madam Deputy Chairman, we are told that the minority community is always being pampered. 1.5 per cent jobs in the Government all over the country for a community that is 11.3 per cent of the population, and we are told the minority community is being pampered! We are also told that the Janata Dal, the Left parties and the Congress Party only want to appeal to vote banks! Do your arithmetic. The minorities, altogether, are less than 17 per cent and we are told that the Left parties, the Congress Party, the Janata Dal and the National Front, all, are competing for this 17 per cent of the Indian voting public. They feel that we are afflicted with a complete death wish, all of us competing to divide only the 17 per cent vote. They, of course, don't want to appeal to any vote bank! And yet, more than two-thirds of the country, including the vast majority of the Hindu population, votes for the parties over there or the parties over here, but not for the BJP! We appeal not to vote banks: we appeal to the sense of justice and the sense of confidence in the great Hindu community of India.

Madam Deputy Chairman, I also ask this of the BJP: You say you are not for the Minorities Commission, but what is your alternative plan for the minorities what is your alternative plan superior to the plan articulated in the Minorities Commission?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Let us come in Government. We will tell you.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI: Madam Deputy Chairman, I will give you some specific examples. The Shahdan Education Society., Hyderabad, running eight or ten educational institutions, three years ago collected Rs. 4.5 crores and deposited it to set up an engineering college, but permission is not yet granted. Haji Hasan wants to create a polytechnic in Calicut. He has already spent Rs. 25 lakhs. No recongnition.

To the Urdu language ritual statements about its importance are always offered: to schools that could prepare Urdu teachers, no recognition. In our opinion these are the very points that the Minorities Commission has to deal with.

Madam Deputy Chairman, in our own Parliament, it was agreed that speeches should be translated into Urdu, but as of now not one Urdu Interpreter has been employed even the proceedings of this House.

These are practical examples which can be multiplied. Injustice does exist. Hence the need for something like the Minorities Commission,

[Shri Raj Mohan Gandhi]

Madam Deputy Chairman, Sardar Vallabhbhai Patel said in the Constituent Assembly:

> "In the long run it will be in the interest of all to forget that there is anything like a majority or a minority in this country. There is only one community."

Ambedkar said on 26th November, 1948:

> "It is wrong for the majority to deny the existence of the minorities, but it is equally wrong for the minorities to perpetuate themselves. Majorities and minorities will some day become one."

The question is: Who will decide that the long run that Sardar Patel spoke of has arrived? Who will decide that today is that some day that Dr. Ambedkar spoke of? Will those who are not SCs and STs decide that the time has come to do away with the reservations for the SCs and the STs? Will men decide that the time has come to do away with the protection for women? Will those who are not the minorities, decide that the time has come to do away with Articles 29 and 30? Do you want social harmony with self-respect? Or do you want an image of harmony under domination? That is the question I put to the BJP.

Madam Deputy Chairman, having said this, I say to everybody, to the minorities and to the majority: This is no time for confrontation. This is the time for coming together. I say this with equal conviction to everybody including people in my own party. The world today, according to some, is shifting from a conflict of ideologies, communism versus capitalism, to a conflict between religions. In Europe they speak of Islam versus Christianity. Are we to accept that? Or are we to demonstrate in India an understanding and genuine harmony, the true religious spirit which will enable Hindus to fight the weaknesses in Hindu society, Muslims to fight the weaknesses in Muslim society, Sikhs to fight weaknesses in Sikh society? That is the true religious spirit we need.

Madam Deputy Chairman, with these words, I once again welcome this Bill and urge the Government to consider the amendments that I have moved.

Thank you.

उपसभापति: बिशम्भर नाथ पांड़े जी, अगर आप आगे से बोलना चाहें, तो वहां से बोल दीजिए क्योंकि वहां आपके नजदीक माईक नहीं है।

SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE (Nominated): Madam Deputy Chairman, I rise to support the National Commission for Minorities Bill, 1992 introduced by Shri Sitaram Kesriji. I am happy that the hon. Member, Shri Raj Mohan Gandhi has gone into the details of the various sections of our Constitution and put forth his point very ably.

I would like to go a little further. When Mr. Morarji Desai was the Deputy Prime Minister, he met the members of the Standing Committee of the All India Newspaper Editors' Conference in Delhi, and the communal problem came up for discussion with special reference to the Criminal and Election Laws Amendment Bill, then on the legislative anvil. The proposed legislation aimed at strengthening the hands of the authorities in dealing with communal writings, communal speeches and communal exhortation of the objectionable sort.

Section 153(A) of the Criminal Procedure Code already provides for deterrent action in such matters. The proposed Bill sought to amend Section 153(A) on the following lines: whoever (a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity or hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, or (b) commits any act which is prejudicial to

[Shri Bishambhar Nath Pande]

the maintenance of harmony between religious, racial, language or regional groups, or castes, or communities, and which disturbs or is likely to disturb public transquility shall be published with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

During the debate it was pointed out that there was difficulty in the execution of section 153(A). Off and on its sections are violated and nothing comes out of it. The court takes a long time and does not come to any decision. Therefore, this Bill which Shri Sitaram Kesriji has introduced is very timely and it will certainly satisfy the minorities concerned.

Shri Morarji Desai was a soul of candour while discussing the Bill and the communal issue. It was his considered opinion, as a seasoned administrator, that basically the whole problem is administrative. Given a strong administration and impartial and fearless administrators, communal outbreaks could be controlled in no time. The responsibility, in his opinion, should be fixed where it belongs. Top administrators, dealing with the law and order situation should have a strong nerve and they should wield sufficient authority, both among their subordinates and the general public, to put down ruthlessly all anti-social elements.

I do hope that the National Commission for Minorities Bill will act according to the advice given by the then Deputy Prime Minister, Shri Morarji Desai.

Madam, communal tension has unfortunately increased rather than decreased in the recent past. The members of the minority community tend to view communal riots as their own exclusive problem, since their suffering is manifest. When their lives and property are liable to be endangered or destroyed any moment at the slightest pretext, or when they realise that law and order in their town is to precariously dependent upon baseless rumours readily and uncritically accepted by their neighbours or townsmen, they are understandably compelled to devise ways and means of protecting themselves. The rise or revival of some exclusively Muslim organisations in the country is thus an understandable response.

Unfortunately things do not stop at this point. The active functioning of exclusive organisations tends to foster the spirit of separation and inter-group suspicions among the different sections of our people. Thus though the Muslims have been proved to be the aggrieved party in the vast majority of the cases of recent communal riots, these exclusive organisations have not been able to achieve their objectives. These organisations and those who are under the influence tend to look upon the loss of life or property of Indian Muslims as the loss of Muslims. money for helping the unfortunate 'Muslims' victims of 'Hindu' violence. Unfortunately even many Hindus adopt this perspective. They tend to ignore the fact that the Muslim victim is after all an Indian citizen, and that the loss of life or property of Indian citizens is ultimately the concern of the Indian people, rather than of any particular group. What befalls one Indian today may conceivably befall another Indian tomorrow. What happened in Banaras? What happened in Bhagalpur? The whole silk industry was destroyed. Whose loss was it? The loss was of the country and not of the particular community.

The members of the majority community have also so far not been able to realise the subtle damage done to their own interests by repeated outbreaks of communal violnce in different parts of the country. Violations of law and order weaken the sinews and tissues of democracy, irrespective of the group which is the victim of violence. Like an infectious disease or a raging fire, the cult of violence tends to spread out becoming the habitnal response of our people as a whole Indeed this is what has actually been happening during the past decade

Religion is an important, perhaps the foremost, component element of national integration. In the past, religion played an important role in effecting cultural

[Shri Bishambhar Nath Pande]

unity and integration of the people. But then the main appeal in religion was to emotion and to unquestioned faith. The appeal in religion should now be transferred to an intellectual plane. There should be more of study, discussion and seminars on the religions practised in the country. Thus an intellectual climate can be created in the country to develop a rational, synthetic concept of religion based on the best element of all the religions followed in the country. This would enable us to carve out a national programme of religious education which can then be introduced in schools and colleges on a compulsory basis.

The second important component element of the rational synthesis of integration is to develop the structure and system of education in such a way that a kind of social cohesion through the development and strengthening of group sentiments, group morale, cooperative attitude in individuals and a value system based on service and sacrifice is built up into the behaviour patterns and woven into the very fabric of the personality makeup of the student community. The youth is going to be our main hope in social and national integration.

he National Commission, that is being appointed, should also look not only to the individual cases and redress their grievances, but should also go deeply into the matter and arrange and create such an atmosphere so that people may consider that this is the right way and a right perspective for a national conscience.

The old values which used to hold different sectors and segments of the society together have been fast disapprering. It is, therefore, necessary to develop a new sense of social responsibility, new social values. Programmes of equality of educational opportunity, personal management and staff-welfare, human relations in administration, development of rural communities, social camps and programmes of community living are measures to preevnt the process of social disorganisation from further deterioration. These measures are to be placed on a rational basis and freed from all attached strings.

A crucial component element of the concept of rational synthesis lies in the large-scale use of science-based technology. We have in this country people who profess different religions, speak different languages, belong to different race groups. It is precisely in such a condition that democracy meets its greatest challenges, as has happened in the Panchayati Raj and in respect of rural integration; but it can also make its most significant contributions. If democratic trends are built into our national life on a rational basis, and if democratic values are practised with intelligent understanding, it will help in softening the impact of division into social, economic and cultural groups. The practice of democracy on a rational basis can convert the difference of language, cultural pattern, religion, etc. into the warp and woof of a very rich and rewarding integrated social and cultural life. The problem of national integration is essentially one of harmonizing such differences.

The task of rational synthesis of various component elements of social and national integration and weaving them into the fabric of national life is no doubt difficult. But the challenge in its has to be faced squarely and with firm determination. It is through creating an intellectual climate, and eschewing emotionalism and sentimentality that we can hope to achieve social national integration.

Moreover, the economic, industrial and diplomatic set-backs to the country as a whole during the past years should sound a further note of warning to such pseudo patriots who seem to think that patriotism and nationalism are the monopoly of a chosen section of the countrymen. The long-term interests of the majority community itself thus demand the creation of a secular machinery for the effective redress of the genuine grievances of the Muslim segment of the Indian people. Not only Muslims, but also the Christian segment of the Indian people. A

joint body of Indian citizens of different sections motivated by a sense of justice and fair-play to all, rather than by the spirit of a partisan advocacy should prove far more effective than sectional bodies.

Madam, in Orissa, many Adivasis have embraced Christianity. They had constructed their shelters. The section which professes Hinduism, in a militant sense, burnt their shelters and asked the Christian population to beleave Chiristianity and again embrace Hinduism. They are being threatened. They are being harassed. This has to be checked. I hope the National Commission for Minorities will look into all these grievances. There are hundreds of indivdual grievances which I do not want to mention at this juncture. But they should be brought before the National Commission for Minorities and have to be gone into and justice should be done to them. Madam, I have been devoting my life to this communal harmony issue. For the last 50 years, I have been busy preaching, in the nooks and corners of India, the masses, communal harmony, Indian culture and Indian civilisation.

Madam, I am an old man. I cannot speak more although I have a lot of points to make before Shri Sitaram Kesri. But I will bring them before him later on. Now, I would like to end my speech with one quotation from Maulana Room who has said:

"तू बराये वस्त्र करदम आमदनी
नै बराये फसल करदन आमिदनी"

We have sent you into this world for uniting the people, not for creating differences among them. That was the motto which was given by that great Sufi and let us adopt that motto and appeal to everyone to help the National Commission for Minorities in solving and easing the problem of disharmony. I do hope this message will send a right signal. There may be some lacunae. As Shri Raj Mohan Gandhi said, there are some lacunae in the provisions of the National Commission for Minorities Bill, 1992, but those provsions can be amended by experience. So give enough time and scope to act and if you find that there are lacunae, those lacunae may be brought before Parliament because the report of the Commission will be placed before Parliament for discussion and if we find that, we should attend to those lacunae and remove them. There will be time to amend the same. Madam, I thank you very much for giving me this opportunity to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Pande Ji. Now, we have got a lot of business. Already, I have got about 20 names on this legislation. So I want to take the sense of the House. If the House. If the Members so agree, then we can dispense with the Lunch Hour. We have been doing it for the last few days. Still the Members can have lunch. *(Interruptions)*. Even for the Presiding Officer, the lunch should be there. Now, Shri Krishan Lal Sharma.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) महोदया, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1992 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर)** पीठासीन हुए]

बिल के नाम से, बिल के भाषा से,- बिल के प्रावधानों से, सैद्धांतिक रूप से मैं मानता हूं कि यह विभाजन का दस्तावेज है। व्यवहारिक रूप से मैं मानता हू कि इससे किसी का भला नहीं होगा। इससे और समस्यायें पैदा होंगी। भाषा के रूप में मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक हम इसको अल्पसंख्यक आयोग कहते थे। अब जो बिल लाया गया है इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कहा गया है, जानबूझकर। क्योंकि पीछे एक डिबेट चलती रही है, चर्चा चलती रही है कि जहां पर कश्मीर, पंजाब या और ऐसे प्रदेश हैं जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक जो माना जाता है, वह अल्पसंख्यक में है। तो वह कहां पर दस्तक देगा ?

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

अगर कश्मीर में कोई अन्याय होता है तो वहां के अल्पसंख्यक कहां जायेंगे ? पंजाब में अगर अन्याय होता है तो वहां के अल्पसंख्यक कहां जाएंगे ? यह समस्यायें उठती रही, इसलिए इसका उत्तर यह दिया गया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर होता है, प्रदेश स्तर पर नहीं होता ।

महोदय, इस समय देश के 6 प्रदेशों में बहुमत जिसको कहा जाता है कि वह अल्पसंख्यक में हैं । जम्मू-कश्मीर में 32 प्रतिशत, मिजोरम में 7 प्रतिशत, नगालैंड में 14 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 29 प्रतिशत, मेघालय में 18 प्रतिशत, पंजाब में 36 प्रतिशत, है । यह छः प्रदेशों है इन छः प्रदेशों में जो अल्पसंख्यक हैं, उनको किसी जगह कोई न्याय की मांग करने के लिए अधिकार नहीं है । मेरे मित्र राज मोहन गांधी ने कहा कि इसका अल्टरनेटिव प्लान क्या है, इसका विकल्प क्या है ? हमने यह कहा कि यह मायनोरिटी कमीशन-अल्पसंख्यक आयोग, समस्या का समाधान नहीं है ।

समस्या का अगर कोई समाधान है तो वह मानव अधिकार आयोग है जिसमें सभी लोग चाहे वह कश्मीर में हैं, पंजाब में हैं, किसी भी प्रदेश में हैं और उसमें हमारे मुसलमान भाई, ईसाई भाई, और जिनको भी आपने अल्पसंख्यक बताया है, वे लोग वहां जा सकते हैं और अपने लिए न्याय की बात कर सकते हैं । इसलिए मैंने कहा कि यह नाम देकर बडी चतुराई से छ लोगों को इस कक्षा से बाहर रखा गया है ।

महोदय, मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं क्या अधिकार है उनको यह बिल लाने का अगर यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की व्याख्या नहीं कर सकते । मैं पहले सरकार और मंत्री महोदय से यह मांग करना चाहता हूं । मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उनमें साहस है तो पहले वह यह व्याख्या करें कि इस देश में अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन कौन है, और यह बिल किसके लिए है ? यह व्याख्या नहीं की गई है । अल्पसंख्यक कौन है, यह व्याख्या नहीं की गई है और इसमें यह बताया गया है और चालाकी से यह कहा गया है कि इसका निर्धारण बाद में सरकार करेगी कि अल्पसंख्यक कौन है । इसका अर्थ यह है कि जो भी सत्ता में दल होगा वह इस बात का ध्यान रखेगा कि जो वर्ग हमें वोट देने को तैयार होगा, उसको हम अल्पसंख्यक की सूची में डाल देंगे ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बिल के साथ आप आईडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे ? क्यों पहचान नहीं कर रहे कि कौन आपकी व्याख्या में अल्पसंख्यक है, कौन नहीं है, यह हमको बताया जाए और जो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जिनको आप बहुसंख्यक कहते हैं और अगर मैं यह कहूं एक कदम आगे बढ़कर कि अगर आप हिंदू को ही बहुसंख्यक मानते हैं तो हिंदू की भी व्याख्या करनी चाहिए कि हिंदू कौन है क्योंकि आज इस पर भी विवाद है । आर्टिकल 25 में तो लिखा है कि Hindu includes Sikh, Bouddh and Jain.

आपने इसमें अल्पसंख्यक कहा है । हिंदू की व्याख्या करते हुए भी आपको बताना पडेगा कि हिंदू में से कौन-कौन हिंदू नहीं होंगे और हिंदू कोई किस पर लागू होगा' हिंदू सक्सेशन एक्ट किस पर लागू होगा ? आर्टिकल 25 में कहा जाएगा ? इसलिए मैं कहा रहा हूं कि सैद्धांतिक दृष्टि से यह बिल संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हैं। मेरे मित्र राजमोहन गांधी ने आर्टिकल 29 और 30 का जिक्र किया । उसमें प्रोटेक्शन है, संरक्षण है लेकिन संविधान में उधुशिका का मूल अधिकार का चैप्टर, - मूल कर्त्तव्यों का चैप्टर, और इसके साथ साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन सबकी भावनाओं के विपरीत है यहविधेयक

मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोद से कि वे मुझे देश के किसी ऐसे भा का और संसार के किसी ऐसे देश कतूई उदाहरण दें जहां पर इस प्रकार अल्पसंख्यक अलग माने जाते हैं और बा

लोग अलग माने जाते हैं । मैं यह यह समझता था कि देश के स्वाधीन हो जाने के बाद इस देश में सभी नागरिक समान माने जाएंगे, उनके समान अधिकार होंगे और इसलिए हम यह कहते हैं कि इस देश में सभी नागरिक समान हैं, उनके समान अधिकार हैं और इसलिए अगर कोई आयोग होना चाहिए तो वह मानव अधिकार आयोग होना चाहिए जो सबके अधिकारों का संरक्षण कर सके । जिसके साथ अन्याय हो, वह उस आयोग के पास जा सके और वहां पर जाकर फरियाद कर सके ।

आयोग में जो मैम्बर बनाए जायेंगे वह तय करने की सारी बातें भी सरकार अपने हाथ में रखेगी और इसलिए इसकी आशंका है कि इसका राजनीतिक उपयोग किया जाएगा । किसी की भलाई के लिए इससे कतई बात नहीं होने जा रही है ? महोदय, मैं सरकार के सामने यह बात लाना चाहता हूं कि जल्दबाजी में और निहित स्वार्थों के लिए हम कुछ कदम उठाते चले जा रहे हैं लेकिन इससे संविधान की अवहेलना हो रही है और अल्पसंख्यक जो हैं उनकी कोई भलाई हम नहीं कर रहे हैं । हमने सिद्धांततः यह माना था, जिस समय देश का विभाजन हुआ तो हमने यह कहा कि आगे से हम कोई दो राष्ट्र की थ्योरी को नहीं मानेंगे । हमारे देश का विभाजन इसलिए हो गया कि हमने यह मान लिया कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं । अंग्रेजों ने 1908 में यह कहा कि यहां पर सैपरेट इलैक्टोरेट होना चाहिए, हमने मान लिया । कांग्रेस ने स्वयं कम्युनल एवार्ड मान लिया और उससे जो हमने नींव रखी उसका नतीजा है कि पाकिस्तान बना है और देश का विभाजन हुआ है ।

मुझे लगता है कि उसी तरह की नींव हम फिर रख रहे हैं ।

महोदय, एक बडे आश्चर्य का और मामला है । मैं जब बोलने के लिए खडा हुआ हूं तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि इस विषय पर "वन वसेंज आल है । हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और बाकी सारे समर्थन कर रहे हैं । मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फिर से एक बार 1947 की प्रवृत्तियां जाग रही हैं । वे सब लोग जिन्होंने 1947 में देश के विभाजन का समर्थन किया था, या उसमें पार्टी बने थे वह सब आज एक जगह एकजुट होकर खडे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं और जो लोग यह समझते हैं, यह मानते हैं कि देश एक है एक जन है, एक राष्ट्र है, यहां पर नागरिकों का इस प्रकार से विभाजन संप्रदाय के आधार पर नहीं होना चाहिए । देश की एकता का जो संरक्षण चाहते हैं, मुझे गर्व है कि हमारा दल इसमें अगर अकेला भी है तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है । आप क्रूर बहुमत से संसद में यह बिल पास कर सकते हैं, लेकिन जनता में आपको इसके विरोध का सामना करना पड़ेगा । जनता इसका समर्थन नहीं करेगी । मैं कहना चाहता हूं कि हम विभाजन के बीज फिर से न बोयें । जब हम एक बार यह मान लेते हैं कि इस वर्ग के ये अधिकार हैं तो ये चीजें रुकती नहीं । आपने कितना समझाया, आपने ब्लैंक चैक भी देने की कोशिश की, लेकिन आखिर में चीजें जब इतनी दूर पहुंच जाती हैं, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के अंदर सिद्धान्ततः यह भावना पैदा करें कि यह देश हमारा है, हमारा देश एक है, इस देश के नागरिकों की समान अधिकार है । हमें अलग अधिकारों को आवश्यकता नहीं है अन्याय होगा तो सब लोग एक ही जगह जाकर दरवाजा खटखटायेंगे । अगर कानून भी बने, अगर आयोग भी बनेगा तो ऐसा जहां से सब लोग न्याय प्राप्त कर सकते हैं

महोदय, एक और बात मैं आपके सामने कहूंगा कि व्यावहारिक दृष्टि से अभी तक हमारे देश में 1978 से अल्पसंख्यक आयोग है । उसकी 9 रिपोर्ट्स सरकार को दी जा चुकी हैं । राजमोहन गांधी जी का कहना था कि उस आयोग में टी नहीं थे, । लेकिन अगर सरकार ईमानदार थी तो उन 9 रिपोर्टों पर अमल क्यों नहीं हुआ । किसने सरकार को रोका, किसने उनके हाथ बांधे ? क्या इसलिए कि आयोग को कानूनी अधिकार नहीं थे,

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

क्या इसलिए ऐक्शन नहीं लिया ? सरकार के हाथ कितने बांधे थे, ? अगर सरकार की प्रवृत्ति भी रही तो चाहे आप आयोग को जितने भी अधिकार दें दीजिए, जितना भी स्टेच्यूटरी स्टेटस दे दीजिए, लेकिन एक्शन तो सरकार को ही लेना है । फैसला तो सरकार ने ही करना है । 9 रिपोर्टें आई, उन पर ऐक्शन क्यों नहीं लिया, इसकी जवाबदेही किस पर है ? इसके बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जस्टिस एम०एच०बेग जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने दो बातें कहीं एक तो 1984 के दंगों के बारे में कि कमीशन के लोगों के साथ दौरों पर जगह जगह गए । उसने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने नाम भी लिए, लोगों पर आरोप भी लगाए लेकिन सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया । क्या इस तरह का अल्पसंख्यक आयोग इस तरह की गंभीर स्थिति पर रिपोर्ट दे और उसके बाद भी उसको कोई न सुने, उस पर ऐक्शन नहीं ले...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Sharmaji, your time is over.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : आधा समय तो हमको देना चाहिए... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अण्णाजी मसोदकर) : आपका समय तो निर्धारित कर दिया है ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : एम०एच० बेग ने अपने अनुभव से यह बताया कि अल्पसंख्यक जो शब्द है यह व्याख्या रेलेवेंट नहीं है । किसी प्रदेश में एक अल्पसंख्यक है और दूसरे प्रदेश में दूसरा अल्पसंख्यक है । इसलिए जस्टिस एम०एच० बेग जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन राइटस कमीशन होगा तो यह सबके लिए ज्यादा नयायोचित होगा । ज्यादा अच्छा होगा । मैं आपके सामने जो बात कह रहा हूं वह यह है कि फिर से 1947 की प्रवृत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं । फिर से 1947 को दोहराने की कोशिश मत कीजिए । एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं । कोई इसको बुरा न माने । लोग कह सकते हैं कि देश में आजादी के बाद बड़े दंगे हुए । मेरे कुछ मुसलमान भाई भी मरे मुझे इसका अफसोस है लेकिन आज इस सदन में आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अकेले कश्मीर में, अकेले पंजाब में जितने लोग पिछले दस सालों में मरे हैं और स्वाधीनता के बाद जो दंगे हुए हैं उन सारे दंगों में कुल मिलाकर जितने लोग मरे हैं उनकी संख्या कितनी है ? जितने लोग विस्थापित हुए हैं कश्मीरी बंधु, पंजाबी बंधु उनकी संख्या कितनी है ? उनके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है । कश्मीर के लोग कहां जायेंगे । पंजाब के लोग कहां जायेंगे उनके बारे में सोचने को तैयार नहीं । उनके संरक्षण के लिए कोई तैयार नहीं । ये बातें बहुत दुखदायी हैं । हम थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें, देश के हित में सोचें । देश एक बार बंटा है फिर न बंटे । यह संकीर्ण भावना, हल्की भावना न जगाई जाए । इसलिए मैं फिर से एक बार आपके सामने यह बात दोहराना चाहता हूं कि यह बिल पास करके हम एक राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं । हम फिर से विभाजन के बीज बो रहे हैं । हम यह विभाजन का दस्तावेज देश के सामने ला रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी, इस देश में अल्पसंख्यक जो हैं उनके प्रति पूरा आदर भाव रखते हुए, यह दावे के साथ कह सकती है कि अगर बाकी प्रदेशों से तुलना करेंगे तो हमारे उन चार प्रदेशों में जहां हमारा दल राज कर रहा है यउसमें अल्पसंख्यक भाई ज्यादा सुखी, ज्यादा आश्वस्त हैं । यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि

आप अगर एक बार गलत रास्ते पर चले जायेंगे तो यह रास्ता हमें कहां ले जायेगा इसका भरोसा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि इस बिल पर बल न दें। इसके बजाय इसको वापस लेकर मानव अधिकार आयोग लाने की कोशिश करें। मानव अधिकार आयोग लायेंगे तो सब को संरक्षण मिलेगा हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को और बाकी सब को। उसका हम भी समर्थन करेंगे और आप भी समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ फिर इस बिल का जो दोषयुक्त राजनीति निहित है इसका मै जोरदार विरोध करता हुं। धन्यवाद।

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): I must congratulate the Minister for bringing this Bill in implementation of the election manifesto of the Congress party. But this is not the end of the matter. Sir, the Congress party has fought ... *(Interruptions)*.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Can you read it? The Minister has said, "if you want I can supply a copy of the manifesto". Can you show me where Minority Commission is referred to in the manifesto? It is nowhere. *(Interruptions)*.

SHRI N. K. P. SALVE: I don't know. *(Interruptions)*. I relied upon the speech of the Minister. *(Interruptions)*. Hold on for a moment. Hear my second part. Whether it is there or not my party has existed. My party's basic commitment is the preservation of secular values. We have lived for it and we will die for it, if that be necessary. This Bill has come. That was our commitment. That is why we have brought Bill. *(Interruptions)*. I am coming to that. I was considerably hurt when Shri Krishan Lal Sharma who is a senior Member and a very restrained parliamentarian... *(Interruptions)*. Mr. Kesari has given me a copy of the manifesto. I quote from page 31 of the Congress menifesto of 1991:

> "The Congress will establish by legislation a Human Rights Commission to investigate and adjudicate complaints of violation of human rights particularly the civil rights of groups or classes of people... *(Interruptions)*

I want to submit... *(Interruptions)*. On the same page, it says, "Minorities Commission will be provided statutory status and given the necessary powers to carry out its duties... *(Interruptions)*. Mahajanji, you are an extremely well-informed Member. It is on page 31—"The Minorities Commission will be provided statutory status and given the necessary powers." So it is very much part of our manifesto. We are caring for them. Sir, I want to reiterate one thing. Our basic commitment has been preservation of secular values and, therefore, I was hurt when a senior Member like Mr. Sharma—he is a responsible Member—makes an allegation that all those who are supporting this Bill have ganged up to create the atmosphere of 1947 to divide the country. That is his allegation. Sir, I want to submit one thing, if it doesn't go into distortion of history. There was one man who opposed the partition of this country and his name was Mohandas Karamchand Gandhi. Was there or was there not a man who opposed partition? ...*(Interruptions)* These were the forces which opposed him and which were then the forces that led to his assassination. What are they saying? Everyone knows that history is replete with instances which led to all sorts of unpleasant situations and historical compulsions as a result of which partition has come about. People like me will never forgive ourselves for having been a party to partition. Please, for God's sake, partition having become a reality today, don't do things which will completely disintegrate the republic. The secular values constitute the very fundamentals, they are one of the basic pillars of this

[Shri N. K. P. Salve]

great republic. If we ever dilute the secular values of this country, it will be the republic which will suffer which we don't want happen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is a request. Will the Minister tells as how much time this Bill will take so that we can announce, for the convenience of the Members, when the voting will take place? Is it in about two hours?

SHRI SITARAM KESRI: Yes, 4 or 5.30.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): So it will be by about 4 o'clock.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, an allegation is being made that we are doing all this sort of things—this is something which is a basic commitment of our faith, it is an article of our faith in the implementation of which we are brining in this Bill—for garnering votes. For God's sake, please do remember the historical facts. Who has pressed religion to aid for purposes of garnering votes? How many elections have been set aside because religion had been pressed to aid? Sir, you have been a distinguished Judge of a High Court which has struck down, which has held null and void election after election because religion was pressed. And if we seek protection against that sort of a situation, it is not a happy situation. Why should the High Courts come into play? Why should the Supreme Court come into play? A situation should be created that a party which has pressed religion for garnering votes and for winning elections should be banned and from that point of view, I do feel that whereas quite a few powers have been given—I was talking to my distinguished colleague, a great legal luminary. I said—Point out power to me where they will be able to cure two weaknesses, the two main weaknesses, which seem to be weakening our basic polity, the democratic polity. And the two weaknesses, according to me, the first one is that it is a perennial shame on us that after so many years of Independence, we have not been able to put an end to communal riots. People are killed on the basis of religion and again I regret greatly, Sharmaji, whether a Hindu is killed or a Muslim is killed or a Sikh is killed or a Christian is killed, it is an Indian who is killed, it is the Indian blood which has flowed. Kindly do not determine right or wrong by counting the dead bodies. You are counting the dead bodies to determine right or wrong. Please don't do that. Please condemn communal riots wherever they take place. But you will never do so.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): They will never condemn.

SHRI N. K. P. SALVE: You will divide there also. And you are accusing us for perpetuating the divide. Sir, I want to submit that we have not been able to put an end to this kind of communal riots. I do not think Kesriji has given enough teeth to the Minorities Commission to be able to tackle this sort of communal riots, especially when some areas are prone to communal riots. Where is the provision that this Commission can do something about it? Not for a moment do I dispute the validity for which this law deserves to be commended. But there are certain deficiencies and one of the main areas of deficiency is that there is no adequate power given and I have the authority of no less a legal luminary than Mr. Shiv Shanker and he says, "Yes. Indirectly and remotely it is there, but directly it is not there.". Take the direct authority and power and, for God's sake, put an end to the communal riots in this country and do not allow people to determine right and wrong by counting the dead bodies, whether they are those of the Hindus or the Muslims or the Christians or the Sikhs or the Parsis.

The second weakness is this: Has not religion been used to incite religious sentiments of religious communities and to harness their support in elections to aggrandize the political interests? This is a violation of not only the Constitutional guarantees, but it totally violates the election law as a result of which so many elections have been set aside. Have you given any power to this Commission to be able to tackle this situation? I am afraid, Sir, that the teeth will never be adequate to tackle this and this Commission will never be able to perform its duties fully and properly if it is not able to tackle the very existence of the political parties which have been using religion as a basis to incite sentiments in order to aggrandize their political interests as a result of which not only do they debase the politics, but they also degrade religion, and that is a more important thing.

Sir, I fully support what Mr. Raj Mohan Gandhi has said. He has expressed some noble sentiments which were espoused by my senior colleague, Shri Pande. Sir, the basic problem is this: Should religion or caste be made the basis for giving punishment to somebody? Sir, the minorities today have become, economically, educationally and socially, a totally backward class and one of the main impediments and handicaps in their coming into the national mainstream is their being penalised, their being discriminated against, just because of their religion, because of their caste, into which they are born, in which they have no choice of their own.

Therefore, it is absolutely necessary to put an end to communal violence. We have paid enough lip sympathy and we have done enough talking in this House, in the other House and in the public and it is absolutely necessary to put an end to this communal violence which has hopelessly been gripping our country. The situation has not improved, but it has deteriorated. Some political parties which are engineering communalism in this country are ruling some States. I make that allegation. People who have no commitment to the basic values enshrined in our Constitution, in the Directive Principles, to ensuring that the safeguards guaranteed in the Constitution, are maintained talk about minorities. By the by, I want to clarify one point here. Sharmaji said that, according to him, a minority individual is one who, for purposes of vote, will be of benefit to the ruling party. So, according to convenience, the minorities will be determined. It is not that easy. It is not that easy, Sharmaji. You will not be able to do so even if you were to be here for the simple reason that, after all, there is a concept of minorities and that concept of minorities is enshrined in the Constitution, in articles 29, 30, etc. and also in other articles. It cannot be done like that.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Has the Constitution defined what "minority" is? Can you tell me?

SHRI N. K. P. SALVE: I do not count quantities by counting the dead bodies whereas my colleague has been counting the quantities by counting the dead bodies. We go by cardinal principles and the cardinal principle is, on the basis of religion there cannot be communal riots. But on the basis of religion we have been having riots, we have been having violence. Does the ethos of the great Hindu religion ever permit any hatred, any animus, any violence, any vengeance? The greatest service according to this religion, is the service to a human being. So, how can there be violence permitted under this? And yet there is

2.00 p.m.

olence going on. And yet there is political aggrandizement going on in the name of religion. Sir, this has come to an end. And I only submi that my Party has taken this, I hope, as the first step towards eradicating the menace of communal virus in this country. Thank you, Sir.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । साल्वे जी जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मैं बहुत विनय के साथ यह कहता हूं और उनके कहने का समर्थन करता हूं । उन्होंने यह कहा कि महात्मा गांधी जी एकमात्र इस देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश के विभाजन का विरोध किया लेकिन लाखों करोड़ लोग हैं जो पाकिस्तान और बंगलादेश में रहते हैं वह भी पार्टीशन नहीं चाहते थे, उन्होंने भी पार्टीशन का समर्थन नहीं किया । मैं तमाम श्रद्धा महात्मा गांधी जी के प्रति रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मानने के बावजूद भी पाकिस्तान में जेलों में सड़ते रहे लेकिन उन्होंने पार्टीशन को नहीं माना (व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने यह कहा था उनके बारे में तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता, गांधी जी के बारे में कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती ।

श्री मोहम्मद सलीम : आज भी महात्मा गांधी हमें प्रेरणा देते हैं । जब आपके सवाल पर कृष्ण लाल जी लाशें गिना रहे हैं कि पंजाब में, कश्मीर में कितनी लाशें गिरी, उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, मध्य प्रदेश में गिनना बाकी रह गया है ताकि हिसाब किताब बराबर रहे । पालियामेंट के अन्दर जब यह कहते हैं तो बाहर जा कर ये क्या कहते हैं यह लोग, पता नहीं है । हम लोग इस बात का जवाब एक शेर के साथ देंगे——

धर्म के झण्डे लाशों पर कब तक लहराये जाएंगे,
कब तक लड़ते रहेंगे इंसा, कब तक खून बहायेंगे ।

जो लोग 15 अगस्त, 1947 में तमाम दंगे फसादों के बावजूद, पाकिस्तान की धर्म की दावत के बावजूद, लालच के बावजूद यहां रह गये, माइनारिटीज की हैसियत से रह रहे हैं, वह चाहते है कि यहां लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम हो, थियोक्रेटिक स्टेट कायम नहीं होगी, वह लोग जिनकी आवाज हम यहां उठा रहे हैं, वह लोग चाहते थे कि एक छोटे भाई की हैसियत से रहें उनको भागीदारी मिले, उनको अधिकार मिलें, उनको इन्साफ मिले । आज जब यह विधेयक यहां लाया गया, यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था या नहीं था, यह एक अलाहिदा बात है, यह अच्छा काम सरकार ने किया है, हम इसका समर्थन करते हैं । बीच में नेशनल फ्रंट की सरकार आई थी, जिनका यह काम था चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट शड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन हो, चाहे वूमन कमीशन हो, देर होने के बाद भी उन्होंने इसको किया, हम समझते हैं कि उन्होंने एक अच्छे काम को अंजाम दिया है । जैसे लेबर पार्टिसिपेशन इन मेनेजमेंट का सवाल है, यह चाहे आपके मेनिफेस्टो में हो या न हो लेकिन आप इसको भी ले आएं । मैं कोई परसेंटेज नहीं गिनाऊंगा, राजमोहन गांधी जी ने मिसाल दी है । कुछ लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण हो रहा है । मैं यह कहता हूं आप चाहें किसी भी सूबे में चले जाएं तो आपको यह पता चलेगा कि इस देश के अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दशा में इन 45 सालों में कितना सुधार हुआ है, कितना तुष्टिकरण हुआ है, इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा । हम यह कहते हैं कि जो माइनारिटीज कमीशन है वह लूला-लंगड़ा था, उसको अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश की गई, चाहे इसमें देर हो गई है लेकिन फिर भी यह जरूरत इसलिए पड़ी कि 45 सालों तक हम आज भी अल्पसंख्यकों को बहुत से मामलों में समान अधिकार नहीं दे सके हैं । हम यह नहीं चाहते कि इन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएं लेकिन कम से कम समान

अधिकार दे कर उनकी भागीदारी को गारंटी करने का जो सवाल था वह पूरे तौर पर हम नहीं कर पाए जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे सामने तरह तरह के सवालात खड़े हो जाते हैं । हम समझते हैं यह सिर्फ दंगा-फसाद और सिक्यूरिटी का सवाल नहीं है, हम अगर अल्पसंख्यकों को हमारे साथ इंटेग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सब से बड़ा काम यह है कि उनकी शिक्षा, रोजगार और तमाम दूसरी दिशा में जो तरक्की के काम हैं, विकास के काम हैं, हम उनकी तरफ ध्यान दें । मेरा यह सवाल है कि माइनारिटी कमीशन ने पिछले दिनों जो तमाम रिपोर्ट रखी थीं उनमें इस बारे में जो भी मश्विरा था, रिकमेंडेशन थे उस पर सरकार की कोताही रही है । वह रिपोर्ट डिसकस नहीं होती है । रिपोर्ट समय पर प्लेस नहीं करते हैं । दो तीन रिपोर्ट हाथ में जमा रहती हैं उसके बाद चार-पांच साल बाद रिपोर्ट प्लेस होती है पार्लियामेंट में । कम से कम यह नया विधेयक आने के बाद कुछ लाजिमी तौर पर अधिकार उनको मिलेंगे और सरकार कुछ हद तक बाध्य रहेगी ।

कृष्ण लाल जी जो सवाल किये हैं उनके अंदर एक स्व-विरोधिता है । एक तरफ तो वे यह कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि बेग के नेतृत्व में जो कमीशन था, जो रिकमेंडेशन्स थी उनको किस लिए लागू नहीं किया गया, और राज मोहन गांधी जी ने यही बताया, विधेयक में यही कहा गया, मंत्री जी ने भी यही बताया कि यह लाजिमी नहीं था सरकार के लिए । तो आप अगर वाकई बेग कमीशन की रिपोर्ट को या अन्य रिपोर्ट को-यह तो नहीं हो सकता है कि जो रिपोर्ट हमारे हित में है हमारे वोट वर्ग का पुष्टिकरण करेगी उस रिपोर्ट को कारगर करेंगे और जो रिपोर्ट हमारे वोट वर्ग के लिए हितकारक नहीं है उसको कारगर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, तो माइनारिटी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थीं उनको अगर हम लागू करना चाहते हैं तो उनको कुछ स्टेट्यूटरी पावर्स मिलें और सरकार के ऊपर कुछ बाध्यता होनी चाहिए ।

उसके बाद यह है कि आज मैं एक दूसरी नजर से इस सवाल को देखना चाहता हूं आंकड़ों या उद्धृति के बगैर । वह यह है कि हमारे अल्पसंख्यकों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है । आये दिन होने वाले फसाद या जो साम्प्रदायिक भावनाएं हैं उससे उनके अंदर का जो ऐतमाद है वह खो गया है । उनके अंदर जो विश्वास है कि जरूरत है हम वह पैदा नहीं कर पाए हैं । आज हम यहां सदन में कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, एक जाति हैं, एक व्यक्ति हैं सब एक साथ रहेंगे । कोई बात नहीं । लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने दो साल पहले पूरे देश में कहर क्यों मचाया यह कहकर कि बच्चा-बच्चा राम का, बाकी सब हराम का । जब सब एक हैं तो किसलिए इनका बंटवारा करना चाहते थे । हम किसलिए यह नारा देते हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भागो मुस्लिम पाकिस्तान । सदन में आकर हम कहते हैं कि माइनारिटीज तो हैं ही नहीं इस देश में । सब एक हैं । तो फिर माइनारिटी कमीशन की क्या जरूरत है । यहां भाषण में वे

[श्री मोहम्मद सलीम]

सबको एक करते रहें। जो काम करते रहे हैं चाहे राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में जहां भी जो ताकत मिली है वह यह है कि पार्टीशन जितना हिस्सा कर सकता था दिलों के अंदर उसको और भी ज्यादा गहराई से पिछले दिनों के सारे अपने काम से करते रहे हैं। यह हमारे देश की एकता के लिए खतरनाक है। मैं इसके साथ जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि हमने जो लोकतंत्र को अपने देश में अपनाया है तो इसकी पहली शर्त यह है कि हम बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यकों की जो राय है उनके जो अपने अरमान हैं उनको सम्मान दें। लेकिन रथ यात्रा से लेकर आज तक जो मेजारिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे यह कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ लोकशक्ति से ठीक करेंगे, फैसला हम करेंगे। हमारे सदन के एक महान सदस्य हैं, रथ यात्रा के शुरूआत में कहते थे औजार दिखा करके इसका व्यवहार करके फैसला करेंगे। तो इस तरह से हमारे देश का लोकतंत्र टिकने वाला नहीं है। खास करके राजमोहन गांधी जी ने जो दिशा दिखायी है मैं भी वही कहना चाहता हूं।

आज काबुल में जो हो रहा है, आज सोवियत एशिया के बाद मध्य एशिया में जो सवाल उठ रहा है, आज युगोस्लाविया में जो हो रहा है उसको देखकर अगर हिंदुस्तान में हम माइनारिटीज को इंटेग्रेट नहीं कर सकते—क्योंकि इंटेग्रिटी की पहली शर्त विश्वास होती है दूसरी तमाम को छोड़कर—तो हम नहीं जानते हमारे वे साथी कितने खुश होंगे लेकिन हम जो आम हिंदुस्तानी हैं, हमारे सामने अंधेरा छा जाएगा। वे खुश हो सकते हैं क्योंकि हिकमतयार जो कर रहा है काबुल में वे वही करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। इसलिए पिछले पांच सालों में छः बार अफगानिस्तान की इम्बैसी के सामने पहुंचे थे झंडा लेकर कि मुजाहिदीन के ऊपर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। अब भी मुजाहिदीन के हिमायती हो। आज जवाब देना पड़ेगा कि हिकमतयार जो कर रहे हैं अफगानिस्तान में और हम जो काश्मीर के लिए रोजाना रो रहे हैं तो आज उन मुजाहिदीन का क्या रवैया होगा काश्मीर में और हम काश्मीर के सवाल को किस तरह से देखेंगे। इसके अलावा हमारे कृष्ण लाल जी हों या लाल कृष्ण जी हों दोनों ने सदन में यह कहा कि....।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): प्लीज कन्क्लूड।

श्री मोहम्मद सलीम: जैसा भी आप उसको समझ लें। ...(**व्यवधान**) उनका यह कहना था कि वह राजनीतिक उपयोग ही था। तो हम कांग्रेस के हमारे साथियों से भी यह कहेंगे कि यह बात–ऐसा जो सवाल है पिछले 45 साल से, हमने माइनार्टी की भलाई के लिए कितना काम किया है, इससे ज्यादा वोट के मामले पर, चुनाव के मामले पर कुछ ऐसे फैसले किये हैं, जिससे दरअसल माइनार्टी का फायदा नहीं होता। लेकिन माइनार्टीज के अंदर एक हिस्सा जो है, चाहे आप उसे फंडेमेंटलिस्ट कह दें, जो मजहबी ज़ज्बात को छेड़ कर अपनी कियादत को बरकरार रखना चाहते हैं। मजहब के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया है और जो आज उनके हाथ हथियार बना हुआ है।

तो हम यह समझते हैं कि अगर आपको माइनार्टी की भलाई करनी है, तो उसके लिए जिसको मानार्टीज्म या अपीज़मेंट आफ माइनार्टीज़ कहते हैं, तो वह शिकायत नहीं आनी चाहिए और उसके लिए हम सब फैसला करते हैं, तो उसमें वह धार्मिक विश्वास को हटा करके—अपना-अपना वह अकीदा है, अपना-अपना विश्वास है, लेकिन उन राष्ट्र नैतिक, राजनीतिक सरकारी जो फैसले करें, तो वहां हमें उसको ज्यादा अहमीयत नहीं देनी चाहिए। (**समय की घंटी**)

यह सेक्युलरिज्म की हमारी पहली शर्त है। महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं बंगाल से आता हूं और जब राज मोहन गांधी जी आंकड़ा गिना रहे थे, तो मैं यह फक्र के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश जहां से हमारे बहुत से साथी आये हैं, मौलाना जी गवाही देंगे कि उर्दू जुबान का राज कहलाता था, लेकिन आज जहां राम नरेश जी आपने हुकूमत चलाई है, उत्तर प्रदेश में जितने उर्दू स्कूल हैं, उससे ज्यादा मगरबी बंगाल में हैं। बंगाल तो बंगाल ही होता है, लेकिन वहां भी उर्दू जबान के लोग बसते हैं। वह आपस में लड़ते नहीं। तो उसके लिए एक के बाद एक इलैक्शन में यह वादा नहीं करना पड़ता कि हम उर्दू को यह दर्जा देंगे, हम उर्दू को वह दर्जा देंगे।

हमारे पास पिछले 1935 से लेकर के 1991 तक कांग्रेस-आई पार्टी के जितने मैनिफेस्टोज़ हैं, उसका कम्पाइलेशन है। तो उसमें हजारों बार कहा गया है—क्योंकि मंत्री महोदय जब भी हवाला देते हैं, तो कहते हैं कि हम मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ इंप्लिमेंट कर देते तो आज जो देश की हम हालत देख रहे हैं, वह हालत हमें देखनी नहीं पड़ती लेकिन वोट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मैं फिर कहता हूं हमारे भा.ज.पा. साथियों से कि अभी कम से कम अगर यह ऐसा होता कि यह बिल चुनाव से छह या सात महीने पहले ले आते, तो उसमें यह संदेह प्रकट हो सकते थे। लेकिन पहली बार एक ऐसा काम यह सरकार कर रही है जिसमें यह लगता है कि चुनाव सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने वायदा न हो, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव का जो वायदा था, उसको पूरा करने की वह कोशिश कर रही है। इसके लिए मैं फिर उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद।

شری محمد سلیم (پشچمی بنگال): اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں اس ودھیئک کا سمرتھن کرتا ہوں۔

سالوے جی جو ہمارے وششٹ ساتھی ہیں۔ میں بہت ونمرتا کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور ان کے کہنے کا سمرتھن کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مہاتما گاندھی جی ایک ماتر اس دیش کے ایسے نیتا تھے جنہوں نے اس دیش کے وبھاجن کا ورودھ کیا لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو پاکستان اور بنگلہ دیش

Transliteration in Arabic Scrip

جو لوگ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ میں تمام دنگے فسادوں کے باوجود۔ پاکستان کی دھرم دعوت کے باوجود۔ لالچ کے باوجود یہاں رہ گئے۔ مائنارٹیز کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ یہاں لوک تانترک اور ویوستھا قائم ہو۔ تھیوکریٹک اسٹیٹ قائم نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جن کی آواز ہم یہاں اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے رہیں۔ انکو بھاگیہ داری ملے۔ ان کو ادھیکار ملیں۔ ان کو انصاف ملے۔ آج جب یہ ودھے یک یہاں لایا گیا۔ یہ کانگریس کے مینی فیسٹو میں تھا یا نہیں تھا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ اچھا کام سرکار نے کیا ہے۔ ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں بیچ میں نیشنل فرنٹ کی سرکار آئی تھی جن کا یہ کام تھا چاہے وہ شیڈولڈ کاسٹ شیڈولڈ ٹرائب کمیشن ہو۔ چاہے وہ وومین کمیشن ہو۔ دیر ہونے کے بعد انہوں نے اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھے کام کو انجام دیا ہے۔ جیسے لیبر پارٹیسپیشن ان مینیجمنٹ کا سوال ہے یہ چاہے آپکے مینی فیسٹو میں ہو یا نہ لیکن آپ اسکو بھی لے آئیں گے میں کوئی پرسٹیج نہیں گنواؤنگا [illegible] موہن گاندھی جی نے مثال دی ہے

میں رہتے ہیں وہ بھی پارٹیشن نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی پارٹیشن کا سمرتھن نہیں کیا۔ میں تمام شردھا مہاتما جی کے پرتی رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان عبدالغفار خان جو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ماننے کے باوجود بھی پاکستان میں جیلوں میں سڑتے رہے۔ لیکن انہوں نے پارٹیشن کو نہیں مانا "مداخلت"۔۔۔

شری این۔ کے۔ پی۔ سالوے: میں نے یہ کہا تھا ان کے بارے میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ گاندھی جی کے بارے میں کنٹرووَرسی نہیں ہو سکتی

شری محمد سلیم: آج بھی مہاتما گاندھی ہمیں یہ بتا دیتے ہیں جب آپکے سوال پر کرشن لال شرما جی لاشیں گنا رہے تھے کہ پنجاب میں کشمیر میں کتنی لاشیں گریں۔ اتر پردیش میں، احمد آباد میں۔ بڑودہ میں مدھیہ پردیش میں گرانا باقی رہ گیا ہے تاکہ حساب کتاب برابر رہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ کہتے ہیں تو باہر جا کر کیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ پتہ نہیں ہے ہم لوگ اس بات کا جواب ایک شعر کے ساتھ دیں گے۔

دھرم کے جھنڈے لاشوں پر کب تک لہرائے جائیں گے
کب تک لڑتے رہیں گے انسان کب تک خون بہائیں گے

ہم لوگ کہتے ہیں کہ الپ سنکھیکوں کا تشٹیکرن ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے کسی بھی صوبے میں چلے جائیں تو آپکو یہ پتہ چلے گا کہ اس دیش کے الپ سنکھیکوں کی آرتھک ساماجک، شیکشنک دشا میں ان ۴۵ سالوں میں کتنا سدھار ہوا ہے کتنا تشٹیکرن ہوا اس کا سپشٹیکرن ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مائنارٹیز کمیشن ہے۔ وہ لولا لنگڑا تھا۔ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چاہے اس میں دیر ہو گئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرورت اس لئے پڑی کہ ۴۵ سالوں تک ہم آج بھی الپ سنکھیکوں کو سمان ادھیکار نہیں دے سکے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں زیادہ ادھیکار دئیے جائیں لیکن کم سے کم سمان ادھیکار دیکر انکی بھاگیداری کو گارنٹی کرنے کا جو سوال تھا وہ پورے طور پر ہم نہیں کر پائے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے طرح طرح کے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دنگا فساد اور سیکیورٹی کا سوال نہیں ہے ہم اگر الپ سنکھیکوں کو ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان کی شکشا۔ روزگار اور تمام دوسری دشا میں جو ترقی کا کام ہے وکاس کے کام ہیں۔ ہم ان کی طرف دھیان دیں۔

میرا سوال یہ ہے کہ مائنارٹی کمیشن نے پچھلے دنوں جو تمام رپورٹ رکھی تھیں ان میں اس بارے میں جو بھی مشورہ تھا۔ رکمنڈیشن تھے۔ اس پر سرکار کی کارروائی رہی ہے۔ وہ رپورٹ ڈسکس نہیں ہوتی ہے۔ رپورٹ پلیس نہیں کرتے ہیں۔ دو تین رپورٹ ہاتھ میں جمع رہتی ہیں اس کے بعد چار پانچ سال بعد رپورٹ پلیس ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں۔ کم سے کم یہ نیا ودھیک آنے کے بعد کچھ لازمی طور پر ادھیکار ان کو ملیں گے اور سرکار کچھ حد تک بادھیہ رہے گی۔
کرشن لال جی جو سوال کئے ہیں انکے اندر ایک [illegible] ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیگ کے نیتر تو میں جو کمیشن تھا جو رکمنڈیشن تھیں۔ ان کو کس لئے لاگو نہیں کیا گیا۔ اور راج موہن گاندھی جی نے بھی بتایا۔ ودھے یک میں بھی کہا گیا منتری جی نے بھی بتایا کہ یہ لازمی نہیں تھا سرکار کے لئے تو آپ اگر واقعی بیگ کمیشن کی رپورٹ کو یا اپنے رپورٹ کو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹ ہمارے ہاتھ میں [illegible] رپورٹ دنگے کا سپشٹیکرن کریگی آپ [illegible] کی کارروائی کریگی اور جو رپورٹ

ہیں۔ اترپردیش، راجستھان اور مدھیہ پردیش ہیں کہ ہندی ہندو ہندوستان بھاگو مسلم پاکستان۔ سدن میں آکر ہم کہتے ہیں کہ مائنارٹیز تو ہیں ہی نہیں اس دیش میں۔ سب ایک ہیں۔ تو پھر مائنارٹی کمیشن کی کیا ضرورت ہے یہاں بھاشن میں وہ سب کو ایک کرتے رہیں جو کام کرتے رہے ہیں چاہے راجستھان میں ہو یا اترپردیش میں جہاں بھی جو طاقت ملی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیشن جتنا حصہ کر سکتا تھا دلوں کے اندر اس کو اور بھی زیادہ گہرائی سے پچھلے دنوں کے سارے اپنے کام کرتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے دیش کی ایکتا کے لئے خطرناک ہے میں اس کے ساتھ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو لوک تنتر اپنے دیش میں اپنایا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم بہو سنکھیک ہونے کے بعد بھی الپ سنکھیکوں کی جو رائے ہے ان کے جو اپنے ارمان ہیں۔ ان کو سمان دیں۔ لیکن رتھ یاترا سے لیکر آج تک جو میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ ان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف لوک شکتی سے ٹھیک کریں گے۔ فیصلہ ہم کریں گے۔ ہمارے سدن کے ایک مہان سدسیے

ہمارے ودرٹ ورگ کے لئے ہتکارک نہیں ہے اسے کارگر نہیں کریں گے ایسا نہیں ہوسکتا۔ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہوسکتا۔ تو مائنارٹی کمیشن کی جو رکمینڈیشن تھیں انکو اگر ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ اسٹیچوٹری پاورس ملیں اور سرکار کے اوپر کچھ بادھیتا ہونی چاہیئے۔

اس کے بعد یہ ہے کہ آج میں ایک دوسری نظر سے اس سوال کو دیکھنا چاہتا ہوں آنکڑوں یا ادھگرتی کے بغیر۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے الپ سنکھیکوں کے اندر آتم وشواس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے دن ہونے والے فساد یا جو سامپردائیک بھاونائیں ہیں۔ اس سے ان کے اندر کا جو اعتماد ہے وہ کھو گیا ہے۔ ان کے اندر جو وشواس کی ضرورت ہے ہم وہ پیدا نہیں کر پائے ہیں۔ آج ہم یہاں سدن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ایک جاتی ہیں۔ ایک ونکتی ہیں۔ سب ایک ساتھ رہیں گے۔ کوئی بات نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے انہوں نے دو سال پہلے پورے دیش میں قہر کیوں مچایا یہ کہکر کہ بچہ بچہ رام کا۔ باقی سب حرام کا۔ جب سب ایک ہیں تو کس لئے ان کا بٹوارا کرنا چاہتے تھے۔ ہم کس لئے یہ نعرہ دیتے

ہیں۔ رتھ یاترا کے شروعات میں کہتے تھے کہ اوزار دکھا کر کے اس کا ویوہار کر کے فیصلہ کریں گے تو اس طرح سے ہمارے دیش کا لوک تنتر ٹکنے والا نہیں ہے خاص کر کے راج موہن گاندھی جی نے جو دشا دکھائی ہے میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں۔

آج کابل میں جو ہو رہا ہے۔ آج سوویت یونین کے بعد مدھیہ ایشیا میں جو سوال اٹھ رہا ہے۔ آج یوگوسلاویہ میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اگر ہندوستان میں ہم مائنارٹیز کو انٹی گریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹی گریٹی کی پہلی شرط وشواس ہوتی ہے دوسری تمام کو چھوڑ کر۔ تو ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھی کتنے خوش ہوں گے لیکن ہم جو عام ہندوستانی ہیں۔ ہمارے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ وہ خوش ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ حکمت یار جو کر رہا ہے کابل میں وہ وہی کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں اس لئے پچھلے پانچ سالوں میں چند بار افغانستان کی اسمبلی کے سامنے پہنچے تھے جھنڈا لیکر کہ مجاہدین کے اوپر اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب بھی مجاہدین کے حمایتی ہو۔ آج جواب دینا پڑے گا کہ حکمت یار جو کر رہے ہیں افغانستان میں اور ہم جو کشمیر کے لئے روزانہ کر رہے ہیں تو آج ان مجاہدین کا کیا رویہ ہوگا۔ کشمیر میں اور ہم کشمیر کے سوال کو کس طرح سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے کرشن لال جی ہوں یا لال کرشن جی ہوں دونوں نے سدن میں یہ کہا کہ . . . .

اپ سبھا ادھیکش (شری بھاسکر انا جی ماسودکر) : پلیز کنکلوڈ۔

شری محمد سلیم : جیسا بھی آپ اس کو سمجھ لیں . . . "مداخلت" . . . ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ راج نیتک اپیوگ ہی تھا تو ہم کانگریس کے ہمارے ساتھیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ یہ بات ایسا جو سوال ہے پچھلے ۴۵ سال سے ہم نے مائنارٹی کی بھلائی کے لئے کتنا کام کیا ہے۔ اس سے زیادہ ووٹ کے معاملے پر۔ چناؤ کے معاملے پر کچھ ایسے فیصلے کئے گئے ہیں جس سے دراصل مائنارٹی کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن مائنارٹیز کے اندر ایک حصہ جو ہے۔ چاہے آپ اسے فنڈامینٹلسٹ کہہ دیں جو مذہبی جذبات کو چھیڑ کر اپنی قیادت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ مذہب کے نام پر ایسے لوگوں کو بڑھا دیا گیا ہے اور جو آج ان کے ہاتھ ہتیار بنا ہوا ہے۔

تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کچھ مائنارٹی

کی بھلائی کرنی ہے تو اس کے لئے جس کو
مائنارٹیز یا اپیزمنٹ آف مائنارٹیز کہتے
ہیں تو وہ شکایت نہیں آنی چاہئے اور
اس کے لئے ہم جب فیصلہ کرتے ہیں
تو اس میں وہ دھارمک وشواس کو ہٹا کر کے
اپنا اپنا دھارمک عقیدہ ہے۔ اپنا اپنا وہ وشواس
ہے۔ لیکن ان راشٹر نیتک۔ راج نیتک ہو کر
جو فیصلے کریں۔ تو وہاں ہمیں اس کو زیادہ
اہمیت نہیں دینی چاہئے ....۔ (وقت
کی گھنٹی) ...

پیرالزم کی ہماری پہلی شرط ہے
تھوڑا سا میں زیادہ سمے نہیں لوں گا۔ میں
ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس بارے میں
آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں۔
میں بنگال سے آتا ہوں اور جب راجیو
گاندھی جی آنکھ آگنا رہے تھے تو میں یہ
فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتر پردیش جہاں
سے ہمارے بہت سے ساتھی آتے ہیں۔
مولانا جی گواہی دیں گے کہ اردو زبان کا
راج کہا جاتا تھا لیکن جہاں رام نریش جی
آپ نے حکومت چلائی ہے۔ اتر پردیش میں
جتنے اردو اسکول ہیں۔ اس سے زیادہ مغربی
بنگال میں ہیں۔ بنگال تو بنگال ہی ہوتا ہے
لیکن وہاں بھی اردو زبان کے لوگ بستے
ہیں۔ وہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کیلئے

ایک کے بعد ایک الیکشن میں یہ وعدہ
نہیں کرنا پڑتا کہ ہم اردو کو یہ درجہ دیں گے
ہم اردو کو وہ درجہ دیں گے۔

ہمارے پاس پچھلے ۱۹۳۵ سے لے کر
۱۹۹۱ تک کانگریس پارٹی کے جتنے بھی فیصلے
ہیں۔ اس کا کمپائی لیشن ہے۔ تو اس میں
ہزاروں بار کہا گیا ہے کیونکہ منتری ہوتے
جب بھی حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم
یہی فیصلے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر سب
کچھ امپلیمنٹ کر دیتے تو آج جو دیش کی
حالت دیکھ رہے ہیں۔ وہ حالت ہمیں دیکھنی
نہیں پڑتی لیکن ووٹ کے لئے اس کا استعمال
نہیں ہونا چاہئے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ
ہمارے بی۔ جے۔ پی کے ساتھیوں سے کہ
ابھی کم سے کم اگر یہ ایسا ہوتا کہ یہ بل
چناؤ سے پہلے یا چھ سات مہینے پہلے
آتے تو اس میں یہ سندیہ پرکٹ ہو سکتے تھے
لیکن پہلی بار ایک ایسا کام یہ سرکار کر رہی ہے
جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چناؤ سامنے نہیں ہے
لیکن پھر بھی یہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ لیکن
راشٹریہ مورچہ کے چناؤ کا جو وعدہ تھا اس کو
پورا کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے اس کے
لئے میں پھر ان کو بدھائی دیتا ہوں۔

(ختم شد)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को लाने की उम्मीद हमारी स्वर्गीय नेता, राजीव गांधी जी ने लोगों को दी थी। यह स्वर्गीय राजीव गांधी का वायदा था हिंदुस्तान के अवाम को, जिसको पी.वी. नरसिंह राव जी पूरा कर रहे हैं और सीताराम केसरी, कल्याण मंत्री जी यहां पर उसको कार्यान्वित करने के लिए उपस्थित हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, इत्तिफाक ऐसा है कि कि माननीय मंत्री महोदय और मैं दोनों एक ऐसे राज्य से आते हैं और खास करके माननीय मंत्री महोदय ऐसी भूमि से संबंध रखते हैं, जहां मुसलमानों के बहुत बड़े पीर मकदुम यहया मनेरी की मनेरशरीफ में दरगाह है, जहां सारे... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : बिहार शरीफ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वह तो मकददुम सर्फुद्दीन है बिहार शरीफ में। ...(**व्यवधान**) और बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ और मनेर शरीफ में ही नहीं ताल्लुक है बिहार वालों का, उसके साथ-साथ ढाई हजार साल पुराना महावीर का भी इतिहास जुड़ा हुआ है बिहार से। गौतम बुद्ध का भी इतिहास जुड़ा हुआ है बिहार से और मैं जिस कौम से आता हूं, उस कौम के असुली फाउंडर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी वहां है और उपाध्यक्ष महोदय, यह एक इत्तफाक है कि हिंदुओं में माने जाने वाले शाहजानन्द स्वामी भी उसी इलाके से आते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने इसका विरोध किया है कि ये उस वक्त कहां रहते हैं जिस वक्त दीवारों पर लिखा जाता है कि, "चाहो तो छोड़ो कुरान, हीं तो छोड़ो हिंदुस्तान।" ये उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं जब कि बाल ठाकरे चीख-चीख कर कहता है कि सिखों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अपनी पगड़ी उतारकर, बाल कटाकर रहना पड़ेगा, नहीं तो वह हिंदुस्तान में नहीं रह सकते हैं। तो ये किन की बात करते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, अभी कृष्ण लाल शर्मा जी ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया कि यहां हमारे धर्म में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हैं फिर भी ये अल्पसंख्यक आयोग का विरोध करते हैं। अल्पसंख्यक आपके पास कभी नौकरी मांगने नहीं आता। अल्पसंख्यक आपके पास कभी कोई कर्जा मांगने नहीं आता, जोकि आपको देना चाहिए, पर अल्पसंख्यक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है भारत में और उस इज्जत की जिंदगी की मांग करते हुए इस आयोग का निर्माण किया गया है। पर अफसोस की बात है कि वायदे तो बहुत लोग करते हैं जैसेकि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का भी वायदा था कि अल्पसंख्यक आयोग बनेगा जिसे कि संवैधानिक शक्ति दी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि 17 अगस्त, 1990 को मैंने एक प्रायवेट मेंबर बिल दिया था। जब मैंने देखा कि वी. पी. सिंह की सरकार अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक ताकत नहीं दे रही है तो इसी सदन में 17 अगस्त, 1990 को मैंने एक प्रायवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसके माध्यम से मैंने आर्टिकल 340 को अमेंड कर के बैंकवर्ड एंड मायनोरिटी कमीशन की मांग की थी क्योंकि अगर बैंकवर्ड के बारे में भी सोचा जाय तो वह भी आपसे अधिकार मांग रहा है सम्मान से जीने के लिए और अल्पसंख्यक भी आपसे अधिकार मांग रहा है सम्मान से जीने के लिए। उसको सम्मान और रिकॉग्नीशन देने के लिए वह अधिकार मांग रहा है और उपाध्यक्ष महोदय यह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि यह आयोग जो कि आज बनने जा रहा है, इसे भारत की संसद ने इतना बड़ा विधेयक लाकर बनाया जिसके माध्यम से उनको जस्टिस देने का रास्ता निकाला गया है।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां इसको इम्प्लीमेंट करेने के लिए कहा गया है कि जब गजट में इसकी अधिसूचना हो जाएगी तभी यह इम्प्लीमेंट होगा और वह सरकार पर छोड़ दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में यह शंका क्यों है। यह इसलिए है कि बड़े अच्छे विचारों को लेकर 1984 में एक वक्फ सशोधन विधेयक सदन में पास किया गया था और उसमें भी ऐसा ही एक क्लाज था कि ये बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो शायद आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है । मेरी यह आशंका है। इसीलिए मैं कह रहा हू कि जिस वक्त इस देश की सबसे बड़ी संस्था, संसद इसको पास कर देती है और जब महामहिम राष्ट्रपति जी इसको अनुमोदित कर देते हैं तो उसके बाद इस पर कोई ऐसा काम नहीं रखना चाहिए कि वह सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा अधिसूचना निकलेगी तभी लागू होगा बल्कि पास होने के तुरन्त बाद लागू करने का प्रावधान रहना चाहिए, कोई शत नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ विधेयक की धारा "2" में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के बारे में कहा गया है। मैं सिख कौम का सदस्य हूं। आर्टिकल 25 के हिसाब से हमें हिन्दुओं के बीच माना जाता है। जो कस्टीट्यूशन का एक्सप्लेनेशन है–

"Explanation II: In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religeon, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly".

उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि इसकी मांग बहुत दिनों से चल रही है। क्योंकि सिख, जैन, बुद्ध और पारसी के अपने अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग आईडेण्टिटि है, इसलिए संविधान में संशोधन लाने की मांग बहुत दिनों से आ रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा कि क्या आप अल्पसख्यकों में मुस्लिम, ईसाई के सिवा सिख, बुद्ध और जैन को भी गिनते हैं? अगर गिनते हैं तो उसको इस में अंकित क्यों नहीं किया गया?

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ देर पहले बी.जे.पी. के सदस्य पार्टिशन से लेकर आज तक की बात कर रहे थे। मैं बहुत पीछे नहीं जाता क्योंकि बहुत पीछे बखिया उधेड़ने लगू तो इतिहास सामने आता है, इसलिए बहुत पीछे नहीं जाता।...

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप कनकल्युड कीजिए। ज्यादा आगे भी मत जाइए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : लेकिन, पिछले दो-तीन वर्षों में हमने जो देखा है, जो हमने एक पर्टिकुलर पार्टी का रवैया देखा है कि एक्सट्रिमिस्ट की तरफ जाकर किस तरह से अल्पसख्यकों को दहशत में रखकर खत्म कर देना चाहती है, जो ऐसी दहशत पैदा कर रही है। कभी चर्चा करते देखा कि खून के प्यालों की आरती उतारी गई अडवाणी जी की, कभी नगी तलसारों को लेकर प्रोसेशन कर-करके धमकाया गया अल्पसंख्यकों को और कैसे-कैसे नारे लगाए गए–"बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का"। मैं फिर कहता हू कि राम के ठेकेदार बी. जे. पी. वाले नहीं बन सकते। ... (**व्यवधान**)...हां, सीता राम तो हैं ही। सीता राम दोनों ही हैं। राम के ठेकेदार आप कभी नहीं बन सकते। आपने तो तुलसी की रामायण पढ़ी होगी, जिसमें 1475 बार राम का नाम लिखा है, मैं गुरु ग्रथ साहिब पढ़ता हू, जिसमें 2455 बार राम का नाम लिखा है। मैं आपसे ज्यादा राम का नाम लेता हू, लेकिन राम के नाम से कभी वोट मांगने नहीं जाता, राम के नाम पर कोई रथ यात्रा नहीं करता, राम के नाम पर समाज में जहर नहीं घोलता,

राम के नाम पर समाज में तनाव पैदा नहीं करता। इस तनाव की स्थिति को खतम करने के लिए आज जो अल्प-संख्यक बार-बार मांग कर रहे हैं कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले क्योंकि जिस वक्त हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी; उस वक्त किसी मुसलमान ने यह नहीं समझा कि मादरे वतन को आजाद कराने के लिए मैं मुसलमान हूं,... किसी सिख ने नहीं सोचा कि मादरे वतन को आजाद कराने के लिए मैं सिख हूं, किसी हिन्दू ने नहीं सोचा कि मादरे वतन को आजाद कराने के लिए मैं लड़ रहा हूं तो मैं हिन्दू हूं या हिन्दू राष्ट्र की कल्पना कर रहा हूं, सबने अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए हम रोज-जब भी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हम सामने रखते हैं उस शाहनवाज को, ढिल्लों को और सहगल को कि किस तरह से तीनधर्मों के लोगों ने तिरंगे झंडे को हाथ में लिया हुआ था और अपनी मातृभूमि को आजाद कराया था और आज जब यह फिरका-परस्ती—बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को परेशान करे और अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए अगर ऐसा कोई विधेयक लाया जाए और उसका विरोध हो तो यह बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है।

सदन को अपनी सब सीमाओं को तोड़कर इसका समर्थन करना चाहिए और मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करूंगा कि पूरा सदन यूनेनिमस डिसीजन लेकर इसको पास करे। धन्यवाद।

श्री **सत्यप्रकाश मालवीय** (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अल्प-संख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाए, कानूनी मान्यता दी जाए, इसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन इस विधेयक के जो कुछ प्रावधान हैं, वे मेरी नजर में आपत्तिजनक हैं और इसलिए मैं उसके संबंध में अपनी राय देना चाहूंगा।

असल में 1977 में उस वक्त के जितने लोग विपक्ष में थे, जिसमें आज की भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल थे, ये लोग जब जेल से छूटकर आए तो जनता पार्टी का गठन हुआ और उस समय जब चुनाव हुए तो उसके पहले उसका चुनाव घोषणा पत्र बना और उस घोषणा पत्र को बनाने में आडवाणी जी का भी काफी हाथ था, सिकन्दर बख्त जी भी उसमें आते जाते थे, चौधरी चरण सिंह जी के साथ मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो उस घोषणा पत्र में माइनॉरिटीज के संबंध में कुछ चर्चा की गई थी, उसका उद्धरण मैं रखना चाहूंगा—जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में :—

> "The Janata Party is pledged to preserve the secular and richly diverse character of our state. It will accord the highest respect to rights and legitimate needs of the minorities. It believes that all citizens are equal and should be treated as equals and that they should have full protection against discrimination of any kind. There are numerous complaints about discrimination against minorities in industry, trade, commerce, in the matter of employment. The Janata Party pledges itself to prevent any discrimination against the minorities, religious, cultural, linguistic, or against any citizen or any constituent in the country."

और उसके बाद इसी घोषणा पत्र में सिविल राइट्स कमीशन की भी बात की गई थी। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जनता पार्टी का घोषणा पत्र था और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी श्री सिकन्दर बख्त और राजस्थान के श्री सतीश अग्रवाल और कई और भी इस दल के लोग मंत्रि-मंडल में सम्मिलित हुए थे और उसके बाद 1978 में पहली बार इस देश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। यह बात सही है कि उस अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया था और

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

सरकार ने एक सरकारी आदेश से उसका गठन किया और पहली बार मुझे याद पड़ता है कि मीनू मसानी की अध्यक्षता में या हो सकता है, मेरी स्मरण शक्ति काम न करती हो, उसका गठन हुआ। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इसकी बड़ी चर्चा की जा रही है कि श्री राजीव गांधी ने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदा किया था, उसको पूरा करने का काम आज की सरकार कर रही है। मैं इसकी ओर निवेदन कर रहा हूं कि अल्पसंख्यक आयोग तो बन गया था 1978 में ही और उसके बाद 13 बार उसकी रिपोर्ट सरकार को पेश की जा चुकी है। अंतिम बार श्री बर्नी हैं, जिन्होंने श्री सीताराम केसरी मंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। फिर उसके बाद नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और उसका चुनाव घोषणा पत्र बना, उसमें भी इस बात का वायदा किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने कभी वायदा नहीं किया था माइनेरिटी कमीशन बनाने का और जब नेशनल फ्रंट बना और उसने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि :—

> "The Minorities Commission will be given statutory status."

और इस काम को, जिसको जनता पार्टी ने 1977 में शुरू किया था, आज उसी काम को पूरा करने का काम आधे मन से इस सरकार ने किया है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : आप क्यों नहीं कर पाये ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसीलिए आधे मन से कह रहा हूं।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपल : 11 महीनों में आप क्यों नहीं कर पाये ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हमने किया। मॉयनोरिटी कमीशन बनाया, उस की 13–13 रिपोर्ट आई।

श्री जगेश देसाई : आप सत्ता में थे, वी. पी. सिंह सत्ता में थे। उन्होंने क्यों नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह निवेदन कर रहा . कि इसके संबध में संविधान में संशोधन करना चाहिए था। इसमें एक शेड्यूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइबस कमीशन की भी बात की गई थी। 1990 में सरकार की ओर से 62वां अमेंडमेंट बिल लाया गया और जो संसद से पारित भी हुआ तथा राष्ट्रपति जी ने 7 जून, 1990 को उसको अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। मेरा यह निवेदन है कि अलग से विधेयक न लाकर के इस संबंध में संविधान में संशोधन करना चाहिए था। दूसरे, इस विधेयक के जो प्रावधान हैं, उनके बारे में मुझे घोर आपत्ति है। एक तो यह सही है कि मॉयनोरिटी कौन है, इसकी चर्चा संविधान में है। संविधान ने भी इसकी परिभाषा नहीं की है। लेकिन संविधान में जो बहुत से क्लॉजेज हैं, उनको लेकर ही मॉयनोरिटी माना जाता है। आपने यह कहा कि :

> "Minority for the purpose of tis Act means a community notified as such by the Central Government."

तो मेरा निवेदन है कि आपको इस पर पुर्नविचार करना चाहिए और कौन मॉयनोरिटी है, इसका अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में न ले, बल्कि मॉयनोरिटी की परिभाषा क्या है, कौन मॉयनोरिटी में आ सकता है, इसकी परिभाषा इसी विधेयक में होनी चाहिए। दूसरे, इसमें इस बात का प्रावधान हैं कि अध्यक्ष को लेकर के कुल 7 पद इसमें होंगे और फिर कहा है कि :

> "Provided that five members, including the Chairperson shall be

from amongst the minority community."

शैड्यूल्ड कॉस्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब्स के संबंध में जिस विधेयक को मैंने अभी पढ़ा, उसमें इस बात का प्रावधान नहीं है, भले ही उसमें शेड्यूल्ड कॉस्ट, शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों को कर दीजिए, लेकिन इस अमेंडमेंट में रिस्ट्रेक्ट नहीं किया है कि शेड्यूल्ड कॉस्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब्स का जो कमीशन बनेगा, उसके जो सदस्य होंगे, उसके जो अध्यक्ष होंगे, वह केवल अनुसूचित जाति और जन-जाति के होंगे। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि फिर आप बांटने का काम मत करिए। भले ही जो भी सरकार हो, केन्द्र की सरकार हो, उनको जनता की ताकत होगी, जनता के वोट पर वह सत्ता में रहेंगे, उनके हाथ में अधिकार रहेगा। लेकिन इस बात को लिखना कि इसमें 5 सदस्य केवल मॉयनोरिटी कमीशन से होंगे, इस पर मेरी घोर आपत्ति है। मैं तो चाहता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का जो कुलपति है, वह अल्पसंख्यक व्यक्ति बने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो कुलपति है, वह बहुसंख्यक सम्प्रदाय का बने। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। अंग्रेजों के जमाने से लेकर 1980 तक वहां कभी एक भी अल्पसंख्यक वर्ग का कलक्टर नहीं बनाया गया। लेकिन 1980 में पहली बार श्री रिजवी को वहां कलक्टर बनाया गया। बड़ी प्रसन्नता हुई हम लोगों को। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि हमारे यहां कुंभ मेला होता है, हर साल माघ मेला होता है, अर्द्ध कुंभ भी होती है तो गंगा जी की पूजा होती है कि मेला भली-भांति सकुशल सम्पन्न हो जाये। अतः आपत्ति की थी कि यह बड़ा खराब हो गया है कि एक अल्पसंख्यक को कलेक्टर बनाया गया है तो वह गंगा जी की पूजा कैसे करेगा? तब हम लोगों को वहां पर आंदोलन करना पड़ा कि अंग्रेज तो गंगाजी की पूजा करता था, तब लोगों को आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज एक अल्पसंख्यक कलक्टर बन गया तो लोगों को आपत्ति हो रही है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि यह जो प्रावधान आपने रखा है, इसके बारे में आप पुर्नविचार करें। क्योंकि मॉयनोरिटी के ही व्यक्ति हों और मॉयनोरिटी के बारे में केवल मॉयनोरिटी के व्यक्ति ही सोच सकते हैं। यह जो बात है, इस पर भी मेरा मतभेद है। इसलिये इस पर आप पुर्नविचार करें।

श्रीमती इंदिरा गांधी का जो 15 पोइंट प्रोग्राम है वह उन्होंने लागू किया था। उसके संबंध में अभी जो आखरी रिपोर्ट है मि. बरनी की, जो हमको पढ़ने को तो नहीं मिली, पार्लियामेंटरी लायब्रेरी में भी नहीं मिली, पता लगा कि मिनिस्ट्री में है। उन्होंने क्या कहा है।

> "We found that the 15 point pro gramme, which is a key factor for the improvement of the position of minorities, is not making any headway."

15 प्वाइंट प्रोग्राम में केवल एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रिक्रूटमेंट के संबंध में—

Recruitment: State Governments have been requested to ensure better representation of minorities in State Police For- raising of composite battalions and special training programmes for the Police Force.

इसको भी देखिए। इसका फौरो-अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि माइनोरिटीज की ओर से आज भी इस बात की बहुत शिकायत है कि पुलिस फोर्स में और अन्य फोर्सों में उनके लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं होता। इंदिरा जी का जो 15 प्वाइंट प्रोग्राम है उसके संबंध में बरनी साहब की रिपोर्ट को मैंने उद्धृत कर दिया लेकिन जो रिक्रूटमेंट की पालिसी है, उस बारे में मेरा निवेदन है कि उसका पालन करने का काम सरकार को करना चाहिए।

तीसरा, डा. गोपाल सिंह माइनोरिटीज कमीशन की रिपोर्ट बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। डा. गोपाल सिंह की तो अब डेथ हो गई है। कई बार मैं इस विषय को यहां उठा चुका हूं कि उस रिपोर्ट के संबंध में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए और उसकी अच्छी बातों को सरकार को लागू करना चाहिए

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

लेकिन नहीं लागू हो रही है। फिर देसाई जी कह देंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्यों नहीं किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह न करें लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, उनको करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : मालवीय जी, आपका टाइम हो गया, बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसी तरह गुजरात कमेटी ऑन प्रमोशन ऑफ उर्दू ने भी अपनी रिपोर्ट आपको दी है। उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि उसकी भी अच्छी बातों को आप लागू करें और काम करिए क्योंकि अल्पसंख्यकों के मन में यह भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम असुरक्षित हैं। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में सरकार ख्याल करेगी और फिर कांग्रेस पार्टी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि जो यह अल्पसंख्यक आयोग का कानून आया है और पारित हो रहा है लेकिन ह्यूमन राईट्स के संबंध में जो आपका वायदा है और जिसके संबंध में जनता पार्टी ने भी वायदा किया था कि— नेशनल फ्रंट ने भी वायदा किया था

The Congress will establish by a legislation a human-rights commission to investigate and adjudicate complaints of violation of human rights, particularly the civil rights of different groups or classes of people.

आपको ह्यूमन राईट्स कमीशन बनाने का काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I would request the Members to stick to the time. Otherwise it will not be over. There are 20 hon. Members, who want to speak.

श्री मौलाना असद मदनी (उत्तर प्रदेश) : जनाब नायब सदर साहब, राजीव गांधी जी के वायदे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने यह अक़लियती कमीशन बिल लाकर अपना वायदा पूरा किया है, यह बहुत खुशी की बात है और फख्र के साथ हम इस बिल की ताईद करते हैं। ये मुल्क हकीकत में अक़ल्लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और यहां अगर सीने को वसी करके एक दूसरे की बातों को बरदाश्त करके सही तरीके से शरीफ पड़ोसियों के साथ नहीं रहा जाएगा तो ये मुल्क खराब हो जाएगा, तरक्की नहीं करेगा, मुल्क में ऐतमाद बाकी नहीं रहेगा और यहां के बसने वाले कानून, इंसाफ, भलाई, इंसानियत, सब चीजों से महरूम हो जाएंगे और उसका नतीजा मुल्क को बदतरीन हालात से भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत अपने फ़र्ज को दयानतदारी से अंजाम दे और हुकूमत अपने मामलात में खुसूसन कानून और इंसाफ के बारे में किसी किस्म के फर्क को, इम्तियाज़ को हरगिज जायज़ न रखे और इसको न होने दे। लेकिन हमारे मुल्क में पिछले 40 बरस के अंदर कई हजार फसादात हो चुके हैं उनके असबाब पर गहरी नज़र नहीं पड़ती और प्रेस निहायत तआस्सुब के साथ, गैर-जानिबदारी और गलत किस्म का रोल अदा करता है। फसादात को फैलाता, बढ़ाता और मुस्तहिल करता है। सरकारी मशीनरी ईमानदारी से काम नहीं करती। फसादात में खुलकर हिस्सा लेती है और अकल्लियतों को तबाह करती है, लुटवाती है, जान से कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं, जिन्दा जलाए जाते हैं, औरतें जलाई जाती हैं, दूध पीते बच्चे जलाए जाते हैं, कोई कानून कोई इंसाफ, किसी किस्म की इंसानियत बरती नहीं जाती और मुजरिम दिनदहाड़े हजारों, सैकड़ों की भीड़ में सब कुछ करते हैं, सब देखते हैं और कोई मुजरिम आज तक हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है जिसको फांसी दी गई हो। खान अब्दुल गफ्फारखान साहब हिन्दुस्तान आए थे मरहूम और सेंट्रल हॉल में हम सब ने उनका इस्तकबाल किया था। उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछा था कि इस मुल्क में, गांधी जी के मुल्क में इतने फसादात हुए, कितने मुजरिमों को

फांसी दी गई? कोई जवाब नहीं दिया जा सका। तो हमारी मशीनरी कम्यूनल है और हुकूमत उसकी पूरी जानिबदारी, तरफदारी करती है और वह तमाम जरायम करवाती है और फसादात होते हैं, कत्ल किए जाते हैं, लूटे जाते हैं और मुजरिम न पकड़े जा सके इसलिए उन मजलूमों को जख्मी हालत में हड्डियां टूटी हुई, गिरफ्तार करके मुजरिम बनाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है। कई-कई घंटे पिटने, लहूलुहान होने, हड्डियां टूटने के बाद अगर वह पानी मांगते हैं तो कहते हैं कि इनके मुंह में मूत दो, पेशाब कर दो, पानी क्यों मांग रहे हैं और किसी को एफ०आई०आर० दर्ज कराने का कानूनी हक नहीं दिया जाता है। अगर कोई एफ०आई०आर० लेकर जाए तो उसको गिरफ्तार करके उसी कटघरे में बंद कर दिया जाता है इस जुर्म में कि वह मुजरिमों को निशानदेही करने, नाम लेने और उनको हुकूमत की फाइल में लिख करके यह देने के क्यों आया कि फलां-फलां आदमी कत्ल में, लूटने में, आग लगाने में मलब्बत है। इसलिए इस जुर्म में उनको कि यह लिखकर क्यों लाया है। उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। तो सरकारी मशीनरी में कोई शख्स ईमानदारी से काम करे यह हो नहीं सकता। अगर कोई अफसर फसाद रोकने के लिए काम करता है तो कामयाब हो जाता है लेकिन उसका फौरान धमकी दी जाती है कि तुम इस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, तुमको हटना पड़ेगा। और उसकी सजा में दिन नहीं गुजरता कि उसका हटा दिया जाता है। जो ईमानदारी से काम करे और फसाद को रोके उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ती है। उसको जलील किया जाता है और उसको हटा दिया जाता है। हुकूमत के अफसरान यह करते हैं, बड़े अफसरान करते हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर)**: पीठासीन हुए]

उसको शाबाशी नहीं देते, ईनाम नहीं देते फसाद रोकने पर और जो खुलकर फसादात करवाते हैं उनको इनामात मिले हैं, तरक्कीयात मिलती हैं, अंदर अंदर सब कुछ होता है और उनको न कोई सस्पेंड करता है, और यह कह दिया जाता है कि तहकीक होगी, उसके बाद में सजा दी जाएगी, लेकिन न तहकीक होती है न सजा मिलती है, न कुछ होता है। ऐसे हालात में मुसलमान अकल्लियत है और इस मुल्क में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ इम्तियाज ऐजुकेशन में हैं, नौकरी में हैं, तरक्कीयात में हैं, उनके गांव में सड़कों के बनने में हैं, पुलों के बनने में हैं बिजली के लगने में और मिलने में हैं। इम्तियाज उनके साथ जान की हिफाजत में हैं, माल की हिफाजत में है, इंसाफ में है, कानून में हैं, जिन्दगी के हर शोबे में जबरदस्त इम्तियाज से गुजर रहे हैं, मुसलमान 40 वर्ष हो चुके हैं और पूरे तरीके से इस तरीके से इंसाफ और कानून हासिल करने में नाकाम है। तो इनके साथ ये सब चीजें बरती जाती हैं। अभी आसाम में ए०जी०पी० की हुकूमत के जमाने में 30 आदमी नौजवान कंपिटिशन में फस्ट, प्रथम आ गए। उनमें से एक भी आदमी नहीं लिया गया। उस लिस्ट को छोड़ कर दूसरी लिस्ट ले ली गई। (**समय की घंटी**) मैं मुख्तसर कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री मौलाना असद मदनी: मुझे माफ कीजियेगा। यह मामला ही हमारे बारे में है। अगर हमें ही मौका नहीं देंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका देंगे जो कुछ नहीं चाहते मुल्क के अंदर यह ठीक नहीं है। हमें मौका दीजिए ताकि कुछ तल्ख बातें यहां हो और मुल्क को जरूरत महसूस हो कि मुल्क जानवरों का मुल्क बनेगा या इंसानों का मुल्क बनेगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): आप जरूर कहिये लेकिन और भी बोलना चाहते हैं।

श्री मौलाना असद मदनी: मैं खुद मुख्तसर कर रहा हूं। मुझे अहसास है बड़ी मुश्किल होगी। यह सूरतेहाल बराबर चली आती है जिंदगी के हर शोबे में। इस मुल्क में कानून और इंसाफ को

[मौलाना असद मदनी]

बलायताक रखकर कम्युनल किस्म का कत्ल करने वाली, कत्ल की ट्रेनिंग देने वाली, नजायज हथियार रखने वाली आर०एस०एस० जैसी तंजीमे हैं जिसने गांधी जी का कत्ल किया। इस मुल्क में बजरंग दल जैसी तंजीमें मौजूद हैं जो तसद्दुद हथियारों का, जुल्म का, कम्युनलिज्म का, फिरकापरस्ती का बोलबाला करना चाहती हैं। शिवसेना जैसी तंजीमें मौजूद हैं जो हर वक्त धमकियां देती हैं, जो किसी को भी जिंदा देखना नहीं चाहती और कानून उनके लिए नहीं है। बाकायदा लाखों वालियंटर को शाखाएं बनाकर ट्रेनिंग दी जाती है खुफिया हथियारों से कत्ल करने की। उसके लिए प्लान बनते हैं। यह सब कुछ हो रहा है और हुकूमत का कानून बेबस है। फौज है, पुलिस है, मुल्क की हिफाजत के लिए तो फिर क्या जरूरत है कम्युनल किस्म के तंजीमों की। जब मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे तो हम उनसे मिले थे और मौजूदा मुल्क की फिरकेवाराना सूरतेहाल के मुताबिक बातचीत की। वह कहने लगे आर. एस०एस० के लोग आये थे। मैंने कहा उनको कि तुम मुसलमान को कत्ल करके खत्म नहीं कर सकते। मोरारजी भाई देसाई जी का यह एतराज इस बात की दलील है उनका यह ऐम है कि मुसलमानों को या तो खत्म करो या शूद्र बनाओ या बाइज्जत जिन्दगी को खत्म कर दो इस तरह के दसियों तंजीमें मुल्क में हैं। हुकूमत और कानून बेबस है। अकलियतों को इंसाफ और कानून के नाम पर कोई चीज नहीं मिलती। यह जरायम फैला रहे हैं। तमाम साजिशें इसलिए हो रही हैं कि यहां मुल्क में करोड़ों जो पहले शूद्र थे वे खत्म हो गये इसलिए दूसरों को शूद्र बना दो। तमाम मिशनरी जुल्म का साथ देती है और कोई इन्साफ दिलाने के लिए अगर ऐसी सूरत में कमीशन बनता है जो अकलियतों के इन्साफ के लिए कुछ लिखे, पढ़े, देखे, अपना फर्ज अदा कर सके, उसको अख्तियार किसी किस्म का हासिल हो तो आज परेशानी होती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए, जरूर हो वह भी कीजिए आप। लेकिन अकलियतों की अलग मसाइल हो। एक वाकया नहीं, दो वाकया नहीं, सौ वाकया नहीं, हजारों बार फसाद हो चुके हैं, लाखों कत्ल किये जा चुके, बेकसूर बच्चे, औरतें सैकड़ों, हजारों कत्ल हो चुके, जिंदा जलाये गये लेकिन तब भी इस मुल्क में ऐसा कमीशन नहीं होना चाहिए यह कहा जाए, यह मुल्क के साथ बुराई है। इससे बड़ी दिलेरी क्या होगी?

चे दिलावर अस्त दुजदे
के बकफ चिराग दारद।

वह कत्ल कर देते हैं और वही कहते हैं इसका तहकीकाती कमीशन नहीं बनाओ। इससे बड़ी धांधली और दिलेरी क्या होगी। बुराई तो है ही। यह दिलेरी का आलम है कि यहां आकर हाऊस में इसके खिलाफ तकरीरें करें। जुल्म, जरायम करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे लाखो वालियंटरों को। फौज मौजूद है हिफाजत के लिए फिर भी नाकाम है। सब कुछ करेंगे लेकिन किसी को हक नहीं है कि इस मजलूम को हक दिलाएं। इसलिए मैं इस बात को मुख्तसर करते हुए चेयर के हुक्म की तामीर करते हुए बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन यह कहना निहायत जरूरी है कि अगर हुकूमत ने ताखीर की है, जिस-जिस हुकूमत ने की है वह मुजरिम है। कांग्रेस की हुकूमत ला रही है वह काबिले मुबारकबाद है। इस काम को फौरन करना चाहिए सही तौर पर अच्छे लोग लाने चाहिए ताकि इस मुल्क की इज्जत रहे। यह मुल्क बचे, तरक्की करे, इंसानियत रहे, अमन हो, कानून हो, लोगों का मरना वगैरह तो होता ही रहता है, लेकिन यह मुल्क तब ही रहेगा, जब इंसान के लिये कानून की हिफाजत हो। लोगों को जुल्म के खिलाफ इंसाफ मिले, हिन्दू-मुसलमान में फर्क न देखा जाये, न जालिम में, न मजलूम में। न जालिम में और न मजलूम में कानून की इज्जत है। अगर कोई मजलूम मुसलमान है तो उसकी न कोई इज्जत है न हथियार है, न सहूलियत है, न इन्साफ है, न अदालत है, न मुकदमे हैं, न कानून है, न एफ०आई०आर० दर्ज करने का हक हासिल है। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं।

مولانا اسعد مدنی: جناب نائب صدر صاحب۔ راجیو گاندھی جی کے وعدے کے مطابق کانگریس حکومت نے یہ اقلیتی کمیشن بل لاکر اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور فخر کے ساتھ ہم اس بل کی تائید کرتے ہیں۔ یہ ملک حقیقت میں اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے اور یہاں اگر سینے کو وسیع کر کے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کر کے صحیح طریقہ سے شریف پڑوسیوں کے ساتھ نہیں رہا جائے گا تو یہ ملک خراب ہو جائے گا۔ ترقی نہیں کرے گا۔ ملک میں اعتماد باقی نہیں رہے گا اور یہاں کے بسنے والے قانون۔ انصاف۔ بھلائی۔ انسانیت سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ ملک کو بدترین حالات سے بھگتنا پڑے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ حکومت اپنے فرض کو دیانتداری سے انجام دے اور حکومت اپنے معاملات میں خصوصاً قانون اور انصاف کے بارے میں کسی قسم کے فرق کو۔ امتیاز کو ہرگز جائز نہ رکھے۔ اور اس کو نہ ہونے دے۔ لیکن ہمارے ملک میں پچھلے ۴۴ برس کے اندر کئی ہزار فسادات ہو چکے ہیں۔ ان کے اسباب پر گہری نظر نہیں پڑتی اور پریس نہایت تعصب کے ساتھ غیر ذمہ داری اور غلط قسم کا رول ادا کرتا ہے۔ فسادات کو پھیلاتا۔ بڑھاتا اور مشتعل کرتا ہے۔ سرکاری مشینری ایمانداری سے کام نہیں کرتی۔ فسادات میں کھل کر حصہ لیتی ہے اور اقلیتوں کو تباہ کرتی ہے۔ لڑاتی ہے۔ جان سے قتل کئے جاتے ہیں۔ مارے جاتے ہیں۔ جلائے جاتے ہیں۔ عورتیں جلائی جاتی ہیں دودھ پیتے بچے جلائے جاتے ہیں۔ کوئی قانون کوئی انصاف کسی قسم کی انسانیت برتی نہیں جاتی اور مجرم دن دہاڑے ہزاروں کروڑوں سینکڑوں کی بھیڑ میں سب کچھ کرتے ہیں سب دیکھتے ہیں اور کوئی مجرم آج تک ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے جس کو پھانسی دی گئی ہو۔ خان عبدالغفار خان ہندوستان آتے تھے۔ مرحوم اور سنٹرل ہال میں ہم سب نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے پوچھا تھا کہ اس ملک میں گاندھی جی کے ملک میں اتنے فسادات ہوئے۔ کتنے مجرموں کو پھانسی دی گئی۔ کوئی جواب نہیں دیا جا سکا تو ہماری مشینری کمیونل ہے اور حکومت اس کی پوری جانبداری طرفداری کرتی ہے اور وہ تمام جرائم کرواتی ہے۔ اور فسادات ہوتے ہیں۔ قتل کئے جاتے ہیں۔ لوٹے جاتے ہیں۔ اور مجرم نہ پکڑے جا سکیں۔ اس لئے ان مظلوموں کو

زخمی حالت میں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی۔ گرفتار کر کے مجرم بنا کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کئی کئی گھنٹے پٹتے لہولہان ہوتے ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد اگر وہ پانی مانگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں موت دو۔ پیشاب کر دو۔ پانی کیوں مانگ رہے ہیں۔ اور کسی کو ایف۔ آئی۔ آر۔ درج کرانے کا قانونی حق نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایف آئی آر سے کر جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر کے اس کٹگھرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس جرم میں کہ وہ مجرموں کی نشاندہی کرنے۔ نام لینے اور ان کو حکومت کی فائل میں لکھ کر کے یہ دینے کیوں آیا کہ فلاں فلاں آدمی قتل میں۔ لوٹنے میں۔ آگ لگانے میں ملوث ہے۔ اس لئے اس جرم میں ان کو یہ لکھ کر کیوں لایا ہے اس کو بھی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو سرکاری مشینری میں کوئی شخص ایمانداری سے کام کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی افسر فساد روکنے کے لئے کام کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو فوراً دھمکی دی جاتی ہے کہ تم اس کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے۔ تم کو ہٹنا ہو گا اور اس کو سزا ملیں۔ دن نہیں گزرتا کہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے جو ایمانداری سے کام کرے اور

فساد کو روکے اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ حکومت کے افسران یہ کرتے ہیں بڑے افسران یہ کرتے ہیں اس کو شاباشی نہیں دیتے۔ انعام نہیں دیتے۔ فساد روکنے پر اور جو کھل کر فساد کرواتے ہیں۔ ان کو انعامات ملتے ہیں۔ ترقیات ملتی ہیں۔ اندر اندر سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ان کو نہ کوئی سسپینڈ کرتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تحقیق ہوگی اس کے بعد میں سزا دی جائے گی لیکن نہ تحقیق ہوتی ہے نہ سزا ملتی ہے۔ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور اس ملک میں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ امتیاز ایجوکیشن میں ہے۔ نوکری میں ہے۔ ترقیات میں ہے۔ ان کے گاؤں میں سڑکوں کے بننے میں ہے۔ پلوں کے بننے میں ہے۔ بجلی کے لگنے میں اور ملنے میں ہے۔ امتیاز ان کے ساتھ جان کی حفاظت میں ہے۔ مال کی حفاظت میں ہے انصاف میں ہے۔ قانون میں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں زبردست امتیاز سے گزر رہے ہیں مسلمان۔ ۴۵ برس ہو چکے ہیں اور پورے طریقے سے اس طریقے سے انصاف اور قانون حاصل کرنے میں ناکام

والی۔ ناجائز ہتھیار رکھنے والی آر۔ ایس۔ ایس جیسی تنظیمیں ہیں جس نے گاندھی جی کا قتل کیا۔ اس ملک میں بجرنگ دل جیسی تنظیم موجود ہے۔ جو تشدد کا ہتھیار لیا کا ظلم کا، کمیونزم کا۔ فرقہ پرستی کا بول بالا کرنا چاہتی ہے۔ شیوسینا جیسی تنظیمیں موجود ہیں۔ جو ہر وقت دھمکیاں دیتی ہے جو کسی کو بھی زندہ دیکھنا نہیں چاہتی اور کوئی قانون ان کے لئے نہیں ہے۔ باقاعدہ لاکھوں والنٹیر کی شاکھائیں بنا کر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ خفیہ ہتیاروں سے قتل کرنے کی۔ اس کے لئے پلان بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور حکومت کا قانون بے بس ہے۔ فوج ہے۔ پولیس ہے۔ ملک کی حفاظت کے لئے تو پھر کیا ضرورت ہے کمیونل قسم کی تنظیموں کی۔ جب مرارجی بھائی پرائم منسٹر تھے۔ تو ہم ان سے ملے تھے اور موجودہ ملک کی فرقہ وارانہ صورت حال کے مطابق بات چیت کی۔ وہ کہنے لگے کہ آر۔ ایس۔ ایس کے لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا ان کو کہ تم مسلمانوں کو قتل کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ مرارجی بھائی دیسائی جی کا یہ اعتراض اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ ایم ہے کہ مسلمانوں کو یا تو ختم کر دو یا شودر بنا دو یا باعزت زندگی کو ختم کر دو۔ اس طرح کی

ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ سب چیزیں برتی جاتی ہیں۔ ابھی آسام میں اے۔ جی۔ پی کی حکومت کے زمانے میں ۲۰ آدمی نوجوان کمپٹیشن میں فرسٹ۔ پرتھم آ گئے۔ ان میں ایک بھی آدمی نہیں لیا گیا۔ اس لسٹ کو چھوڑ کر دوسری لسٹ لے لی گئی۔ . .

"وقت کی گھنٹی"۔ . . میں مختصر کر رہا ہوں۔

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر چندریش پی۔ ٹھاکر) : بہت سے لوگ بولنے والے ہیں۔

مولانا اسعد مدنی : مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ معاملہ ہی ہمارے بارے میں ہے۔ اگر ہمیں ہی موقع نہیں دیں گے اور صرف انہی لوگوں کو موقع دیں گے جو کچھ نہیں چاہتے ملک کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں موقع دیجئے تاکہ کچھ تلخ باتیں یہاں ہوں اور ملک کو ضرورت محسوس ہو کہ ملک جانوروں کا ملک بنے گا۔ یا انسانوں کا ملک بنے گا۔

اپ سبھا ادھیکش : آپ ضرور کہئے۔ لیکن اور بھی بولنا چاہتے ہیں۔

مولانا اسعد مدنی : میں خود مختصر کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے بڑی مشکل ہوگی۔ یہ صورت حال برابر چلی آتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ اس ملک میں قانون اور انصاف کو بالائے طاق رکھ کر کمیونل قسم کی قتل کرنے والی قتل کی ٹریننگ دینے

وہ قتل کر دیتے ہیں اور وہی کہتے ہیں اس کا تحقیقاتی کمیشن نہ بناؤ۔ اس سے بڑی دھاندھلی اور دلیری کیا ہوگی برائی تو یہ ہے ہی۔ یہ دلیری کا عالم ہے۔ کہ یہاں آ کر ہاؤس میں اس کے خلاف تقریریں کریں ظلم جرائم کریں گے ہم ٹریننگ دیں گے۔ لاکھوں والنٹیرز کو۔ فوج موجود ہے۔ حفاظت کے لئے پھر بھی ناکام ہے۔ سب کچھ کریں گے لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ اس مظلوم کو حق دلائیں۔ اس لئے میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے چیئر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ کہنا نہایت ضروری ہے کہ اگر حکومت نے تاخیر کی ہے جس جس حکومت نے کی ہے۔ وہ مجرم ہے۔ کانگریس حکومت لا رہی ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ اس کام کو فوراً کرنا چاہیئے۔ صحیح طور پر اچھے لوگ لانے چاہیئے۔ تاکہ اس ملک کی عزت رہے یہ ملک نیچے ترقی کرے۔ انسانیت رہے امن ہو۔ قانون ہو۔ لوگوں کا مرنا وغیرہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن یہ ملک تب ہی رہے گا جب انسان کے لئے قانون کی حفاظت ہو۔ لوگوں کو ظلم کے خلاف دسیوں تنظیمیں ملک میں ہیں۔ حکومت اور قانون بے بس ہے۔ اقلیتوں کو انصاف اور قانون کے نام پر کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ جرائم پھیلا رہے ہیں۔ تمام سازشیں اس لئے ہو رہی ہیں کہ یہاں ملک میں کروڑوں جو پہلے شدر تھے۔ وہ ختم ہو گئے۔ اس لئے دوسروں کو شدر بنا دو۔ تمام مشینری ظلم کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی انصاف دلانے کے لئے اگر ایسی صورت میں کمیشن بنتا ہے۔ جو اقلیتوں کے انصاف کے لئے کچھ لکھے پڑھے دیکھے۔ اپنا فرض ادا کر سکے۔ اس کو اختیار کسی قسم کا حاصل ہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن ہونا چاہیئے ضرور ہو وہ بھی کیجئے آپ لیکن اقلیتوں کے الگ مسائل ہوں۔ ایک واقعہ نہیں ہے۔ دو واقعہ نہیں۔ سو واقعہ نہیں ہزاروں فسادات ہو چکے ہیں لاکھوں قتل کئے جا چکے ہیں۔ بے قصور بچے۔ عورتیں سینکڑوں ہزاروں قتل ہو چکے ہیں۔ زندہ جلائے گئے لیکن تب بھی اس ملک میں ایسا کمیشن نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ کہا جائے۔ یہ ملک کے ساتھ برائی ہے۔ اس سے بڑی دلیری کیا ہوگی

چہ دلاور است دزدے
کہ بکف چراغ دارد

انصاف ملے۔ ہندو مسلم میں فرق نہ دیکھا جائے۔ نہ ظالم میں نہ مظلوم میں نہ ظالم میں اور نہ مظلوم میں قانون کی عزت ہے۔ اگر کوئی مظلوم مسلمان ہے تو اس کی نہ کوئی عزت ہے نہ ہتیار ہے نہ سہولت ہے۔ نہ انصاف ہے نہ عدالت ہے نہ مقدمیں ہیں۔ نہ قانون ہے۔ نہ ایف۔ آئی۔ آر درج کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی تائید کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

"ختم شد"

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस-चेयरमैन साहब, मैं अपनी तकरीर की इबतदा एक शेर से करना चाहूंगा—

> छांव के बदले धूप दी सदा दुनिया ने,
> हमने दिल फूंक के दुनिया को उजाला
> दिया।

मैं इस नेशनल कमीशन फार माइनोरिटीज बिल, 1992 की भरपूर ताईद करने के लिए खड़ा हूं। हिन्दुस्तान को आजाद हुए कोई 45 साल हो रहे हैं। मगर इन 45 सालों में अकलियतों के साथ जो नाइंसाफी की गई है वह अजहर मिनसम्स है। उसके तफसील में जाने की कतई जरूरत नहीं है। यह बिल जो है यह तमाम अकलियतों का एक डेरिना मुतालबा है और वक्त की एक अहम तरीन जरूरत थी। चुनांचे इस बात को महसूस करते हुए 1989 में नेशनल फ्रन्ट ने अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में इस बात का वायदा किया था कि अकलियतों के कमीशन को स्टेट्यूटरी दर्जा, दस्तूरी दर्जा, दिया जाएगा। मगर उस नेशनल फ्रन्ट की सरकार का दौर सिर्फ 11 महीने तक रहा और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस मुश्किल हालात में इस गुजरा। फिर भी इस मुक्तसर दौर में जो कुछ नेशनल फ्रन्ट की सरकार ने किया वह काबिले तहसीन है। इस बिल को अमली जामा पहनाने से पहले वह नेशनल फ्रन्ट की गवर्नमेंट खत्म हो गई। इस अकलियती कमीशन को स्टेट्यूटरी पावर देने का तसव्वुर नेशनल फ्रन्ट की हुकूमत के सामने था कि दस्तूर में तरमीम की जाय, उसके बदले में यह बिल जो लाया गया है यह एक मजदूर किस्म का बिल है। जिस तरह से एस. सी. और एस. टी. कमीशन को दस्तूरी मोकफ दिया गया है, जिस तरह से नेशनल कमीशन फार वोमेन को दस्तूरी दर्जा दिया गया है उसी तरह से इस माइनोरिटीज कमीशन को दस्तूरी दर्जा दस्तूर में तरमीम करके दिया जाना चाहिए था। मगर पता नहीं क्यों अचानक मोकफ में तबदीली आई और इस बिल के जरिये इस कमीशन को यह दर्जा दिया जा रहा है। अभी भी मैं कहूंगा हुकूमते हिन्द से, और खास तौर पर श्री सीताराम केसरी जी से कहूंगा कि दस्तूर में तरमीम की जाय और इस कमीशन को दस्तूरी दर्जा दिया जाय।

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बिल पास भी हो जाएगा। मगर इसमें जब तक हुकूमत की नीयत साफ न हो उस वक्त तक इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा। इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए हुकूमत की नीयत साफ होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में तमाम माइनोरिटीज का एक सोशियो इकनोमिक सर्वे कराया जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तेलुगु देशम की हुकूमत ने अपने सात साल के वक्त में आन्ध्र प्रदेश में माइनोरिटीज कमीशन के जरिये माइनोरिटीज का सोशियो इकनोमिक सर्वे कराया था। उसी तरह से पूरे मुल्क में माइनोरिटीज का एक सोशियो इकनोमिक सर्वे कराया जाना चाहिए और उस सर्वे के बाद जो बात सामने आये उसकी रोशनी में काम किया जाय। कहां पर कमियां रह गई हैं कहां पर कोताही रह गई है, उन बातों को सामने रखते हुए वह कमीशन सिफारिश करें। अकलियतों की जो माली हालत है,

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

उसमें जो कमजोरी है, उनकी तालीम में जो कमी और कमजोरी है, सोशियल फील्ड में जो कमजोरी है उनको दूर किया जाय। लिहाजा, आप इस कमीशन को कानूनी दर्जा दे रहे है तो सही मायनों में इसके एम्ज और आब्जेक्ट्स का आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माइनोरिटीज का एक सोशियो इकनोमिक सर्वे कराना चाहिए। तो इसके लिए आप सोशो-एकानामिक सर्वे जरूर कराइये। हमारे मुल्क में इन 45 सालों में जो हजारों फसादात हुए हैं, उन फसादात की रोकथाम के लिये इस बिल में कोई खास प्राविजन नहीं किया गया है सिवाय इसके कि यह माइनारिटी कमीशन हुकूमत को सिफारिश करे। पर हुकूमत पर यह पाबंदी भी नहीं लगायी गई है कि इन सिफारिशों को मिन-व-अन तसलीम किया जाय, यह भी इसमें पाबंदी नहीं है। जब तक आप इस बिल के जरिये हुकूमत यो इसके लिये पाबंद नहीं करते कि माइनारिटीज कमीशन की जो भी सिफारिसात हैं उन सिफारिसात को तसलीम किया जाय तब तक कोई फायदा नहीं होगा : जनाब व इस-चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनाब सीताराम केसरी साहब ने माइनारिटीज के लिये नेशनल लेवल पर एक फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने का वायदा किया था। तीन-चार महीने पहले कैपिटल दिल्ली में पूरे मुल्क के माइनारिटीज के रिप्रजन्टेटिव्स को बुलाकर एक सेमीनार एक कान्फ्रेंस की गयी थी। मगर तीन-चार महीने होने के बावजूद इस ताल्लुक से अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माइनारिटीज के लिये फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने की जो तहरीक शुरू हुई थी उसका क्या हश्र हुआ। जल्द से जल्द इस बात की बेहद जरूरत है कि माइनारिटीज के लिये नेशनल लेवल पर एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन कायम किया जाय। इस तरह मैं आपके जरिये हुकूमते हिन्द से यह भी कहूंगा कि केसरी साहब ने वक्फ एक्ट, 1984 में तरमीम करके एक नया ऐक्ट लाने का वायदा किया है। इस सिलसिले में न सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स आफ पार्लियामेंट की दो या तीन दफे मीटिंग बुलाई गई बल्कि इससे हटकर सैंट्रल व कौंसिल के अराकीन की मीटिंग मेंबर पार्लियामेंट के साथ बुलाई गई थी और यह वायदा किया गया था कि इसके पहले के सेशन या बजट सेशन में उस मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट ऐक्ट को लाया जायेगा। मगर इन तमाम मीटिंग्स के बावजूद आज तक, आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, मगर वह ऐक्ट नदारद है। लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट ऐक्ट जल्द से जल्द लेकर आयें।

फिर तीसरी चीज मैं और कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने देश के मुसलमानों के लिये, अकलियतों के लिये 15-प्वाइंट प्रोग्राम बनाया था। मगर उस 15-प्वाइंट प्रोग्राम का क्या हश्र हुआ। मुल्क के बड़े-बड़े इंटलुक्चुअल, हस्ता के अब जो मौजूदा माइनारिटी कमीशन है उसकी भी यह राय है कि वह 15 प्वाइंट प्रोग्राम मजकूल किस्म का होकर रह गया है और वह अकलियतों की फलह-बहबूदी के लिये, अकलियतों के तहफुज के लिये बेमानी होकर यह गया है। जरूरत इस बात की है कि 15-प्वाइंट प्रोग्राम को फिर से दुबारा रीफ्रेम किया जाय। 15-प्वाइंट बनाइये, 20-प्वाइंट बनाये या 25-प्वाइंट बनाये एक जामे किस्म का प्रोग्राम माइनारिटीज की फलह और बबूदी के लिये बनाया जाय, यह मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा।

फिर तीसरी बात...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): आखिरी बात।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान: यह आखिरी बात रहेगी और वह यह है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्दू लैंग्वेज का हमारे मुल्क में क्या मोकफ है। उर्दू जुबान हमारे मुल्क में तकरीबन सारे देश में बोली और समझी जाती है मगर इंसिहाई अफसोस की बात है कि इस जुबान की ऐसी जबूहाली है कि इसका हम ईजहार नहीं कर सकते। किसी रियासत में उर्दू जुबान को कोई

मोकफ नहीं दिया गया है । देखा यह जा रहा है एक सोचे समझे मंसूबे से उर्दू जुबान को खत्म किया जा रहा है । जरूरत इस बात की है उर्दू जुबान को उसका सही मोकफ दिया जाय । जिन-जिन रियासतों में उर्दू जुबान बोलने वालों की खासी तादाद है वहां पर उस जुबान को तसलीम किया जाय और उस जुबान की तालीम वगैरह का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाय । जनाब वाइस-चेयरमैन साहब, मैं आपके तसव्वुत से ये चंद तजवीज हुकूमत के सामने रख रहा हूं । मैं चाहूंगा कि हमारे मोअज्जिम मिनिस्टर साहब अपने जवाब में कहें कि वाकतान ये बात हैं

3.00 P.M जिसके जरिये हम माइनारिटीज को तसल्ली दे सकेंगे और माइनारिटीज की प्राब्लम को हल कर सकेंगे । इसके साथ मैं फिर एक दफा आपका शुक्रिया अदा करते हुए मुअज्जिज सीताराम केसरी जी को मुबारकबाद दूंगा कि देर से ही मगर दुरुस्त है कि वे अपना यह बिल लेकर आए हैं । इस बिल के कामयाब होने के बाद आप इस बात की भरपूर कोशिश कीजिएगा कि जिस मकसद के लिए जिस तस्वीर को सामने रखते हुए बिल को लेकर आये हैं उसका सही सही मायनों में इम्प्लीमेंटेशन हो सके । शुक्रिया ।

†[محمد خلیل الرحمٰن (آندھرا پردیش): جناب وائس چیئرمین صاحب۔ میں اپنی تقریر کی ابتدا ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔

چھاؤں کے بدلے دھوپ دی سدا دنیا نے
ہم نے دل پھونک کر دنیا کو اجالا دیا

میں اس نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز بل ۱۹۹۲ کی بھرپور تائید کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے کوئی ۴۵ سال ہو رہے ہیں مگر ان ۴۵ سالوں میں اقلیتوں کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے یہ بل جو ہے یہ تمام اقلیتوں کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور وقت کی ایک اہم ترین ضرورت تھی۔ چنانچہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ۱۹۸۹ میں نیشنل فرنٹ نے اپنے الیکشن مینی فیسٹو میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اقلیتوں کے کمیشن کو اسٹیچوٹری درجہ دستوری درجہ دیا جائے گا مگر اس نیشنل فرنٹ سرکار کا دور صرف ۱۱ مہینے تک رہا اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس مشکل حالات میں وہ گزرا۔ پھر بھی اس مختصر دور میں جو کچھ نیشنل فرنٹ سرکار نے کیا وہ قابل تحسین ہے۔ اس بل کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے وہ نیشنل فرنٹ کی گورنمنٹ ختم ہوگئی۔ اس اقلیتی کمیشن کو اسٹیچوٹری پاور دینے کا تصور نیشنل فرنٹ کی حکومت کے سامنے تھا کہ دستور میں ترمیم کی جائے

اس کے بدلے میں یہ جو بل لایا گیا ہے یہ ایک مجہول قسم کا بل ہے۔ جس طرح سے ایس سی۔ ایس۔ ٹی کمیشن کو دستوری موقف دیا گیا ہے جس طرح سے نیشنل کمیشن فار وومین کو دستوری درجہ دیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس مائنارٹیز کمیشن کو دستوری درجہ دستور میں ترمیم کرکے دیا جانا چاہیئے تھا۔ مگر پتہ نہیں کیوں اچانک موقف میں تبدیلی آئی اور اس بل کے ذریعے

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

اس کمیشن کو یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی میں کہوں گا حکومت ہند سے اور خاص طور پر شری سیتا رام کیسری جی سے کہوں گا کہ دستور میں ترمیم کی جائے اور اس کمیشن کو دستوری درجہ دیا جائے۔

آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بل پاس بھی ہو جائے گا۔ مگر اس میں جب تک حکومت کی نیت صاف نہ ہو اس وقت تک اس بل کا امپلیمینٹیشن نہیں ہو سکے گا۔ اس بل کا امپلی مینٹیشن ہونے کے لئے حکومت کی نیت صاف ہونی چاہئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں تمام مائنارٹیز کا ایک اکونومک سروے کرایا جائے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تیلگو دیشم کی حکومت نے اپنے سات سال کے وقت میں آندھرا پردیش میں مائنارٹیز کمیشن کے ذریعے مائنارٹیز کا سروے کرایا تھا۔ اس طرح سے پورے ملک میں مائنارٹیز کا ایک سوشیو اکونومک سروے کرایا جانا چاہئے اور اس سروے کے بعد جو بات سامنے آئے اس کی روشنی میں کام کیا جائے۔ کہاں پر کمیاں رہ گئی ہیں۔ کہاں پر کوتاہی رہ گئی ہے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کمیشن سے سفارش کرے۔ اقلیتوں کی جو معاشی حالت ہے۔ اس میں جو کمزوری ہے۔ ان کی تعلیم میں جو کمی اور کمزوری ہے سوشیل فیلڈ میں جو کمزوری ہے ان کو دور کیا جائے۔ لہٰذا آپ اس کمیشن کو قانونی درجہ دے رہے ہیں تو صحیح معنوں میں اس کے ایمز اور آبجیکٹس کا امپلی مینٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو مائنارٹیز کا ایک سوشیو اکونومک سروے کرانا چاہئے تو اس کے لئے آپ سوشیو اکونومک سروے ضرور کرائیے۔ ہمارے ملک میں ان ۴۵ سالوں میں جو ہزاروں فسادات ہوئے ہیں۔ ان فسادات کی روک تھام کے لئے اس بل میں کوئی پروویژن نہیں کیا گیا ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ مائنارٹی کمیشن حکومت کو سفارش کرے۔ پر حکومت پر یہ پابندی بھی نہیں لگائی گئی ہے کہ ان سفارشوں کو من و عن تسلیم کیا جائے۔ یہ بھی اس میں پابندی نہیں لگائی ہے جب تک آپ اس بل کے ذریعے حکومت کو اس کے لئے پابند نہیں کرتے کہ مائنارٹیز کمیشن کی جو بھی سفارشات ہیں ان سفارشات کو تسلیم کیا جائے۔ تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جناب وائس چیئرمین صاحب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب وائس چیئرمین صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب

سیتارام کیسری صاحب نے مائنارٹیز کے لئے نیشنل لیبل پہ ایک فائننس ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تین چار مہینے پہلے کیپٹل دلی میں پورے ملک کے مائنارٹیز کے نمائندوں کو بلا کر ایک سیمنار ایک کانفرنس کی گئی تھی۔ مگر تین چار مہینے ہونے کے بعد بھی اس تعلق سے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مائنارٹیز کیلئے فائنانشیل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنانے کی جو تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس کا کیا حشر ہوا۔ جلد سے جلد اس بات کی بیحد ضرورت ہے کہ مائنارٹیز کے لئے نیشنل لیبل پر ایک فائنینشیل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کیا جائے۔ اس طرح میں آپکے ذریعے حکومت ہند سے یہ بھی کہوں گا کہ کیسری صاحب نے وقف ایکٹ ۱۹۸۴ میں ترمیم کر کے ایک نیا ایکٹ لانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں نہ صرف مسلم ممبرس آف پارلیمنٹ کی دو یا تین دفعہ میٹنگ بلائی گئی بلکہ اس سے ہٹ کر سینٹرل کاؤنسل کے اراکین کی میٹنگ ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ بلائی گئی تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے سیشن یا بجٹ سیشن میں اس مسلم وقف ایکٹ کو لایا جائے گا۔ مگر ان تمام میٹنگس کے باوجود آج تک آج پارلیمنٹ کا آخری دن ہے۔ مگر وہ ایکٹ ندارد ہے لہذا میں آپ کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ مسلم وقف امنڈمنٹ ایکٹ جلد سے جلد لیکر آئیں۔

پھر تیسری چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں ختم کرونگا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ نے دیش کے مسلمانوں کے لئے اقلیتوں کے لئے ۱۵ پوائنٹ پروگرام بنایا تھا۔ مگر اس ۱۵ پوائنٹ پروگرام کا کیا حشر ہوا۔ ملک کے بڑے بڑے انٹلیکچول حتیٰ کہ اب جو موجودہ مائنارٹیز کمیشن ہے۔ اس کی بھی یہ رائے ہے کہ وہ ۱۵ پوائنٹ پروگرام مجہول قسم کا ہو کر رہ گیا ہے اور وہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لئے اقلیتوں کے تحفظ کے لئے بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ۱۵ پوائنٹ پروگرام کو پھر دوبارہ فریم کیا جائے۔ ۱۵ پوائنٹ بنائیے ۲۰ پوائنٹ بنائیے یا ۲۵ پوائنٹ بنائیے۔ ایک جامع قسم کا پروگرام مائنارٹیز کی فلاح اور بہبود کے لئے بنایا جائے یہ میں آپ سے درخواست کروں گا۔

پھر تیسری بات۔۔۔

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر چندریش پی۔ ٹھاکر): آخری بات۔

شری محمد خلیل الرحمٰن۔ یہ آخری بات ہوگی اور وہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اردو لینگویج کا ہمارے ملک میں کیا موقف ہے۔ اردو زبان ہمارے ملک میں تقریباً سارے دیش میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس زبان کی ایسی زبوں حالی ہے کہ اس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ کسی ریاست میں اردو زبان کو کوئی موقف نہیں دیا گیا ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے سے اردو زبان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو زبان کو اس کا صحیح موقف دیا جائے۔ جن جن ریاستوں میں اردو زبان بولنے والوں کی خاص تعداد ہے وہاں پر اس زبان کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس زبان کی تعلیم وغیرہ کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے۔ جناب والا، میں چیئرمین صاحب میں آپ کے توسط سے یہ چند تجاویز حکومت کے سامنے رکھ رہا ہوں۔

میں چاہوں گا کہ معزز منسٹر صاحب اپنے جواب میں کہیں کہ واقعتاً یہ باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم مائناریٹیز کو تسلی دے سکیں گے اور مائناریٹیز کی پرابلم کو حل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معزز سیتا رام کیسری جی کو مبارکباد دوں گا کہ دیر سے ہی مگر درست ہے کہ وہ اپنا یہ بل لیکر آئے ہیں۔ اس بل کے کامیاب ہونے کے بعد آپ اس بات کی فکر اور کوشش کیجئے گا کہ جس مقصد کے لئے منسٹر صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے بل کو لیکر آئے ہیں اس کا صحیح معنوں میں اطلاق ہو سکے۔ شکریہ۔

*[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : वाईस चेयरमैन महोदय, राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी की परवानगी से सीताराम केसरी जी इस ऐतिहासिक बिल को सदन में पास करवाने के लिए लाए हैं। माइनारिटी या अल्पसंख्यक की डिफिनीशन कई बेसिस के ऊपर हो सकती है। इसमें रीजन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, रेस हो सकती है, कल्चर हो सकता है, इक्नामिक बैकवार्डनेस हो सकती है, सोशल बैकवार्डनेस हो सकती है। लेकिन जो विधेयक जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं यह अल्पसंख्यक, माइनारिटी या माइनारिटीज वे हैं जिनको हम रिलीजियस बेसिस के ऊपर माइनारिटी मानते हैं। बात अपने आप में अजीब सी भी है लेकिन आज के संदर्भ में, आज के दौर में बात ठीक भी लगने लग पड़ी है। भगवान, ने खुदा ने जब इन्सान को पैदा किया चाहे वह अमीर बाद में बना या गरीब रहा, अपनी जिंदगी में चाहे वह राजा बना या भिखारी रहा, लेकिन जब से यह रहता बसा है और शायद जब तक संसार एक ही ढंग से इन्सान पैदा होता है

और होता रहेगा, और एक ही ढंग से मरता है चाहे उसको बाद में दफना दें या जला दें। जो इस संसार से एक दफा गुजर गया वह दोबारा लौटकर नहीं आया। आज तक का इतिहास हमें यह बताता है। लेकिन हमने समाज ने, सोसाइटी ने एक इन्सान को जब पैदा हुआ तो जनेऊ पहना दिया, दूसरे इन्सान को पगड़ी बंधवा दी, तीसरे ने सुन्नत करवा दी। अपने अपने ढंग से अपनी अपनी सोसाइटीज को हमने बांटकर अलग किया। जब अलग अलग हुए तो फिर इस किस्म की दिक्कतें, इस किस्म के तफरकात होने जरूरी थे। जब वे हुए तो आज इस किस्म के बिल को लाने की जरूरत पड़ी।

देश की आजादी 1947 में हुई। न चाहते हुए भी देश का विभाजन हुआ। शायद लोग न चाहते होंगे उस वक्त जैसा आज महसूस करते हैं कि देश को विभाजित किया जाए लेकिन कुछ लोगों ने मैं यह समझता हूं कि निजी मफाद के लिए, खास तौर पर नाम लेना पता नहीं ठीक हो या न हो, लेकिन जिन्ना साहब जैसे लोग पैदा हुए और उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, निजी स्वार्थ के लिए देश का विभाजन करवा दिया। अंग्रेज चाहते थे कि यहां से जब मैं जाउं तो इस हिंदुस्तान को कमजोर करके जाउं। मैं इस इतिहास में और लम्बा न जाते हुए सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान बना और बचा हुआ हिंदुस्तान अपने आप को हिन्दुस्तान कहलाने लगा। पाकिस्तान ने अगर अपना मुस्लिम रिपब्लिक बनाया तो हिंदुस्तान ने सेक्यूलरिस्ट इंडिया बनाने का बीड़ा उठाया। सेक्युरिज्म की डेफिनिशन अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन वह भी सबजैक्ट ने होते हुए मैं उस तरफ न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से सेक्युलर लार्न्इस के ऊपर गांधी जी ने, पंडितजी ने और उनके साथियों ने उस वक्त देश को ले जाना चाहा, सब से पहले गांधी जी को शहादत देनी पड़ी। जब शहादत देनी पड़ी, तो कम्युनलिज्म का बीज जो पहले बोया जा चुका था, वह उगना शुरू हो गया। कम्युनलिज्म बढ़ते-बढ़ते आज हम इस हद तक आ गये हैं कि हम पालिटिकल गेंस के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं।

डेमोक्रेसी अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, उसके मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं। डेमोक्रेसी के मेरिट्स की तरफ मैं इस वक्त ध्यान न दे पाता हुआ सिर्फ डीमेरिट्स और वह भी एक और वह यह कि आज की तारीख में हम सत्ता में आने के लिए, पार्लियामेंट के मेम्बर के लिए, हम असेम्बली के मेम्बर, एम.एल.ए. बनने के लिए बक्से में से वोट निकलने बहुत जरूरी हैं। उस बकसे में वोट कैसे डलें, उसकी चर्चा कहीं पर नहीं है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम रिलीजयस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लायट करके, आज इन सदनों में आना चाहते हैं।

मेरा मन तो नहीं करता कि मैं किसी पार्टी की तरफ इशारा करूं, लेकिन जब दो से 119 या 120 हो जाते हैं, तो फिर उस तरफ ध्यान जाता ही है और फिर वह समझते हैं कि अगर हमने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, तो इस सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए क्यों न उसी रास्ते पर चला जाए, जिस रास्ते पर चल कर दो से 119 हो गये

श्री संघ प्रिय गौतम : आखिर तो हरेक कोई जानता है। ... **(व्यवधान)**

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : लेकिन अफसोस की बात है कि उस ताकत को हासिल करने के लिए कितने कुचले जाते हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और मैं यह समझता हूं कि चाहे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक काफी सेफगार्ड इस कंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोवाईड किये गये हैं, लेकिन वह आज तक इंप्लिमेंट नहीं हो सके। इसलिए इस किस्म के विधेयकों को, जो आज अल्पसंख्यक विधेयक जिसको

[श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल]

हम कह रहे हैं, उसको पास करने की जरूरत पड़ी।

मैं इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन साथ ही समझता हूं कि यह काफी नहीं है। यहां पर मैं थोडा सा जिक्र पंजाब का जरूर करना चाहूंगा। मैं भी एक कम्यूनिटी से आता हूं, जिसको नामधारी सिख कम्युनिटी कहा जा सकता है। सिख कम्युनिटी अपने आप में माइनार्टी है, लेकिन उस माइनार्टी में भी हमारा सैक्ट जो नामधारी सैक्ट कहलाता है, उसमें बहुत माइनार्टी है।

उस माइनार्टी का आज मैं पहली दफा बारह साल के बाद यह जिक्र कर रहा हूं क्योंकि माइनार्टी, अल्पसंख्यक बिल यहां आया है। 1857 में सब से पहले सद्गुरु राम सिंह जी ने, जिन्होंने हमारे नामधारी सेक्ट से कूका सैक्ट को बनाया, आजादी की लहर शुरू की, 1872 में अंग्रेजों ने उनको जिलावतन किया। 18 जनवरी को 66 सिखों को तोपों के आगे खड़ा करके उड़ा दिया गया। लेकिन उसी मूवमेंट को टोटल नान-कोआपरेशन और बायकाट मूवमेंट को गांधी जी ने साठ साल के बाद गांधी जी ने अपनाया और देश को आजादी दिलवाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उन शहीदों और सद्गुरु राम सिंह जी का नाम लेने वाला हमारे भारतवर्ष में कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग माइनार्टी में से भी माइनार्टी है। यह डेमोक्रेसी की देन आज के हिंदुस्तान में है।

मैं पंजाब का जिक्र कर रहा था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार के ऊपर भी आती हो कि शायद आज जो हालत पंजाब की है, जिस हालत से पंजाब गुजर रहा है, उस हालत का कारण कोई भी हो, लेकिन पंजाब में हालत खराब है। इसलिए बाकी हिंदुस्तान में उसका असर पड़ रहा है। हम इस बात को माने या न मानें, लेकिन यह एक सत्य है, मेरे कहने का मुद्दा, इस वक्त बात करने का मुद्दा यह है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है, शायद अल्पसंख्यक जैसे समझते हैं, उसमें से सिख भाई जो अल्पसंख्यक है, वह भी यह समझते हैं कि हमें पूरी ईमानदारी से हिन्दुस्तान में शायद नहीं रहने दिया जाएगा या दिया जाता है, सम्मान के साथ हम यहां पर जो नहीं पा रहे हैं यह मैं उन सिखों की बात कर रहा हूं जो आज एजीटेशन कर रहे हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, वह अपने आपको हिन्दुस्तान में सुरक्षित नहीं समझते। वह अपने आपको हिन्दुस्तान में भयभीत समझते हैं। यह एक ऐसी भावना उनके मन में आ गई है जो सही थी या सही है, इसका जिक्र इस वक्त मैं नहीं कर रहा। लेकिन इस भावना को अल्पसंख्यकों के मन में से दूर करना बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : हंसपाल जी, अब आपका सहयोग चाहिए।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मेरा सहयोग चाहिए तो मैं थोड़ी सी टैक्नीकल बातें करके बैठ जाता हूं। इसलिए यह जरूरी होगा कि आज के इस विधेयक को हम सर्वसम्मति से पास करें और सरकार का उत्साह बढ़ाएं कि इस किस्म की और चीजें इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और इम्प्लीमेंट करवाके जो कमियां इसमें नजर आती हों उनको दूर किया जाए ताकि अल्पसंख्यकों को उसका लाभ हो सके। मैं श्रीमन्, मंत्री जी तो यहां नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : मंत्री जी तो बैठे हैं फुल-फ्लैज्ड।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : अगर केसरी जी से बात होती तो ज्यादा मजा आता।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : यह तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स

के मिनिस्टर हैं, इसलिए इन्हीं से ज्यादा अच्छी तरह से बात करिए । . . . (व्यवधान)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : यह अच्छा होगा कि रिपोर्ट पर एक्शन हो सकेगा, पालियामेंट में डिसकस हो सकेगा एफैक्टिव्ली एंड सीरियसली उन रिपोर्टों के ऊपर काम हो सकेगा। कमीशन डाकूमेंट्स बुला सकता है, फाईल काल कर सकता है, यह बहुत अच्छी बात है और इंदिरा गांधी जी के चलाए हुए 15 प्वायंट प्रोग्राम बैटर इंप्लीमेंट हो सकेंगे, इस बात की खुशी है। दो-तीन सुझाव इसके लिए देना चाहता और वह यह है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): सुनिए आप लोग, कंकरीट सुझाव सुनिए सारंग जी।

श्री संघ प्रिय गौतम: अब कंकरीट हों तो. . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): अब आप इसमें इंटरफीयर मत करिए।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: यह रिपोर्ट हाई लेवल पर डिसकस हो सकेगी। मि. बर्नी ने अपनी रिपोर्ट में कहा और मैं चाहूंगा कि वह इसी लैवल के ऊपर डिसकस हो। उनकी बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं 3–4 लाईन पढ़ता हूं।

"Mr. Burney said: 'Unless monitoring was done at the level of Chief Ministers, Chief Secretaries and District Collectors, the programme would not produce the required results."

तो हाइस्ट लेवल के ऊपर यह चीजें डिसकस हों मेरी यह राय है। दूसरी बात, जब तक नौकरियों के अन्दर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं मिलती, रिज़र्वेशन से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरा सुझाव है तब तक हमारा बहुत सा मसला हल नहीं हो सकता, तो हर रेक्रूटमेंट कमेटी के अन्दर चाहे वह केन्द्रीय सरकार की हो या राज्य सरकार की हो कम से कम एक माइनारिटी का मैंबर उसमें जरूर होना चाहिए। एजुकेशनल इस्टीट्यूशंस का जिक्र बहुत सारे साथियों ने किया। उनकी रिकोग्नीशन में अकसर दिक्कत होती है। शायद अब न हों या कम हों, इसकी तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बैंक से लोन लिए जाते हैं वह 15 प्वाइंट प्रोग्राम के अन्दर जिक्र है, उसका मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उसके ऊपर कोई अमल बिल्कुल नहीं किया जाता। हो सकता है अब इस एक्ट के बनने के बाद यह चीजें माइनारिटी कमीशन के पास जाएं तो वह उसको इंप्लीमेंट करने में सहायक हो सके।

सिर्फ एक छोटी सी बात और कहूंगा। जिक्र हुआ कि चेयर पर्सन और 6 मैंबर्ज को नोमीनेट करने के बारे में इसमें लिखा हुआ है:

"The Commission shall consist of a Chairperson and six Members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity."

बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। एक लास्ट बात करना चाहूंगा। सैकण्ड पेज के ऊपर लिखा है:

"In the opinion of Central Government so views the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detriment to the interest of Minorities..."

यहीं तक काफी है। इसके आगे लिखा है–

'or the public interest'.

जो मेंबर बने, अगर वह मायनोरिटीज का इंटरेस्ट वाच कर सके तो उसके लिए यही क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी है।

[श्री हरवन्द्र सिंह हसपाल]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से, जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, सरकार उसको पूरी तरह से ठीक ढंग से सफलतापूर्वक निभाएंगी। धन्यवाद।

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I, on behalf of my Party, extend whole-hearted support to the National Commission for Minorities Bill, 1992. I think, this type of Bill should have been brought long, long back. Though belated, this Bill is urgently called for in view of the many developments that took place in our country.

Sir, nobody can doubt that in our country the Minorities, whoever they may be, are being neglected on so many fronts, in employment, in social life, in political life, and in many respects. Moreover, now a sense of fear has come up in the minds of the Minorities. Recently, in its national conference, a major political party, the BJP and its leader said, "in this conference, we should not vote for opposition leadership: we must elect Prime Ministers." This call was given in the background of the recent Lok Sabha elections. The Lok Sabha elections proved that the BJP not only became the second largest party in the country, but it also assumed power in four or five States. So, naturally, any political party with this much of strength, a strength of around 20 per cent of the popular vote, may aspire to become the ruling party. I have no grouse on that point. Every polical party is born for that to come to power if they have got the strength. But they want to come to power on the basis of a particular ideology. Sir, as you know, our country accepted, our Constitution also accepted the principle of secularism. The way of life, the socio-political life must be governed by this principle. Our national leader, the Father of the Nation, Mahatma Gandhi laid down his life for this cause. So, this secularism is being questioned by that party. If they come to power, naturally secularism will be wiped out. In its place, a religious fundamentalism may come in, and on that ideological basis, the country's aairs may have to be run. So, in this context, naturally a sense of fear has come up in the minds of the Minorities, in addition to many disadvantages that the Minorities were facing all these years.

So, Sir, in order to remove such fears from their minds, in order to protect their interests, to some extent this Bill is a must, and it is a very good thing that the present ruling party, the Congress has brought this. In addition to the other Bill which was already passed, the Places of Worship Bill, this also will go a long way to strengthen the democratic and secular set-up and to remove the fears in the minds of the Minorities. Not only that, if our country is divided on religious lines, the unity of the country will be in danger. You know the minorities; it may be Muslim minority; it may be Christian minority or the Sikh minority. Though on the all India level they may be the minorities, but in certain States, in certain parts of the country, they are the majorities. If the minorities also assert that their States should also become a separate country, if they divide the country on the basis of religion, then Kashmir, Punjab and a number of North-Eastern States where Christian population may be in majority, may go out of our country.

So, in this background, a commission on the minorities may be a small step but it is a step to infuse confidence in the people and also protect the unity of the country. We all should feel that we are all Indians; the same blood flows through the veins of everybody. It is not the religious customs that built up the

country. The country's problems are many, and we are unnecessarily allowing religion to take over Politics. Political party may come to power but they should not mix up politics with religion. Unfortunately, our BJP friends are mixing up politics with religion. Religious card was played by them in the last elections. Therefore, in that background, the unity of the country must be protected. And I feel this Bill naturally will help in taking that process forward. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Now Prof. Sanadi. The same rule applies to you also. The general rule will apply to all Professors also.

प्रो० आई० जी० सनदी (कर्नाटक) : आदरणीय वाइस-चेयरमेन साहब, मैं आप का आभारी हूं जो आपने मुझ समय दिया। नेशनल अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों की, खासकर मुसलमानों की दर्द की दवा है। अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तरों को उन्नत करने वाले इस विधेयक को पेश कर कल्याण मंत्री आदरणीय श्री सीताराम केसरी जी दीनबन्धु हो गए हैं। माइनोरिटी वालों के मन में कांग्रेस सरकार की वचनबद्धता के प्रति विश्वास जागृत हो गया है।

मुझे यह बात समझ में नहीं आती, अल्पसंख्यकों का हित चाहने वालों के साथ जमाना सदियों से ऐसा अन्याय क्यों करता आ रहा है। "ईश्वर अल्लाह तेरे नाम" का मंत्र जपने वाले बापू जी जब अल्पसंख्यकों के हित के लिए आगे आए, अपने मन में, अपने हृदय में उनके लिए दया धारण कर ली तो गोली के शिकार हो गए। किनसे? मैं नहीं कह सकता। स्वर्गीय इन्दिरा गांधी गरीबों की भलाई के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए समर्पण भाव से काम करती रही थीं। उनसे कहा जाता था, मुझे एक बात की याद है उनकी, कि "यू आर प्रो-मुस्लिम, यू आर प्रो-माइनोरिटी", लेकिन उन्होंने समझा भी दिया था उनको "आई एम नोट प्रो-मुस्लिम, बट आई एम एण्टि-हिन्दू" और इसका विश्लेषण भी उन्होंने किया था कि जब एक मां के बगल में रहने वाले बच्चों को लेकर उसको छुरा भोंकने के लिए आपका हिन्दू धर्म कहता है तो मैं रियली एंटि-हिन्दू हूं। इस तरह उन्होंने समझा भी दिया था—आपका धर्म सबको साथ लेकर आत्मन्वत सर्वभूतानि, च आत्मनि को सिखाने वाला धर्म, अगर इस तरह करने को कहेगा तो मैं इसको नहीं मानूंगी। अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाली माता श्रीमती इन्दिरा गांधी के हृदय, उनकी आत्मा को धाराशाही कर दिया गया। मां से जो रक्त उन्होंने पाया था, मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया देश की भलाई के लिए। दिवंगत राजीव गांधी जी ने अल्पसंख्यक जो हैं, बेसहारा जो हैं, उनकी उन्नति की आवाज उठाई और अपनी माताजी के नक्शे-कदम पर चलने का उन्होंने वादा किया। अपने मस्तिष्क में इनके विचारों को ठान लिया। इस तरह अल्पसंख्यकों का कल्याण करने के विचारों से भरा हुआ वह सर था, वह भी भारत माता के चरणों को समर्पित हो गया, लेकिन ऐसे लोग—जन-जन का कल्याण करने वाले लोग, मानव जाति का कल्याण करने वाले लोग, ये लोग मरने के बाद भी मरते नहीं हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बारे में जो यह बिल लाए हैं केसरी जी, मैं चाहूंगा कि सब लोग इसका तहेदिल से स्वागत करेंगे।

मैं जिस परिवार में जन्म लेता हूं, मुझसे पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाता भगवान को तरफ से या अल्लाह की तरफ से तो कहीं न कहीं एप्लाई करके जो एयर कंडीशन में बसते हैं, जो सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, उन्हीं के घर में मैंने पैदा करने के लिये एप्लाई किया होता। मैं जिस परिवार में पैदा होता हूं, वही जाति, वही धर्म, वही संस्कृति मेरी धरोहर बन जाती है।

[प्रो० आई० जी० सनदी]

इसके प्रति दूसरों को तिरस्कार की भावना क्यों? जब हम सब एक दूसरे के दर्द को कम नहीं कर सकते, तो दूसरों को दर्द देने का कोई अधिकार हमें है ही नहीं। सर्वे जनः सुखिनो भवन्तिः की बात करने वाले लोगों को अल्पसंख्यकों को दुख देना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है, मुझे अभी-अभी भाषण सुनने का मौका यहां भी मिला और लोक सभा में भी जो भाषण हो रहे थे, मैंने बहुत गौर से उन भाषणों को भी सुना है, राम को चाहने वालों की बातों की ओर मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। राम की चाह यह नहीं थी कि वह स्वर्ग प्राप्ति कर जाएं, राम चाहते थे :– "दुःखप्तत प्राणिनां आर्ति-नाशनम्। अर्थात् जो दुखी हैं, उन दुखियों के दुख को वे दूर करना चाहते थे, लेकिन राम को चाहने वाले फसादात में, मैं कर्नाटक से आता हूं, वहां की आत आपको बताऊं कि वहां माइनारिटी वालों की दुकानों को अगर, आम के पेड़ भी लगे हैं तो पेड़ों को काट दिया उनकी आर्थिक जिन्दगी को बहुत दुष्कर कर दिया। मैं समझता हूं कि उनके वचनों में रोटी भी एक चीज है, लेकिन व रोटी देने की बात नहीं, लोगों की रोटी छीनने की बात करते हैं जो राम और रोटी के यह खिलाफ हैं और मैं समझता हूं कि इनकी बात में इन्साफ भी नहीं

जब कभी भी भी मैं अपने मुस्लिम बच्चों से बातचीत करता हूं तो उनकी वाणी मधुर वाणी क्यों नहीं होती, उनकी जबान में गालियां क्यों आती हैं? उनके हाथ में जैसे आप कलम धरते हैं, वे चाकू-छुरी क्यों धरते हैं? अंतर सिर्फ इतना है कि उनको तालीम नहीं मिलती है। तालीम दिलाने के लिए, जो आप तालीम के ठेकेदार हैं उनके लिए किया है, जो आपके पास विद्या है उसको विवाद के लिए आपने इस्तेमाल किया है, आपके पास जो धन है उसका मद के लिए इस्तेमाल किया है, जो शक्ति है, उसका परिपीड़न के लिए इस्तेमाल किया है, इसकी बजाय ज्ञानाय, दानाय चः रक्षणाय में आप इस्तेमाल करते तो मैं समझता हूं कि देश के प्रति एक सच्चा प्रेम आपका होता।

अभी-अभी उर्दू की बात यहां पर कही गई। मैं उर्दू और उर्दू अखबारों के लिए एक बात कहूंगा। उर्दू अल्पसंख्यकों की नहीं, यह एक महत्वपूर्ण भारतीय भाषा है। यह भारतीय भाषा है, भारत में जन्मी है और भारत में बढ़ी है। यह खूबसूरत भाषा आजादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। ऐसी भाषा को और अखबारों को जीवित रखने के लिए भी सरकार और हमारा माइनेरिटी कमीशन कदम उठाए।

अंत में एक ही सूचना मैं आपके सामने रखूंगा कि हर स्टेट में जहां माइनेरिटी कमीशन नहीं है, वहां तुरन्त इनको नियुक्त करने का सजेशन दिया जाए और अल्पसंख्यकों के इकनॉमिक कंडीशन के लिए री-सर्वे करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। 15 प्वाइंट प्रोग्राम, जहां-जहां भी यह क्रेडिट राजीव गांधी जी को जाएगा, वहीं यह क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को भी जाएगा, यह समझकर जहां-जहां और जिस-जिस स्टेट में हमारी सरकार नहीं है, वहां इसके प्रति उपेक्षा बरती जा रही है, उनके प्रति भी कड़े कदम उठाए जाएं, खासकर कौमी फसादात जहां होते हैं, उनके प्रति भी सख्त कार्रवाई की जाए। जनता के जान-माल और देश को एकता व अखंडता को भंग करने वालों को देश-निर्वासन का दंड देने की जो प्रथा है, उस प्रथा को आप लाएंगे।

मैं आपके इस बिल का स्वागत करता हूं, आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम: आपने हिन्दी में बात की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Shri Salaria. He is not here. Shri David Ledger.

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the National Commission for Minorities Bill, 1992. I feel that the Government deserves to be congratulated for its bold and timely step, to provide Constitutional status to the Minorities Commission which was set up way back in 1978. This is, definitely; a welcome move.

Sir, at a time when communal tension has shaken the very roots of our secular values, at a time when the two major religious groups stand when communal riots have become more polarised than ever, at a time the order of the day, at a time when religion is being blantantly used for political ends, a strong and effective institution as the Minorities Commission with adequate powers can generate a lot of hope in this country. Sir, we are aware that the Minorities Commission was set up in 1978 with a lot of fanfare. The primary objective of the Commission was to safeguard the interest of the minorities, whether based on religion or language. The various provisions enshrined in the Constitution were taken note of at the time of setting up of the Commission, but over the years, due to lack of adequate powers and funds and a proper status, the Commission has had to function as a toothless tiger. Nobody ever took the Commission seriously. Neither the Centre nor the State Governments bothered to accept or follow the recommendations of the Commission. The Commission submitted 13 reports in 14 years of its existence. Out of these 13 reports only 10 have been tabled so far in the House and the reports of the last three years have not even been discussed in the House. But now, Sir, as the Commission is being given statutory status, with specific powers and functions, the situation should change and it should be able to deal more effectively with the plight of the minorities, especially religious minorities who constitute approximately 17 per cent of the country's population. It would also be in the fitness of things to give more teeth to the Commission than has been envisaged in the present Bill. In fact, it would be desirable to vest more powers with the Commission, such powers as have been vested with the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Detailed discussion on the annual reports of the Commission in the House should also be made mandatory.

An omission which I find in this Bill is that the State of Jammu and Kashmir has been excluded from the purview of the Commission. In Jammu and Ladakh Muslims are in a minority although in Kashmir Valley they constitute a majority. I would request the hon. Minister, who is present in the House, to give due consideration to this aspect.

The Government should also evolve a mechanism to enforce the implementation of various suggestions and recommendations as may be made by the Commission from time to time.

All said and done, the Bill is a step in the right direction. We should pass this Bill unanimously.

Before I conclude, I would like to have a special word of appreciation for the hon. Minister, Shri Sitaram Kesri, for piloting this Bill.

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : अबरार जी, तीन मिनट आपके लिए हैं।

डा० रत्नाकर पांडेय : तीन मिनट में तो मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता, आप भाषण करवाना चाहते हैं। . . . . (**व्यवधान**) तीन मिनट में तो मंत्र उच्चारण हो सकता।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : उनको बोलने तो दो। श्रोता लोग हल्ला कर रहे हैं तो वह कैसे बोलेंगे।

डा० अबरार अहमद (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं के० एल० शर्मा जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे उनकी बात सुनकर दो अशआर याद आ गए, जो अभी बेकल जी ने मुझे दिए हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यह पेश करना चाहता हूं।

[डा० अबरार अहमद]

"कोई था हिंदू न मुस्लिम, गुनाह
किसने किया,
बताओ प्यार से घर को,
तबाह किसने किया ।
वहां न हम थे न तुम थे,
न और कोई था,
तो फिर यह शीशे का चेहरा
सिया किसने ।"

एक बात खास तौर से मैं शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि —

हिंदू-ओ-मुसलमां, मुसलमां-ओ-हिंदू बन
जाते हैं हम चंद लमहों में,
आदमी बन पाए हम हजारों सदियों में।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शर्मा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ बड़ी तल्ख बातें कहीं । उन्होंने कहा कि जो बिल पेश किया गया है, यह विभाजन का दस्तावेज है । उनके शब्दों में यह विभाजन का दस्तावेज हो गया । उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश करके 1947 की प्रवृत्तियां जाग्रत हो रही हैं । उन्होंने कहा कि यह विभाजन का बीज है यानी उनकी तरफ से बिल्कुल इस तरह का इशारा था कि इस बिल के पेश होने के बाद शायद यह मुल्क दो हिस्सों में बंट जाएगा, हिंदू और मुसलमानों में बंट जाएगा । मैं आपके माध्यम से शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि यह देश 1947 के अंदर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद कम से कम अल्पसंख्यकों के नाम से मुसलमानों की तरफ जो उनका इशारा है तो मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि यह मुल्क मुसलमानों की तरफ से कभी तकसीम नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता इसकी वजहात है जो मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं । पहले भी मैंने कई बार यह बात कही है कि 1947 में जब यह मुल्क दो हिस्सों में बंट रहा था, उस वक्त हिन्दुस्तान हिंदुओं के लिए कहा गया था और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए कहा गया था । उस वक्त ये जाहिर था कि जो मुसलमान इस मुल्क में रहेंगे उनको काटा जा सकता है, उनको कत्ल किया जा सकता है । जो हिंदू पाकिस्तान में रहेंगे वहां उनको कत्ल किया जा सकता है लेकिन यह जानते हुए भी कि मुसलमान यहां कत्ल किया जा सकता है, वह मुसलमान यहां रहा क्योंकि उसको भारत मां की माटी से प्यार था, भारत माता से प्यार था, हिंदुस्तान से प्यार था । उसने मरना, उसने कत्ल होना स्वीकार किया लेकिन हिंदुस्तान से अलग होना स्वीकार नहीं किया ।

अगर हम आजादी के इतिहास को देखें, आजादी के बाद के इतिहास को देखें तो वह मुसलमानों के योगदान से, कंट्रीब्यूशन से भरा पड़ा है । शर्मा जी उसको पढ़ लें । उनको ये अलफाज सदन में कहने से पहले, ऐसी हल्की बातें इस सदन में लाने से पहले पढ़ लेना चाहिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उनकी पार्टी ने किया, चंद सालों से जो करते आ रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए धार्मिक आस्था को सांप्रदायिकता से मिलाने का प्रयास किया है। इस देश के अंदर लोगों की धार्मिक आस्था बहुत मजबूत है और उस धार्मिक आस्था की मजबूती को देखकर उसके आधार पर मैं कहता हूं कि यह मुल्क चल रहा है । उन्होंने धार्मिक आस्था के नाम पर सांप्रदायिकता को प्रचारित करने की कोशिश की है । उन्होंने अशिक्षा का लाभ लेते हुए धार्मिक आस्था के नाम से लोगों को साम्प्रदायिकता का नकाब बताने की कोशिश की है ।

धार्मिक आस्था में आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं । एक गरीब आदमी, नंगा आदमी, भूखा आदमी जिंदा रहता है और उसके सामने एक आदमी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में रहता है लंबी गाड़ियों में जाता है लेकिन उस गरीब आदमी का सब्र इस बिन्दु पर है कि जिस दिन मेरा भगवान, मेरा अल्लाह मेरी किस्मत बदलेगा, मैं इससे अच्छी हालत में रहूंगा और जिस दिन वह इसकी किस्मत बिगाड़ेगा, वह इससे बदतर हालत में रहेगा । आज उस गरीब आदमी से, जो धर्म के आधार पर जिंदा है, उसका भगवान छीन लिया जाए, अल्लाह छीन लिया जाए, ईसा मसीह छीन लिया जाए, कुरान छीन ली जाए, बाईबिल छीन ली जाए, गीता छीन ली जाए, गुरु ग्रंथ साहब छीन लिया जाए तो क्या इंसान जिंदा रहेगा । वह इंसान जिंदा नहीं रह सकता ।

जब इन्होंने देख लिया कि धर्म के बिना इस मुल्क का इंसान जिंदा नहीं रह सकता तो उस कमजोरी का इन्होंने फायदा उठाया और सांप्रदायिकता के दानव को, धार्मिक आस्था के नाम पर इस देश के अशिक्षित लोगों के सामने खड़ा करने का असफल प्रयास किया। सांप्रदायिकता क्या है—आदमी अपने मजहब को माने, अपने मजहब से प्यार करे लेकिन किसी दूसरे धर्म को नेस्तनाबद करने की कोशिश न करे। लेकिन इन्होंने देश को बांटने की और फिर उसी तरह की बात इन्होंने इस सदन में कही कि अगर यह बिल लाया तो यह देश बंट जाएगा। इसको विभाजन का दस्तावेज कहा कि इस बिल के माध्यम से यह देश विभाजित हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो जुल्म इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे, वह मैंने अपनी आंखों से देखा है यह बिल किसी को रोजगार देने वाला नहीं है, किसी को ऊपर उठाने वाला नहीं है लेकिन इससे एक उम्मीद की किरण जागी है कि कहीं अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, सांप्रदायिकता के झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो रहे हैं, ये कुछ कम हो सकें इतना ही इसका लक्ष्य है। आपने पूछा कि अल्पसंख्यक कौन है? इसकी क्या परिभाषा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्पसंख्यक कौन है। अगर माननीय सदस्य से बहुत सीधी सादे शब्दों में कहूं तो अल्पसंख्यक वे हैं जिनको आप इस देश से निकालने की बात करते हैं, जिनके खिलाफ आप नारे लगा देते हैं, जिनके खिलाफ आपकी जिन राज्यों में हुकूमत है, उन पर आप अत्याचार करते हैं। यह सीधी सीधी परिभाषा में आपको बताना चाहता हूं। (समय की घंटी)

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने समय की पाबंदी लगाई है, इसलिए मैं केवल दो बातें और कहना चाहूंगा। इसके अंदर कुल सात आदमी रखने की बात कही गई है। सात आदमियों में 5 आदमी माइनारिटीज के और दो आदमी मैजारिटी के होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से 5 और 2 में बांटने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी समाज में आपको आदमी ऐसे मिल जायेंगे, माइनारिटी में भी मिल जायेंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आदमी किसी भी समाज के हों ऐसे रखिए जिनकी नीयत साफ हो। 5 के बजाए आप 7 रख दीजिए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो भी आदमी आप रखें उसके दिल में दर्द होना चाहिए, उसके दिल में अल्पसंख्यकों के लिए तकलीफ होनी चाहिए, उसके दिल में जज्बात होने चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 5 और 2 में न जायें। आदमी छांटकर रखें। नहीं तो ऐसे आदमी बहुत मिल जायेंगे जो चाहेंगे कि इसका सदस्य होने से बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मोटी तनख्वाह मिलेगी, आलीशान बंगला मिलेगा। वह चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वह अल्पसंख्यकों का भला नहीं कर सकेगा। इससे जो सरकार का सपना है, जो नरसिंह राव जी की मंशा है, सीताराम केसरी जी की मंशा है वह पूरी नहीं हो सकता है।

एक बात अहलुवालिया जी ने कही कि इसमें एक क्लांज है कि इस बिल के पास होने के बाद नोटिफिकेशन निकलेगा, इसके बाद वह इम्प्लीमेंट होगा। इस तरह का क्लांज नहीं होना चाहिए। अगर है तो मंत्री जी यह आश्वासन दें कि जैसे ही यह बिल पास होगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, अंतिम बात मैं 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम माइनारिटीज के लिए दिया गया है वह मखौल बनकर रह गया है। इसको मंत्री जी पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करें और दुबारा बनाए जिससे वास्तविक लाभ पहुंच सके।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, just at the outset I must sound a discordant note, so to say. In this ancient country of ours, when man should have been classified or designated by economic criteria or such other thing, religion continues to be, or what goes by the name of religion continues to be, a dividing point, any that is a great tragedy of this country of ours.

I have nothing against this Bill, so to say. This is a very well meaning Bill, no doubt. There was the Minorities

[Prof. Saurain Bhottacharya]

Commission earlier without any statutory status. The object of this Bill is to give it a statutory status with—I should not say "well-defined functions"—certain functions allotted to it together with some powers and other concomitant things.

But, I should say what I told at the outset that perhaps it speaks ill of our democracy in a sense when religion becomes one of the most strong factors, the determinant factor. In our country majority and minority have been synonymous with the Muslim conflict or problem. This is something which should not be there. During the British days we used to tell as workers of the freedom struggle that this was because of the mechinations of the British imperialism. The British imperialism is no more here for 45 years. During these 45 years the communal riots have increased. So, this situation does not speak well of us, does not speak well of our civilisation, does not speak well of the biggest democracy of the world. This Bill and this Commission itself is another way of castigation of our democracy. Democratic basis is not the communal basis. Here there is a talk of the minority communities. There are different types of minorities, minorities on the basis of religion. There are Hindus, Muslims, Christians, Parsees and so many other variations. There are linguistic minorities. We know what are the problems In Article 30 of the Constitution there is a provision which has been much misutilised and misinterpreted even by the apex courts. The right of the minority is to receive non-discrimination in matters of educational and other cultural grants. There it is said "religious and linguistic minorities." This Bill nowhere says religious minorities, but says 'minority community'. Religious community is a community; linguistic minority may also be called a community. The question is whom to cover and whom not to cover. As in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, a provision has been made here as to who will be considered to be minorities. Those who are declared as such by the Government of India will be considered minorities. These are certain aspects which should be pondered over. An answer to these points is that the minorities of various distinctions should be better protected. Unless that is done, I think, this Bill would not be able to serve its purpose.

Before I conclude, I would just say two points. One is regarding the number of minority members of the Commission. It has been said five members, including the Chairperson shall be from the minority community. It does not mean it is essential that others should be from the non-minority communities. In the case of the Commission the question is whether such restriction or this type of distinction is proper. There is another provision regarding removing the Chairperson and the Members of the Commission. It is supposed to be a very responsible Commission. A question of removal may come. A Member may act otherwise but here it is said 'eminent person with integrity etc.' If on their removal from office an eight-point schedule has to be given or eight clauses have to be given, it does not reflect well on them. That is my submission. I would request the hon. Minister to kindly consider these aspects. There are no formal amendments, but I would request him to examine these aspects.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. George Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): I am not only called as Mr. George Fernandes from the Chair but pressmen from the Press gallery also call me Mr. George Fernandes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): My apologies.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Last time also I was referred to by the Press as Mr. George Fernandes of Rajya Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. John F. Fernandes, is that okay?

SHRI JOHN F. FERNANDES: Thank you, Mr. Vice-Chairman.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the National Commission for Mino-

rities Bill, 1992 presented by the hon. Minister for Welfare Shri Sitaram Kesriji. In fact, this Bill was long overdue.

The Minorities Commission was set up in January, 1978. Till date—almost 14 years have passed—it did not have a proper sanction of the Constitution.

Pandit Jawaharlal Nehru on the 13th December, 1946, speaking on a resolution on the Constitution mentioned that adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes. It was left to his grandson, late Shri Rajiv Gandhi, to give an assurance to this Parliament and through this Parliament to the nation that a statutory status will be given to the National Minorities Commission. I compliment the hon. Minister for Welfare for bringing forward this Bill prior to the first death anniversary of Shri Rajiv Gandhi. I hope that this Bill is passed by this House, the Government will act very promptly and see that a notification is issued on the first death anniversary of our great departed leader, Shri Rajiv Gandhi, on the 21st May, to pay a tribute to him.

Sir, the rights of the minorities, majorities and every individual in this country are enshrined in the Constitution and they are well protected under articles 14, 15, 16, 25, 26, 29 and 30. But the main violator of Fundamental Right has been the Government of the day either at the Central level or at the State level, because off and on many decisions of the courts, maybe of the apex court, the Supreme Court or of the High Court are not implemented by the State Governments and to some extent by the Central Government also. So I feel it is appropriate for the Government to give a Constitutional status to the Minorities Commission so that any advice tendered by this Commission will be binding and mandatory on the part of the Government to implement them. If the Government do not implement the Commission's decisions, they have to justify as to why they have not implemented them. So this provision has been made in this Bill. The report of the Commission will be laid before both Houses of Parliament. If the Government is not in a position to implement the Commission's recommendations, the Government have to say as to why they are not prepared to implement them.

Coming to the provisions of the Bill, I have to make some recommendations to the hon. Minister. It is said in Clause 3 of the Bill that there will be seven Members in this Commission, one Chairman and six Members. Five Members will be from minority communities. I myself come from a minority community. Nothing will prevent the Government from appointing all the seven Members from minority communities. It has not been mentioned in the Bill that all the seven Members are going to be from the minority communities. Again the Minister has not mentioned as to who will be Member-Secretary. The Member-Secretary will be any official. I would request the hon. Minister to see that one of the Members of the Commission will be a Member-Secretary of the Commission because the Secretary of the Commission will have wide powers to give directions. If that gentleman, the Secetary, is not a member of the Commission, I do not think he will be a party to any decision and he may not be answerable to the Commission. I hope the hon. Minister will take my suggestion.

In clause 4 of the Bill, it is mentioned that the term of the Commission will be for a period of three years. What we see often in such cases is, the term of the body or of members expires and nobody is appointed for a considerable period of time thereafter and an official of the Central Government is appointed to do the functions of that body. So I would request the hon. Minister again to see that the clause reads that the term of the Commission will be for three years or until the Commission is reconstituted with new members. Again, in sub-clause (4), no time-limit has been fixed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): But there is a time-limit for you.

SHRI JOHN F. FERNANDES:....in case there is a vacant post. I would request the Government to have a time-limit to fill the vacancy, when the rules are framed.

In clause 7, it is mentioned that any decision of the Commission will not be held invalid just because there are vacancies existing. This clause may be misused not by this Government. There are other parties who are opposing this Bill. This Commission may also function sometimes with only three members; one may be Chairman and the other two members of the Commission who do not belong to any backward community. So, the powers of the Commission can be misused. So, I would also like to request the hon. Minister to see that this clause is taken care of.

In clause 8......

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Last point, Mr. Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES... it is mentioned that there is no time-frame fixed for the meetings of the Commission. It is for the Chairman to decide as to when the Commission will meet. This is not a very minor aspect. This can be misused too. So, I feel that a provision should be made that the Commission should meet at least once in three months.

I hope the hon. Minister will take the suggestions seriously. With these suggesionst I compliment te hon. Minister and the Congress Government for taking the bold step of bringing this legislation.

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) श्री मोहम्मद अफजल ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : माफ कीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी०ठाकुर): जनाब क्या इरादे हैं । ऐसे भी ज्यादा समय नहीं है । 11 मिनट में से 10 नट राज मोहन गांधी जी ले गए हैं ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : झे आप जितना भी टाइम इनायत करेंगे उतने में ही गुजारा करुंगा ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : एक मिनट ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल मोहतरम वाइस-चैयरमैन साहब, मैं सीताराम केसरी साहब और मरकजी हुकूमत को मुबारकबाद देने से पहले उस रियासत के वजीरे आला को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिनसे हिन्दुस्तान में सबसे पहले अपनी स्टेट के अंदर अकलियतो के कमीशन को स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया और वह रिसासत है बिहार जहां पर कि हमारे लालू प्रसाद यादव ने 3 अगस्त 1991 को अकलियतों के कमीशन को स्टेट्यूटरी स्टेटस किया । मैं मरकजी हुकूमत को भी इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हू जो खुशूमन सीताराम केसरी साहब यह बिल लेकर आए हैं लेकिन उनके लिए मेरी मुबाकरबाद हाफ हार्टली है, आधे दिल से मैं यह मुबारकबाद दे रहा हू । मैं जानता हूं कि सीताराम केसरी एक बहुत ही अच्छा बिल लाना चाहते थे, बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल बिल लाना चाहते हैं । लेकिन जब बिल हमारे सामने आया तो उसमें यह बात नजर नहीं आयी, उसमें सीताराम केसरी साहब के जजबात नजर नहीं आए । इस बिल में बहुत सारी कमियां हैं । मैं अगर यह कहूं कि यह बिल इस तरह से लाया गया है जैसे शाह बानू केस के अंदर मुस्लिम वीमैन बिल आप लाए थे और उसको आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला कान्फ्रेंस ने कहा था यह लूला लंगड़ा बिल लेकर आए हैं और इससे वह मकसद हासिल नहीं होने जा रहा है ।

4.00 P.M. इससे वह मकसद हासिल नहीं होने जा रहा है जो उस वक्त की सही मायनों में डिमांड थी । मैं इस वक्त भीय ही कहूंगा कि यह बिल उस हैसियत से नहीं आया है जिस हैसियत में इसको आना चाहिए था। यह मेरी नजर में एक कमजोर बिल है। मैं इसको लूला तो बिल्कुल नहीं कहूंगा लेकिन यह मेरे नजदीक कमजोर बिल है जो बहुत ज्यादा अख्तियारात कमीशन को नहीं देता है। कानूनी बाइंडिंग्स इसकी बहुत कमजोर है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत सारे मेम्बरान ने इस पर तवज्जह

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

भी दिलाई है। मैं एक बात इस पर कहना चाहता हूं, मैंने कुछ अमेंडमेंट्स भी मूव किये हैं इसके अंदर।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): जब अमेंडमेंट किये थे तो बोल क्यों रहे हैं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैं उनको ला नहीं रहा हूं। बता रहा हूं इसी वक्त।

सबसे अहम बात मैं आपके गोशो-गुजार करता हूं, चूंकि वक्त बहुत कम है और कई मेम्बरान ने इस पर तव्वजह दिलाई है और खुसूसन डा. अबरार अहमद जी ने, देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप कोई भी कमीशन ले आएं, कोई भी बिल ले आएं, कोई भी कानून ले आएं, जब तक नीयत ठीक नहीं होती तब तक मामलात खराब रहते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने देता हूं, कल ही मैंने मसला उठाया था। आपने जामिया मिलिया के अंदर एक वाइस चांसलर मुकर्रर किया। असद मदनी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने हमसे पहले यह मसला उठाया था कि आपने जामिया के अंदर एक मुस्लिम वाइस चांसलर नामजद करने के बजाए एक कादियानी को मुस्लिम के नाम पर, चूंकि उसका नाम मुस्लिम जैसा है, मुकर्रर कर दिया और उसका नतीजा हमारे सामने यह है कि तीन महीने नहीं हुए हैं और जामिया डिस्टर्ब है और हालात आपके सामने हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब अक्लियत कमीशन को आप बनायें तो आप ऐसे लोगों को उसमें लायें—एक चीज बहुत जरूरी है कि जिस जिस अक्लियत से इसके मेम्बरान चुने जाएं उनके लिए जरूरी होना चाहिए कि उनको उस मजहब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत या कम से कम बुनियादी नालेज हो। मैं देखता हूं कि बावकात ऐसे इंस्टीटयूशन में ऐसे लोगों को नामजद कर दिया जाता है जिनको उस अक्लियत या उस फिरके के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं होते। तो इन सब बातों का अगर आप आगे ख्याल रखेंगे तभी यह कमीशन कुछ इफेक्टिव होगा।

एक चीज और मैं इसमें कहता हूं कि कांस्टीटयूशनल जो हमारे, अक्लियतों के राइट्स हैं, यह उनके सेफगार्ड की बात करता है लेकिन कांस्टीटयूशनल सेफगार्ड में हमारी मुलाजमातों का कहीं सेफगार्ड नहीं है और मुलाजमातों के सिलसिले में इस कमीशन को बिल्कुल पावर नहीं है। मैं बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूं कि अक्लियतों का रिप्रेजेंटेशन दिन ब दिन सरकारी मुलाजमातों में कम होता चला जा रहा है। आजादी के वक्त हमारा रिप्रेजेंटेशन 16 परसेंट था जो घटकर 0.5 ले लेकर डेढ़ परसेंट रह गया है। यह कमीशन क्या गारंटी देगा, किस तरह से उस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब तक मुलाजमातों के अंदर और पावर के अंदर शेयर बराबर का नहीं मिलेगा तब तक हमेशा अहसासे कमतरी या यह अहसास कि हम लोगों को पीछे रखने की कोशिश की जा रही है यह नहीं रुक पाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

†[شری محمد افضل عرف میم افضل -
وائس چیئرمین : محترم وائس چیئرمین صاحب
میں سب سے پہلے رام سیوک یادو صاحب اور مرکزی حکومت
کو مبارکباد دینے سے پہلے اس ریاست
کے وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔
جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے
اپنی ریاست کے اندر اقلیتوں کے کمیشن
کو اسٹیچوٹری اسٹیٹس دیا اور وہ ریاست
ہے بہار جہاں پر کہ ہمارے لالو پرساد
یادو نے ۳۰ اگست 1991 کو اقلیتوں کے
کمیشن کو اسٹیچوٹری اسٹیٹس دیا۔ میں مرکزی
حکومت کو بھی اس بات کی مبارکباد دینا

---

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

چاہتا ہوں جو خصوصاً سیتارام کیسری صاحب یہ بل لے کر آئے ہیں لیکن ان کے لئے میری مبارکباد ہارف ہارٹلی ہے۔ آدھے دل سے میں یہ مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سیتارام کیسری ایک بہت ہی اچھا بل لانا چاہتے تھے۔ بہت ہی مضبوط۔ بہت ہی پاورفل بل لانا چاہتے تھے لیکن جب بل ہمارے سامنے آیا تو اس میں وہ بات نظر نہیں آئی۔ اس میں سیتارام کیسری صاحب کے جذبات نظر نہیں آئے۔ اس بل میں بہت ساری کمیاں ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بل اس طریقے سے لایا گیا ہے جیسے شاہ بانو کیس کے اندر مسلم وومن بل آپ لائے تھے۔ اور اس کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا کانفرنس نے کہا تھا یہ لولا لنگڑا بل لے کر آئے ہیں اور اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہونے جا رہا ہے جو اس وقت کی صحیح معنوں میں ڈیمانڈ تھی۔ میں اس وقت بھی یہی کہوں گا کہ یہ بل اس حیثیت سے نہیں آیا ہے جس حیثیت میں اس کو آنا چاہئے تھا۔ یہ میری نظر میں ایک کمزور بل ہے۔ میں اس کو لولا لنگڑا تو بالکل نہیں کہوں گا۔ لیکن یہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیوں کہ وقت نہیں ہے۔ بہت سارے ممبران نے اس طرف توجہ دلائی بھی ہے۔ میں ایک بات اس پر کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ امنڈمنٹس بھی موو کئے ہیں اس کے اندر۔

اپ سبھا ادھیکش: جب امنڈمنٹ کئے تھے تو بول کیوں رہے ہیں۔

شری محمد افضل عرف میم۔ افضل: میں ان کو لا نہیں رہا ہوں۔ بتا رہا ہوں اسی وقت۔ سب سے اہم بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں چوں کہ وقت بہت کم ہے اور کئی ممبران نے اس پر توجہ دلائی ہے اور خصوصاً ڈاکٹر ابرار احمد جی نے۔ دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کمیشن لے آئیں، آپ کوئی بھی بل لے آئیں، کوئی بھی قانون لے آئیں جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک معاملات خراب رہتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ کل ہی میں نے مسئلہ اٹھایا تھا آپ نے جامعہ ملیہ کے اندر ایک وائس چانسلر مقرر کیا۔ اسعد مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ آپ نے جامعہ کے اندر ایک مسلم وائس چانسلر نامزد کرنے کے بجائے ایک قادیانی کو مسلم کے نام

ہے۔ چونکہ اس کا نام مسلم جیسا ہے مقرر کر دیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ تین مہینے ہوئے نہیں ہیں اور جامعہ ڈسٹرب ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب اقلیتی کمیشن کو آپ بنائیں تو آپ ایسے لوگوں کو اس میں لائیں۔ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جس جس اقلیت سے اس کے ممبران چنے جائیں ان کے لئے ضروری ہونا چاہئیے کہ ان کو اس مذہب کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت یا کم سے کم بنیادی نالج ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے انسٹی ٹیوشن میں ایسے لوگوں کو نامزد کر دیا جاتا ہے۔ جن کو اس اقلیت یا اس فرقے کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ تو ان سب باتوں کا اگر آپ خیال کریں گے تبھی یہ کمیشن کچھ افیکٹو ہو گا۔

ایک چیز اور میں اس میں کہتا ہوں کہ کانسٹی ٹیوشنل جو ہمارے اقلیتوں کے رائٹس ہیں۔ یہ ان کے سیف گارڈ کی بات کرتا ہے لیکن کانسٹی ٹیوشنل سیف گارڈ میں ہماری ملازمتوں کا کہیں سیف گارڈ نہیں ہے اور ملازمتوں کے سلسلہ میں اس کمیشن کو بالکل پاور نہیں ہے۔ میں بہت بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اقلیتوں کا ریپریزنٹیشن دن بہ دن سرکاری ملازمتوں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آزادی کے وقت ہمارا ریپریزنٹیشن ۱۶ پرسینٹ تھا۔ جو گھٹ کر آدھے سے ایک ڈیڑھ پرسینٹ تک رہ گیا ہے۔ یہ کمیشن کیا گارنٹی دے گا کس طرح سے اس ریپریزنٹیشن کو بڑھانے کی کوشش کریگا جب تک ملازمتوں کے اندر اور پاور کے اندر حصہ برابر کا نہیں ملے گا تب تک ہمیشہ احساس کمتری یا یہ احساس کہ ہم لوگوں کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں رک پائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

"ختم شد"

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :*

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : सिकन्दर बख्त साहब अभी बोलने वाले हैं, आप क्यों बोल रहे हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :*

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : बैठिए। आपके नेता अभी बोलने वाले हैं। कुमारी आलिया।

*Not recorded.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफज़ल : !

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : *

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : *

उपसभापति (प्रो. पो. चन्द्रेश ठाकुर) : बैठिए माथुर साहब। ये सब बातें रिकार्ड पर नहीं जाएंगी। चलिए आप बोलिए।

कमारी आलिया (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) इस विधेयक का स्वागत करते हुये मैं आनरेबल मिनिस्टर से... (व्यवधान) उपसभाध्यक्ष जी, मैं नेशनल माइनार्टी कमीशन को कानूनी दर्जा दिये जाने के विधेयक का स्वागत करते हुए यह महसूस कर रही हूं कि अल्पसंख्यकों को समाज में उचित दर्जा तथा अवसर मुहैया कराने का यह एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आनरेबल मिनिस्टर श्री सीताराम केसरी जी को मुबारकबाद और बधाई देना चाहती हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. चन्द्रेश पो. ठाकुर) : वह नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर को बधाई दीजिए ना।

कुमारी आलिया : मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे यहां के आनरेबल मेम्बर, श्री शर्मा जी ने जो यह कहा है कि इस विधेयक से यह मुल्क टूट जाएगा, तो मैं आज आपके सामने बहुत ही आदर के साथ यह बता देना चाहती हूं कि इस देश को तोड़ने में—अक्लियत जो है वह पूरी तरह से कुर्बान हो जाएगी, मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की इस गंगा-जमुनी तहज़ीब को खत्म नहीं होने देगी। ..(व्यवधान)

आज जो लोग यह प्रचार कर रहे हैं, जहां से मेरा ताल्लुक है, वहां राम जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के लिए चौदह वर्ष बनवास काटा है। आज उसको कलंकित करने वाले वह लोग हैं, जो देश को बांट देंगे, देश को तोड़ देंगे। जब भी इस देश में कोई भी खतरा उत्पन्न हुआ है, तो मुसलमानों ने हमेशा यह महसूस किया है कि यह हमारा मादरे वतन है। मैं इसके साथ आपको एक शेर सुनाना चाहती हूं।

जब कभी मादरे वतन की सरजमीं
पर कोई वक्त आया,

अक्लियत मादरे वतन की सरजमीं
का वफादार रहा।

जब भी इस देश में नेशन का कत्ल हुआ है, उसके जिम्मेदार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं हैं। जब महात्मा गांधी, हमारे बापू महात्मा गांधी का कत्ल हुआ, तो इस देश को मारने वाला यकीन है—वह हिन्दू कम्यूनिटी के ही लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं।

जब हमारी अमर शहीद नेता स्व. इन्दिरा गांधी जी का कत्ल हुआ, तो उसको किसने मारा था?

जब हमारे अमर शहीद नेता, श्री राजीव गांधी ने अपने घोषणा-पत्र में यह ऐलान किया था कि जब मैं बरसरे इक्तदार आऊंगा, तो मैं माइनार्टी कमीशन बनाऊंगा, माइनार्टीज़ की हिफाजत करूंगा।

*Not recorded.

[कुमारी आलिया]

माइनार्टीज की रक्षा करूंगा। यह कमीशन माइनार्टीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है कि उनको कोई बहुत बड़ा आदमी आप बनाने जा रहे हैं।

माइनार्टीज को आप देखिये, उनका सर्विसेज में जो परसेंटेज है, वह बिलकुल जीरो के बराबर हो गया। 45 साल आजादी के गुजर गये हैं और उसके बावजूद भी आज जहां भी जो कुछ हो रहा है, कम्यूनल रायट्स हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार माइनार्टी नहीं है। माइनार्टी तो यह चाहती है—मैं महात्मा गांधी के वे अल्फाज याद दिलाना चाहती हूं—

हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
हम सब हैं भाई-भाई।

आज कोई मुसलमान यह नहीं चाहता है कि मैं इस गंगा-जमुनी की तहजीब को तोड़ दूं। समय की घंटी।

इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहती हूं और वह य है कि जो अल्पसंख्यक स लोग हैं, नौकरियों में इनकी सीट्स आरक्षित की जाए, जिससे इनको यह महसूस हो जाए कि हमारे साथ नाइन्साफी नहीं होती है। चाहे आप इकनामिक सर्वे कर लीजिए उस हिसाब से इनको रेजर्वेशन दीजिए या जैसा भी आप महसूस करें, वैसा करें।

दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि इबादतगाहों को लेकर, तमाम मंदिर, तमाम मस्जिद, गुरुद्वारों को लेकर दंगे हो रहे हैं, जो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। (समयकी घंटी)

उपसभाध्यक्ष (प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर) : बहुत-बहुत धन्यवाद, कुमारी आलिया जी।

कुमारी आलिया : मैं विशेष करके माननीय सीताराम जी, कल्याण मंत्री जी को अपनी हार्दिक बधाई देती हूं, जिन्होंने आयोग को कानूनी दर्जा देने के संबंध से यह विधेयक पेश किया है तथा हमारे प्रिय नेता स्व. राजीव जी द्वारा घोषणा-पत्र में अल्पसंख्यक आयोग के गठन को पूरा किया है। इसके लिए हमारे आनरेबल प्रधान मंत्री, श्री पी.वी. नरसिंह राव जी को मैं बधाई देना चाहती हूं, जिन्होंने यह महसूस किया कि इन अल्पसंख्यक लोगों को रक्षा की जरूरत है, हिफाजत की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमर शहीद नेता, श्री राजीव जी को श्रद्धांलि अर्पित करते हुए इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करती हैं। जय हिंद। जय भारत।

†کماری عالیہ "اتر پردیش": مانئیے آپ سبھا ادھیکش مہودے ... "مداخلت"... اس ودھےیک کا سواگت کرتے ہوئے میں آنریبل منسٹر صاحب ... "مداخلت"... آپ سبھا ادھیکش مہودے. میں نیشنل مائنارٹی کمیشن کو قانونی درجہ دیئے جانے کے ودھےیک کا سواگت کرتے ہوئے یہ محسوس کر رہی ہوں کہ الپ سنکھیکوں کو سماج میں اچیت درجہ تھا اور مہیا کرانے

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

جب کبھی مادر وطن کی سرزمین پر کوئی وقت آیا اقلیت مادر وطن کی سرزمین کا وفادار رہا جب بھی اس دیش میں نیشن کا قتل ہوا ہے۔ اس کے ذمہ دار الپ سنکھیک سمپردائے کے لوگ نہیں ہیں جب مہاتما گاندھی ہمارے باپو۔ مہاتما گاندھی کا قتل ہوا تو اس دیش کو مارنے والا کون ہے۔ وہ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ہندو راشٹر لانا چاہتے ہیں۔ جب ہماری امر شہید نیتا سورگیہ شریمتی اندرا گاندھی جی کا قتل ہوا تو اس کو کس نے مارا تھا۔

جب ہمارے امر شہید نیتا شری راجیو گاندھی جی نے اپنے گھوشنا پتر میں یہ اعلان کیا تھا کہ جب میں برسر اقتدار آؤں گا تو میں مائنارٹی کمیشن بناؤں گا۔ مائنارٹیز کی حفاظت کروں گا۔ مائنارٹی کی رکشا کروں گا۔ یہ کمیشن مائنارٹیز کے لئے الپ سنکھیکوں کے لئے کوئی بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑا آدمی آپ بنانے نہیں جا رہے ہیں۔ مائنارٹیز کو آپ دیکھئے۔ اس کا سروینر میں جو پرسنٹیج ہے۔ وہ بالکل زیرو کے برابر ہو گیا ہے۔ ۴۵ سال آزادی کے گزر گئے ہیں اور اس کے باوجود آج یہاں کبھی نہ کچھ ہو رہا ہے کمیونل رائٹس ہو رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ دار مائنارٹی نہیں ہے۔ مائنارٹی کا یہ ایک سراہنیئے قدم ہے۔ اس کے لئے میں آنریبل منسٹر شری سیتارام کیسری جی کو مبارکباد اور بدھائی دینا چاہتی ہوں

..... "مداخلت" .....

مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے یہاں کے آنریبل ممبر شری شرما جی نے جو یہ کہا ہے کہ اس ودھے یک سے یہ ملک ٹوٹ جائے گا تو میں آج آپ کے سامنے بہت ہی آدر کے ساتھ یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس دیش کو توڑنے میں۔ اقلیت جو ہے پوری طرح سے قربان ہو جائے گی۔ مر جائے گی۔ مٹ جائے گی۔ لیکن ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب کو ختم نہیں ہونے دیگی

... "مداخلت" ...

آج جو لوگ یہ پرچار کر رہے ہیں۔ جہاں سے میرا تعلق ہے۔ وہاں رام جیسے مہاپرش پیدا ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اس دیش کے لئے چودہ برس بنواس کاٹا ہے آج اس کو کلنکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دیش کو بانٹ دیں گے۔ دیش کو توڑ دیں گے۔ جب بھی اس دیش میں کوئی بھی خطرہ آئین ہوا ہے تو مسلمانوں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارا مادر وطن ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک شعر سنانا چاہتی ہوں۔

تو چاہتی ہے۔ میں مہاتما گاندھی کے وہ الفاظ یاد دلانا چاہتی ہوں۔

ہندو مسلم سکھ عیسائی
ہم سب ہیں بھائی بھائی

آج کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس گنگا جمنی تہذیب کو توڑ دوں "گھنٹی" اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ سجھاؤ بھی دینا چاہتی ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جو الپ سنکھیک سمودائے کے لوگ ہیں۔ نوکریوں میں ان کی سیٹ آرکشت کی جائے جس سے ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی ہے۔ چاہے اکونومک سروے کر لیجئے۔ اس حساب سے ان کو رزرویشن دیجئے یا جیسا بھی آپ کو محسوس کریں ویسا کریں۔

دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ عبادت گاہوں کو لے کر تمام مندر تمام مسجد اور گوردواروں کو لے کر دنگے ہو رہے ہیں۔ جو اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں۔ ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیئے۔۔۔۔ "سمے کی گھنٹی"۔۔۔

میں وشیش کر کے ماننیئے سیتا رام جی کلیان منتری جی کو اپنی ہاردک بدھائی دیتی ہوں۔ جنہوں نے آیوگ کو قانونی درجہ دینے کے سمبندھ میں یہ ودھےیک پیش کیا گیا ہے۔ تتھا ہمارے پریہ نیتا سورگیہ راجیو جی دوارا گھوشنا پتر میں الپ سنکھیک آیوگ کے گٹھن کو پورا کیا ہے۔ اس کے لئے میں آنریبل پردھان منتری شری پی وی نرسمہا راؤ جی کو بدھائی دینا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان الپ سنکھیک لوگوں کو رکشا کی ضرورت ہے۔ حفاظت کی ضرورت ہے

انہی شبدوں کے ساتھ میں امر شہید نیتا شری راجیو گاندھی جی کو شردھانجلی ارپت کرتے ہوئے اس ودھےیک کا ہاردک سمرتھن کرتی ہوں۔ جے ہند۔

"ختم شد"

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया जनाब। सदर-ए-मोहतरम, . . . (**व्यवधान**) बहुत धीरे बोलूंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : धीरे-धीरे आवाज बलंद कीजिए लेकिन रफ्तार तेज कीजिए।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : रफ्तार तेज कर देता हूं।

'कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाब-ए-शहर देखा तो है,
जिस तरफ देखा न था मुड़कर उधर देखा तो है।'

माइनारिटी एक्ट को हिन्दुस्तान की सर-जमीन पर माइनारिटीज़ की तकलीफ, तरद्दुद और परेशानी को सच्चाई के साथ महसूस करते हुए 3 अगस्त, 1991 को सब से पहले जनता दल बिहारको

सरकार ने कानूनी दर्जा देकर इस मुल्क को इस राह पर चलने की डगर दिखलाई। मैं अपने बुजुर्ग रहनुमा जनाब सीता राम केसरी को कलब की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस मुल्क की तारीख को समझा, जिन्होंने माइनारिटीज की कुर्बानियों पर निगाह रखी और जिन्होंने माइनारिटीज के लिए इस बिल को लाकर अपनी ज़बान-ए-हाल से साबित कर दिया कि,

"हिन्दुस्तान को नाज है जिस पै
वह निशानी तुम हो,
ताज और लाल किला के यहां बानी
तुम हो।"

इसलिए मैं, चूंकि वक्त की कमी है शिकवा हमारी मौअज़िज चेयर को है और मैं उनके हुक्म की तामील अपना फर्ज-ए-मनसबी तस्सवुर करता हूं। इस लिए चंद तरमीमात को सामने रख कर आपके हुक्म को शर्मिदा-ए-तावीर कर दूंगा। . . . (व्यवधान) मैं बेकल भाई की इंतखाबी फिकर को भी आपके सामने रखूं कि हिंद की मिट्टी से जिसको प्यार है, जो रहा सीना सपर जुल्मों-सितम के सामने और अशफाकुल्ला खां, ब्रिगेडियर उस्मान आज़मी और हवलदार अब्दुल हमीद इसकी जीती-जागती जिंदा मिसालें हैं।

हिन्द की मिट्टी से जिसको प्यार
है,

जो रहा सीना सपर जुल्मों-सितम
के सामने,

जो वतन की लाज पर जान दे के
होता है शहीद,

देश को अजमे मुस्लमान दे गया
अब्दुल हमीद।"

भूरेते अशफाकुल्ला को भुला सकता
है कौन,

इस हकीकत को जमाने में दबा सकता
है कौन,

देश की मिट्टी ही जिसका जज़्बा-
ए-ईमान है,

सरहद-ए-काश्मीर पर कुर्बानी-ए-
उस्मान है।"

हमने भारतवर्ष की माग में अपने खून से सिंदूर रचा है, सिंदूर भरा है, हम हिन्दुस्तान की सरज़मीन पर माइनारिटीज के मसायल को उठाने के लिए भारत की पार्लियामेंट में माइनारिटीज के मसायल पर हकूमत-ए-हिन्द की तवज्जह दिलाने के लिए यह जरूरी समझता हूं कि गुफ्तगू खुल कर हो। दो-दो चार की हैसियत से हो, दो-दो पांच की हैसियत से न हो। इसलिए कि हिन्दुस्तान का मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया, हिन्दुस्तान का मुस्लमान इसी धरती की पैदावार है। हिन्दुस्तान का सिख इसी धरती की पैदावार है। बल्कि पैदावार ही नहीं, इस धरती के तहफुज की शानदार रिवायत इसकी तारीख से जुड़ी हुई है। इसलिए आज जो माइनरिटीज कमीशन बिल पास होने जा रहा है यह किसी के दान की बुनियाद पर नहीं, माइनारिटीज के बलिदान की बुनियाद पर, यह जरूरी था कि इस बिल को पास किया जाए।

एक बात और कहना चाहूंगा कि मुल्क में मानवता और इंसानी कमीशन के बिल की बात हमारे बी.जे.पी. के दोस्तों ने कही। इंसानी कमीशन ही कह कर बिल लाने की उनकी नीयत है, तो क्या वह अपने किरदार के आइने में इंसानियत का एहतराम साबित कर सकते हैं "हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, मुस्लिम भागो पाकिस्तान" यह है किरदार बी.जे.पी. का। . . . (व्यवधान) "मुसलमानों की एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई" यह नारा रहा . . . (व्यवधान) राम जन्म-भूमि के नाम पर, राम जन्म-भूमि का तरीका-ए-कार और उसमें मुसलमानों को खसूसियत से परच शोला-ए-सुर्ख के साथ जला देने का अंदाज, यह इनकी तारीख रही है।

आज भी बाबरी मस्जिद को तबाह कर देश के लिए वहां पर सारी कर्बो का मिसमार किया जाना मैं पूछता हूं किन-

किन बातों का इंकार की जाएगा ? वहां पर काजी कदवा की कब्र, रफी अहमद किदवई की कब्र अभी आपने मिसमार किया है । ये माईनोरिटीज के साथ होने वाले जुल्मों-सितम इंसानी एहतराम और इंसानी कमीशन की बात कहने वालों के मुंह पर बद-अमली का भरपूर थप्पड है जो कि हिन्दुस्तानी हुकूमत के सामने मौजूद है । इसलिए मैं यह मायनोरिटीज कमीशन बिल जो आया है, वह भी उन तकाजों को पूरा नहीं करता जिन तकाजों की ख्वाहिश हम एक जमाने से देख रहे थे । मगर मैं श्री सीताराम केसरी जी की नीयत पर एक सैकेंड के लिए भी हमला करने के लिए तैयार नहीं हूं । उनकी नेक नीयती के बारे में मुझे पूरा यकीन है कि जहां तक उनसे इस माहोल में मुमकिन हो सका, खूबसूरती के साथ वह जो इस बिल को लाए हैं, मैं तकरीर न करते हुए कुछ तरमीमात जरूरी समझता हूं, उन्हें उनके सामने रखना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) लिखकर भेज दीजिएगा ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : तरमीम जरूरी है सर । इसमें जो कुछ आया है उसके बारे में पढ देता हूं । हमारी आजादी के बाद से अब तक का तजुर्बा बतलाता है कि दस्तूरे हद में अकलियतों के तहफ्फुज और मुराद की दफात अपने आप में इतनी वाजे हैं कि अगर उनको ईमानदारी से अमल किया गया होता तो किसी भी तबके को शिकायत की गुन्जाइश नहीं होती, लेकिन हम अगर कहें कि दस्तूर पर अमल नहीं हुआ तो आप इंकार करेंगे । मगर आपका कमीशन नाने का यह तसव्वुर यह बतलाता है क आप भी मानते हैं कि इस पर अमल नहीं हुआ और मायनोरिटीज पर जुल्मों-सितम के कहर की बिजलियां चमकती रही हैं । इसलिए दस्तूर की दफात से भी ज्यादा वाजे अल्फाज में बहुत साफ नीयत के साथ इस मायनोरिटीज कमीशन की तसकील होनी चाहिए ताकि अकलियतों का टूटा हुआ एतमाद फिर से बहाल हो जाए ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): वह लिखकर दे दीजिए ।

मौलाना ओबैदुल्ला आजमी : मैं आपसे दुआ करता हूं, इसे पढ लेने दीजिए । कमीशन बिल में कुछ खामियां हैं, उनकी तरह निशानदेही करता हूं और काबिले कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए इस बिल की हिमायत करता हूं । मायनोरिटीज कमीशन में 6 मैम्बर या 7 मैंबर हैं, 5 मायनोरिटीज के हैं । बिल में कहा गया है कि ये कमीशन अकल्लियतों की मसाइल की इंक्वायरी और तर्जजिया करेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मायनोरिटीज कमीशन अगर यह रिपोर्ट दे दे कि अकल्लियतों के जो हुकक हैं, वह पामाल हो रहे हैं । उस पर अमल दरामद का कोई रास्ता इस बिल में नहीं है । तो फिर रिपोर्ट के बाद भी रिपोर्ट की दाखिल दफ्तर कर दें और उस पर अमल न हो तो इस कमीशन का क्या फायदा होगा ? इसलिए इस कमीशन को ऐसे अख्तियार दीजिए कि कमीशन की सिफारिशात पर अमल हो । उसकी रिपोर्ट दी जाएगी और पार्लियामेंट में रखी जाएगी ताकि अकल्लियतों को यह महसूस हो कि इस बिल में नेकनीयती के साथ काम लिया गया है, (2) अकल्लियतों कमीशन का

[मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

क्या मतलब है ? अकल्लियती कमीशन का मतलब है कि अकल्लियतों की इक्तसादी सियासी, समाजी, जिंदगी में जो बुहरान आ रहा है, उसका मुताला करें और हुकूमत चाहे मरकजी हुकूमत हो या सुबाई हुकूमत उसके सामने यह जो कमी है, उसे पेश करें। उसका इजाला हो। यह यह सारी बातें कमीशन में नहीं हैं। तो मुझे बताया जाय कि इस कमीशन का फायदा कैसे पहुंचेगा ? कमीशन के 5 मैम्बरान, मायनॉरिटीज को रोजगार मिल जाय इससे अकल्लियतों का मसला महफूज नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मायनोरिटी कमीशन को कानूनी इदारा बनाने का क्या मतलब है ? कांग्रेसी मैनीफैस्टो में यह कहा गया है कि इसको दस्तूरी दर्जा दिया जाएगा। जब आप उनको दस्तूरी दर्जा दे दें, जोकि हमारा कानूनी हक है, उसी सूरत में अकल्लियतें इस बिल के जरिए अपनी हिफाजत पर भरोसा कर सकती हैं। आप एक तरफ दस्तूरी तहफ्फूज भी नहीं देंगे और दूसरी तरफ अगर खोखले और कमजोर कानूनी तहफ्फूज पेश करेंगे तो अकल्लियितों के तहफ्फूज की जमानत कैसे मिल सकेगी ? अगर उनके दस्तूरी तहफ्फूज पर अमल नहीं हो सकता तो एक मामूली-सा कानूनी कमीशन किसी तरह उन्हें पामल होने से नहीं रोक सकता इसलिए जब तक दस्तूरी दर्जा इस कमीशन को नहीं दिया जाता तब तक कमीशन की सिफारिशात पर अमल का पाबंद नहीं हो सकती और मुल्क की अकल्लियत को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस वक्त तक यह कानून सिर्फ कागजी कानून बना रह जाएगा जब तक इसमें मुनासिब तरमीम नहीं की जाएगी जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलायी है। मैं हुकूमत से इस मायनॉरिटी कमीशन की दस्तूरी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए इस बिल की हिमायत करता हूं ताकि इसका पूरा-पूरा फायदा अकल्लियतों को मिल सके और बुनियादी तौर पर यह महसूस हो कि 44 साल तक जो लोग हमारे साथ सियासी खिलवाड करते आए हैं, इस बार उनकी नीयत साफ है। मैं आखिर में एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं—

अंदाजे बयां माना बहुत शोख है लेकिन
शायद कि उतर आए तेरे दिल में मेरी बात।

शुक्रिया।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی (اتر پردیش)
شکریہ جناب صدر محترم ... بلاشبہ ...
بہت دھیرے سے بولوں گا۔ بالکل گھبرانے
کی ضرورت نہیں ہے۔
اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر چندریش
پی ٹھاکر): دھیرے سے آواز بلند کیجئے لیکن
رفتار تیز کیجئے۔
مولانا عبید اللہ خان اعظمی: رفتار تیز
کر دیتا ہوں۔
کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے
جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے

مثالیں ہیں۔

"ہند کی مٹی سے جس کو پیار
جو رہا سینہ پہ سپر ظلم ستم کے سامنے
جو وطن کی لاج پر جان دیکر ہوتا ہے شہید
دیش کو عزم مسلمان دے گیا عبدالحمید
"جرأت اشفاق اللہ کو بھلا سکتا ہے کون
اس حقیقت کو زمانے میں دبا سکتا ہے کون
دیش کی مٹی ہی جس کا ایمان ہے
سرحد کشمیر پر قربانی عثمان ہے۔

ہم نے بھارت ورش کی مانگ میں اپنے خون سے سندور رچا ہے۔ سندور بھرا ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر مائنارٹیز کے مسائل اٹھانے کے لیے بھارت کی پارلیمنٹ میں مائنارٹیز کے مسائل پر حکومت ہند کی توجہ دلانے کیلئے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ گفتگو کھل کر ہو۔ دو دو چار کی حیثیت سے ہو۔ دو دو پانچ کی حیثیت سے نہ ہو۔ اس لیے کہ ہندوستان کا مسلمان کہیں باہر سے نہیں آیا۔ ہندوستان کا مسلمان اسی دھرتی کی پیداوار ہے۔ ہندوستان کا سکھ اسی دھرتی کی پیداوار ہے بلکہ پیداوار ہی نہیں ہے۔ اس دھرتی کے تحفظ کی شاندار روایت اس کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آج جو مائنارٹیز کمیشن بل پاس ہونے جا رہا ہے یہ کسی کے مائنارٹی ایکٹ کو ہندوستان کی سرزمین پر مائنارٹیز کی تکلیف، تردد اور پریشانی کو سچائی کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے ۳ اگست ۱۹۸۱ کو سب سے پہلے جنتا دل بہار کی سرکار نے قانونی درجہ دیکر اس ملک کو اس راہ پر چلنے کی ڈگر دکھلائی۔ میں اپنے بزرگ رہنما جناب سیتارام کیسری کو قلب کی انتہاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جنھوں نے اس ملک کی تاریخ کو سمجھا۔ جنھوں نے مائنارٹیز کی قربانیوں پر نگاہ رکھی۔ اور جنھوں نے مائنارٹیز کے لیے اس بل کو لاکر اپنی زبانِ حال سے ثابت کر دیا کہ

"ہندوستان کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی تم ہو
تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی تم ہو۔

اس لیے میں چونکہ وقت کی کمی ہے شکوہ ہماری معزز چیئرمین ہے اور میں ان کے حکم کی تعمیل اپنا فرض منصبی تصور کرتا ہوں۔ اس لیے چند ترمیمات کو سامنے رکھ کر آپ کے حکم کو شرمندہ تعبیر کر دوں گا۔ .....

"مداخلت" میں سیکل بھائی کی انتخابی فکر کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔

"ہند کی مٹی سے جس کو پیار ہے
جو رہا سینہ سپر ظلم ستم کے سامنے

اور اشفاق اللہ خاں۔ بریگیڈیر عثمان اعظمی اور حولدار عبدالحمید اس کی جیتی جاگتی زندہ

دان کی بنیاد پر نہیں مائنارٹیز کے بلیدان کی بنیاد پر۔ یہ ضروری تھا کہ اس بل کو پاس کیا جائے۔

ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ملک میں مالوتا اور انسانی کمیشن کے بل کی بات ہمارے بی۔جے۔پی۔ کے دوستوں نے کہی۔ انسان کمیشن ہی کہہ کر بل لانے کی ان کی نیت ہے۔ تو کیا وہ اپنے کردار کے آئینے میں انسانیت کا احترام ثابت کر سکتے ہیں۔ "ہندی ہندو ہندوستان۔ مسلم بھاگو پاکستان" یہ ہے کردار بی۔جے۔پی۔ کا... "مداخلت"... "مسلمانوں کی ایک دوائی۔ جوتا چپل اور پٹائی" یہ نعرہ رہا ہے... "مداخلت"... رام جنم بھومی کے نام پر۔ رام جنم بھومی کا طریقہ کار اور اس میں مسلمانوں کو خصوصیت سے شعلہ سرخ کے ساتھ جلا دینے کا انداز۔ یہ انکی تاریخ رہی ہے۔ آج بھی بابری مسجد کو تباہ کر دینے کے لیے وہاں پر ساری قبروں کا مسمار کیا جانا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کن کن باتوں کا انکار کروگے۔ وہاں پر قاضی قدوہ کی قبر۔ رفیع احمد قدوائی کے بعض پرکھوں کی قبر ابھی آپنے مسمار کی ہے۔ یہ مائنارٹیز کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم انسانی احترام اور انسانی کمیشن کی بات کہنے والوں کے منہ پر بدعملی کا بھرپور تھپڑ ہے۔

جو کہ ہندوستانی حکومت کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے میں یہ مائنارٹی کمیشن بل جو آیا ہے وہ بھی ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جن تقاضوں کی خواہش ہم ایک زمانے سے دیکھ رہے تھے۔ مگر میں شری سیتارام کیسری جی کی نیت پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انکی نیک نیتی کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے۔ کہ جہاں تک ان سے اس ماحول میں ممکن ہو سکا خوبصورتی کے ساتھ وہ جو اس بل کو لائے ہیں۔ میں تقریر نہ کرتے ہوئے کچھ ترمیمات ضروری سمجھتا ہوں انہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ....: مداخلت"...

ترمیم ضروری ہے سر۔ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہماری آزادی کے بعد سے اب تک کا تجربہ بتلاتا ہے کہ دستور ہند میں اقلیتوں کے تحفظ اور افراد کی دفعات اپنے آپ میں اتنی واضح ہیں کہ اگر انکو ایمانداری سے عمل کیا گیا ہوتا تو کسی بھی طبقے کو شکایت کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن ہم اگر کہیں کہ دستور پہ عمل نہیں ہوا تو آپ انکار کریں گے مگر آپ کا کمیشن بنانے کا یہ تصور بتلاتا ہے کہ آپ

بھی مانتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہوا اور مائنارٹیز پر ظلم و ستم کے قہر کی بجلیاں چمکتی رہی ہیں۔ اس لئے دستور کی دفعات سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں بہت صاف نیت کے ساتھ مائنارٹی کمیشن کی تشکیل ہونی چاہیئے تاکہ اقلیتوں کا ٹوٹا ہوا اعتماد پھر بحال ہو جائے۔۔ "مداخلت"۔۔۔

میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے پڑھ لینے دیجئے۔ کمیشن بل میں کچھ خامیاں ہیں۔ ان کی طرف نشاندہی کرتا ہوں اور قابل عمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بل کی حمایت کرتا ہوں۔

نمبر ایک مائنارٹی کمیشن میں ۶ ممبر یا ۷ ممبر ہیں۔ ۵ مائنارٹی کے ہیں۔ بل میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیشن اقلیتوں کے مسائل کی انکوائری اور تجزیہ کرے گا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹی کمیشن اگر یہ رپورٹ دے دے کہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں اس پر عمل درآمد کا کوئی راستہ اس بل میں نہیں ہے تو پھر رپورٹ کے بعد رپورٹ کو داخل دفتر کر دیں اور اس پر عمل نہ ہو تو اس کمیشن کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس لئے اس کمیشن کو ایسے اختیارات دیجئے کہ کمیشن کی سفارشات پر عمل ہو۔ اس کی رپورٹ دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں رکھی جائے گی تاکہ اقلیتوں کو یہ محسوس ہو کہ اس بل میں نیک نیتی کے ساتھ کام لیا گیا ہے۔

نمبر دو۔ اقلیتی کمیشن کا کیا مطلب ہے۔ اقلیتی کمیشن کا مطلب ہے کہ اقلیتوں کی اقتصادی۔ سیاسی۔ سماجی۔ زندگی میں جو بحران آ رہا ہے۔ اس کا مطالعہ کریں اور حکومت چاہے مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو اس کے سامنے یہ جو کمی ہے اسے پیش کرے۔ اس کا ازالہ ہو۔ یہ ساری باتیں کمیشن میں نہیں ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ اس کمیشن کا فائدہ کیسے پہنچے گا کمیشن کے ۵ ممبران مائنارٹیز کو روزگار مل جائے۔ اس سے اقلیتوں کا مسئلہ محفوظ نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹیز کمیشن کو قانونی ارادہ بنانے کا کیا مطلب ہے۔ کانگریس مینی فیسٹو میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو دستوری درجہ دیا جائے گا جب آپ اس کو دستوری درجہ دے دیں جو کہ ہمارا قانونی حق ہے۔ اسی صورت میں اقلیتیں اس بل کے ذریعے اپنی حفاظت پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ آپ ایک طرف دستوری تحفظ بھی نہیں دیں گے۔ اور دوسری طرف اگر کھوکھلے اور کمزور قانونی تحفظ پیش کریں گے تو اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت کیسے مل سکے گی

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

اگر ان کے دستوری تحفظات پر عمل نہیں ہو سکتا تو ایک معمولی سا قانونی کمیشن کسی طرح انہیں پامال ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس لئے جب تک دستوری درجہ اس کمیشن کو نہیں دیا جاتا۔ تب تک کمیشن کی سفارشات پر عمل کی پابندی نہیں ہو سکتی اور ملک کی اقلیت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے اس وقت تک یہ قانون صرف کاغذی قانون بنا رہ جائے گا جب تک اس میں مناسب ترمیم نہیں کی جائے گی جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ میں حکومت سے اس مائنارٹی کمیشن کو دستوری درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بل کی حمایت کرتا ہوں۔ تاکہ اس کا پورا پورا فائدہ اقلیتوں کو مل سکے اور بنیادی طور پر یہ محسوس ہو کہ ۴۴ سال تک جو لوگ ہمارے ساتھ سیاسی کھلواڑ کرتے آئے ہیں۔ اس بار ان کی نیت صاف ہے۔ میں آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

انداز بیاں مانا بہت شوخ ہے لیکن
شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

شکریہ

[THE VICE CHAIRMAN (Shri Bhaskar Annaji Masodkar): in the Chair.]

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of the AIADMK, I welcome the National Commission for Minorities Bill, 1992. This Bill conforms to safeguard the commitment to the nation for the guarantee and protection of the minorities in our country. The Constitution of India enshrines certain rights of the minorities of our country. These rights are given under articles 14, 15, 16; 25; 26, 29 and 30 of our Constitution. But these Constitutional provisions have not been fully and properly implemented for the last 43 years. This Bill is not introduced to add any more Constitutional rights but it is only to protect, implement and monitor the rights given under the above articles of our Constitution. The National Commission will boost the growth of education among the minority communities and the economic upliftment of the minorities. This Bill will definitely safeguard and guarantee social justice for the minorities of this country.

Sir, as regards the Bill, I have some suggestions to make. Clause 3(2) says that the Chairman and six members shall be nominated by the Government from amongst eminent persons of ability and integrity. I feel that this is not adequate because the persons so nominated should not only be able but they should also have a through knowledge of the problems being faced by such communities. They should be sensitive enough to the faiths and beliefs of such communities. Again, the same Clause 3 (2) says that five members including the Chairman shall be from amongst the minority communities, that is, out of seven members of the Commission, two shall be taken from outside this group. While nominating the two persons from outside the minority communities, the Government has to be very cautious. Such persons should not be fanatics of any

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

sort and they should command the respect of the minority communities. They should be eminent persons who have due respect for the Constitution and they should be secular in their thoughts, words, and deeds. So the Government has to exercise enough caution on this matter. The Chairman of the Commission should be appointed on the basis of the rotation of different minorities.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude.

SHRI M. VINCENT: The Commission should also give equal representation for all the minorities on the appointments of the members of the Commission. An express provision for training offences against minorities by special courts...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude. Your time is over.

SHRI M. VINCENT: This also should be made by an appropriate law. The benefits and concessions extended to Scheduled Caste persons, professing Hindus, Sikhs and Buddhists should also be extended to Scheduled Caste Christians. Sir, 180 Members of Parliament have also submitted a joint petition to the Prime Minister in this regard. I thank the Prime Minister and the Welfare Minister for having introduced a long-awaited Bill...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Nothing will go on record. Your time is over.

SHRI M. VINCENT: I will just take 30 seconds more.

[**The Deputy Chairman** in the Chair.]

I request the Prime Minister to take steps to introduce a Bill in Parliament during the monsoon Session, 1992, to amend the Presidential Order of 1950 and thereby secure equal justice by providing statutory benefits and concessions to Scheduled Caste Christians. I am sure that this Bill will instil confidence in the minds of the minorities

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, . . .

डा० रत्नाकर पाण्डेय : बिना नाम लिए खड़े हो जाते हो। . . . (**व्यवधान**) . .

उपसभापति : बिना नाम लिए खड़े हो जाते हो। कुछ लोगों को आदत होती है खड़े होने की। . . (**व्यवधान**) राम अवधेश जी, बोलिए। जल्दी मे बोल दीजिए जो बोलना है।

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभापति महोदया, मैं सबसे पहले भारत सरकार को नेशनल कमीशन बहाल करने के लिए बधाई देता हूं, उसकी नियुक्ति के लिए। इसके लिए मौजुदा वेलफेयर मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि यह आयोग बहुत देर से प्रतीक्षित था। लेकिन, जो इसकी धारा 9 में कर्तव्य गिनाए गए हैं, उससे लगता है कि इस सरकार की नियत पूरी साफ नहीं है क्योंकि धारा 9 में जो कर्त्तव्य गिनाए गए हैं माइनारिटी कमीशन के, उसमे कुछ माइनॉरिटी क्लास के लोगा को मिलने वाला नही है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक चॉकलेट की तरह से कोई चीज़ दे दी गई है कि प्यास अगर ज्यादा लगी हो तो थोड़ी बुझ जाए। इतना भर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है।

महोदया, मुझे इस देश की दो माइनारिटीज़ के बारे में बात करनी है—एक माइनॉरिटी तो रिलीजियस माइनॉरिटी है जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन पारसी, बौद्ध, जैनी, ये सब लोग सम्मिलित हैं, लेकिन एक माइनॉरिटी हिन्दू की है, वह हिन्दुस्तान को रूल कर रही है, उस साढ़े तीन फीसदी माइनॉरिटी का जुल्म इस देश पर इतना है जिसकी इतिहास में . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : यह इसमें कहां है ?

श्री राम अवधेश सिंह : इसमें है । यह कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी ? यह तीन, साढ़े तीन फीसदी के लोग, अगर हिन्दू माइनॉरिटी के लोग हिस्सा मारते, मुसलमानों का हिस्सा मारते, पिछड़ों का हिस्सा नहीं मारते तो इस आयोग की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप उनको हिस्सा मिलता । लेकिन, क्योंकि ये हिस्सा मार रहे हैं, हिस्सामार लोग यहां बैठे हैं, जो कानून भी बना रहे हैं, यह जो कमीशन भी ला रहे हैं, वह भी दिल से नहीं ला रहे हैं । डा० लोहिया ने कहा था कि अगर इस देश को बनाना है और मजबूत बनाना है तो निश्चित रूप से दबे-कुचले लोगों को, माइनॉरिटी क्लास के लोगों को, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को, इनका बीज होगा और खाद बनना पड़ेगा इस देश के द्विजों को, जब द्विज खाद बनेंगे तब यह देश बनेगा और शूद्रों का पौधा उस पर लहलहाएगा । तो मैं चाहता हूं कि उस दृष्टि से अगर सरकार काम करे तब तो यह देश बन सकता है, वरना नहीं बन सकता है । यह जो हिन्दू माइनॉरिटी है, उसका मन बहुत * है, खासकर उसमें एक कम्युनिटी है, उसका मन बहुत * है और उसकापूरे देश पर एकाधिकार है— प्रशासन पर है, गवर्नरी पर है, ज्यूडिश्यरी पर है ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : कौन है, बताइए ।

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, this should be expunged.

श्री राम अवधेश सिंह : यह ब्राह्मण कम्युनिटी है, वह है साढ़े तीन फीसदी ।

उपसभापति : राम अवधेश जी, आपको जो कुछ बोलना है बिल पर, वह करीब 3 मिनट में बोल दीजिए । मुझे दूसरों को बुलाना है, इधर-उधर की बातें नहीं करिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि डा० अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, पार्लियामेंट दिया, उनको इस संसद में हिन्दू माइनॉरिटी के नेताओं ने नहीं आने दिया और मुस्लिम लीग के सहयोग से पश्चिमी बंगाल से वह इस सदन में आए अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो संसद का मुंह अम्बेडकर साहब नहीं देख सकते थे, जिन्होंने पार्लियामेंट की कल्पना की और संविधान बनाया । तो इतने* लोग हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know whether the word *is parliamentary or unparliamentary... (*Interruptions*)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इनको इस तरह से संसद में न अलाऊ किया जाए । This is highly objectionable. He should learn manners and also how to speak in Parliament... (*Interruptions*)...

उपसभापति : ठीक है । पाण्डेय जी, मैं आपसे सहमत हूं । राम अवधेश जी, ... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : ब्राह्मण न राज्य में रहता है, न किसी के अन्न पर पलता है, ब्राह्मण अमृत होकर जीता है और स्वराष्ट्र में विचरण करता है । ब्राह्मणत्व शासन बुद्धि-सत्ता का नाम है और यह छोटे स्तर पर कलंकित कर रहे हैं, यह घोर अपमान की बात है मैडम ।

उपसभापति : राम अवधेश जी, कृपया आप जो विषय डिस्कस कर रहे हैं, उसी पर बोलिए । आप दूसरी किसी कम्युनिटी पर इस तरह से कि * है, यह अल्फाज मत बोलिए मैं इनको रिकार्ड में आने नहीं दूंगी । यह रिकार्ड में मत लिखिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : * मैंने कहा ही नहीं । मैंने * कहा हो तो निकाल दीजिएगा ।

उपसभापति : आपने कहा, हमने सुना ।

डा रत्नाकर पाण्डेय : आप क्षमा याचना कराइए इस आदमी से ।

*Not recorded.

श्री मोहम्मद सलीम : लेकिन पंडित जी जो बात कह रहे हैं—छोटे स्तर पर बड़ी बात करते हैं, वह भी नहीं बोलना चाहिए । . . . (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने नीयत के बारे में कहा है । जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, यह मैं कह रहा हूं ।

उपसभापति : अच्छा, अब आप अपनी नीयत साफ करके बैठ जाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : एक मिनट और मैं बोलूंगा । मॉयनोरिटी कमीशन की जरूरत इसलिये पड़ रही है, क्योंकि यह जो इस देश के धार्मिक अपसंख्यक हैं उनके मन में भय समाया हुआ है और हर स्तर पर उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है । नौकरियों में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता है, जहां सम्मानित जगह हैं वहां उनको हिस्सा नहीं मिलता है । इसलिये यह जरूरी है कि उनको सुरक्षा दी जाये और मैं चाहता हूं कि इसीलिए संविधान में संशोधन करके जब यह मॉयनोरिटी कमीशन आ गया जैसे बैकवार्ड कलासेज कमीशन बना है, उसी तरह से यह मॉयनोरिटी कमीशन जब बन गया तो संविधान में संशोधन करके, प्रावधान करके उनको भी सुरक्षित जगह दी जाये, उसके सेफगार्ड की व्यवस्था संवैधानिक हो, यह मेरी मांग है । असली मांग यही है ।

उपसभापति : शुक्रिया । सिकन्दर बख्त साहब, आप दो मिनट लेंगे, एक मिनट लेंगे या चार मिनट लें, उससे पहले मैं हाऊस में एक एनाउंसमेंट कर दूं कि

at 5.30 p.m. there will be a statement by the Home Minister. Shri S. B. Chavan will make a statement regarding the decision declaring LTTE an unlawful association under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Now, a better sence has dawned on the Government.

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब, आप मेहरबानी करके बोलें ।

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : सदर साहिबा, शुक्रिया । बगैर भूमिका के दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । राज मोहन गान्धी साहब की तकरीर का एक हिस्सा था, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि 'There is a global religious tension which exists.'

उस पसमंजर में, उस पृष्ठभूमि में इस सदन में मैंने हिंदुस्तानियों को बोलते सुना, तो मेरा सिर नाज़ से और फक्र से ऊंचा हो गया । मैं एक ऐसे देश का बाशिन्दा हूं कि उस आलम में इंतखाब है । एक-दो तल्ख भाषणों को छोड़कर सभी बातें ऐसी सुनाई दी जो हिन्दुस्तान की हजारों साल पुरानी संस्कृति से, पैदा हुए जज़बात से, पैदा हुए फलसफे से ताल्लुक रखती थी, सर्व धर्म संभाव की बात थी । जो बातें आज मैंने सुनी वह दुनियां के किसी मुल्क में सुनी नहीं जा सकती । सदर साहिबा, दूसरी बात, यह राज मोहन गान्धी साहब से ही शुरू हुई थी । लेकिन दो-चार हज़रात ने और उस बात का जिक्र किया, उर्दू की बात हुई । थोड़ा बहुत ताल्लुक उर्दू से मेरा भी है । लेकिन मैं यह समझने की कोशिश करता रहा हूं कि उर्दू का मॉयनोरिटी से या इस मॉयनोरिटी कमीशन बिल से क्या सम्बन्ध हो सकता है । मैं उर्दू को हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान मानना चाहता हूं और मैं यह कह देना चाहता हूं कि लिसानी एतबार से अगर उर्दू की फरोग में कोई चीज रुकावट का बाइस बन सकती है तो वह पोलिटिलाईज करना और उर्दू को कम्युनलाइज करना है । तीसरी बात, यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ लगता है कि जैसे लफ्ज़ अपने अर्थ खो चुका है । लफ्ज जैसे कोई भीड़ के गुल में गुम हो गया हो । शायर से माफी के साथ मैं एक लफ्ज़ बदलते हुए एक शेर अर्ज़ करना चाहूंगा—

एक लफ्ज़ खो गया है जो रास्ते की भीड़ में,
उसका पता चले तो कुछ अपनी खबर मिले ।

[Shri Subramanian Swamy]

हम लोगों ने माइनोरिटीज़ और माइनोरिटीज़ कमीशन इन दोनों चीजों के बारे में एटीट्युड क्या है, उसमें कोई वाज़े लकीर नहीं खेंची। माइनोरिटीज़ कमीशन उसकी मुखालिफत किन बुनियादों पर की गई है? माइनोरिटीज़ कमीशन की मुखालिफत को माइनोरिटीज़ की मुखालिफत बना दिया गया। मुझे रंज है कि जहां मेरे दिल में एक बहुत खूबसूरत जज़बात को जन्म दिया आज के भाषणों ने, वहां ये जबर्दस्ती का तौक जो गर्दन में डाला जाता है, इसको बहुत दुरुस्त समझना मुश्किल है।

माइनोरिटीज़ कमीशन, राजमोहन गांधी साहब ने भी कहा था कि आल्टरनेट तुम्हारा क्या है। हो सकता है कि आप सबको नामंजूर हो (समय की घंटी) में खत्म कर रहा हूं। मैं भाषण दे ही नहीं रहा हूं मैडम। माइनोरिटीज़ कमीशन से इख्तलाफ जायज़ है लेकिन माइनोरिटीज़ कमीशन की जगह ह्यूमन राईट्स कमीशन का जिक्र करना कम्युनल बात कैसे हो गई, वह समझने से मैं कासिर हूं।

जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भाषण करूंगा नहीं, तीन बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। भाषण मेरे साथी कृष्ण लाल शर्मा जी कर चुके हैं। भरपूर भाषण था; मैं सौ फीसदी उनके भाषण से मुत्तफिक हूं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : हिन्दू-मुसलमानों की लाशें गिनीं उन्होंने।

श्री सिकन्दर बख्त : वह बात छोड़िए। मैं अगर वह गिनना शुरू करूंगा, आप मुझ से सवालात न कीजिए क्योंकि उन्होंने घंटी भी बजा दी है मैं आपसे जब चाहें, जितना चाहें इन लाशों के गिनने का ज़िक्र भी कर लूंगा। बदकिस्मती तो यह है कि हम अपनी सियासत के किलों को खड़ा करते हैं लाशों पर। वह लाशों की बात आप करें, मैं करूं या मेरा कोई साथी करे, जाने दीजिए, उसको न कहिए। मैं उन तल्खियों में पड़ना नहीं चाहता। मैं बगैर तल्खी में पड़े हुए बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान की बातों को खूबसूरत मानता हूं। दुनिया के किसी मुल्क में ये बातें हो नहीं सकती अगर हिंदुस्तान को हिन्दुस्तानी फलसफा न मिला होता। मैं उर्दू को किसी एक फिरके की जुबान नहीं मानता हूं और तीसरी बात यह मैं कहता हूं कि माइनोरिटीज कमीशन के मुकाबले में अगर भारतीय जनता पार्टी ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करती है, आपको उसको रिजैक्ट कर देने का हक है लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करना कम्युनलिज्म की बात है नहीं। मैं इस माइनोरिटीज कमीशन के बिल को बिला मकसद, बेमकसद समझता हूं। शुक्रिया बहुत-बहुत।

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : उपसभापति महोदय, मैं बहुत ही गौर से अपने और विरोधी सदस्यों के भाषण सुन रहा था। सर्वप्रथम राजमोहन गांधी जी ने जो सुझाव दिया है उसके पीछे एक औचित्य है। अगर कृष्णलाल शर्मा जी ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिसका जवाब मुझे देना है, मगर जवाब देने के पूर्व उनसे जवाब देना भी है।

आपने इस बिल के संबंध में यह कहा कि यह राष्ट्रीय अपराध है। मैं अपने 62 वर्ष के जनजीवन के बीच में यह बताना चाहता हूं कि मुझे उनके भाषण ने झकजोर दिया है। कृष्णलाल जी मैंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी है मुल्क की खिदमत भी की है। इन कांग्रेसियों को गर्व है कि इसने जयप्रकाश नारायण को जेल से भी बाहर आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए मदद की है। यह राष्ट्रीय अपराध नहीं है। विचार का मतभेद स्वाभाविक चीज है। मगर विचार के आधार पर किसी के विचार को अराष्ट्रीय कहना दुखद बात है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मगर दुख के साथ ये शब्द कह रहा हूं कि आपके शब्दों को मैं सुन रहा था और बहुत गौर से सुन रहा था मगर इन शब्दों मेरे दिल पर, मेरे कलेजे पर तीर का

काम किया है, बहुत चोट की है। कृष्णलाल जी आपने पहला प्रश्न किया है कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। अल्पसंख्यक के संबंध में 1984 में होम मिनिस्ट्री ने डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है होम मिनिस्ट्री ने वर्डिक्ट दे करके—

"The Home Ministry, vide its O.M. dated 15-3-84 (Annexure V), issued a clarification in respect of recruitment to public services, wherein it was, *inter alia,* stated that minorities identified are: Muslims, Christians, Neo-Buddhists, Sikhs and Zoraoastrians (Parsis)."

दूसरी बात आपने हिन्दू का अर्थ पूछा है। मैं तो समझ रहा था कि कृष्णलाल जी हिन्दू का अर्थ आप ज्यादा जानते हैं। आप मुझे हिन्दू धर्म की व्याख्या करके बताते अगर जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं कोई भाषा का पंडित नहीं, कोई मैं विद्वान नहीं हू, मैं किसी कालेज और स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, न किसी अंग्रेजी राज के स्कूल में पढ़ा न अपनी सरकार के राज में किसी स्कूल और कालेज में पढ़ा मगर अपने मित्रों और अपने नेताओं के बीच में आज तक जो मैंने पढ़ा और उससे हिन्दू धर्म की जो व्याख्या मैंने सीखी उस हिन्दू धर्म और आपके हिन्दू धर्म में महान अंतर है। वहां मानवता है। वहां राम है राम है, वहां राम वह राम जिसने कभी रथ पर वाहन नहीं किया। मगर आपका राम रथ पर चला। कहां है रामायण में लिखा हुआ कि राम रथ पर पर चले हैं ?

श्री राम दास अग्रवाल (राजस्थान): जब रावण का अंतिम युद्ध हुआ था उस समय, यह रामायण में लिखा हुआ है।... (व्यवधान)

श्री कृष्णलाल शर्मा : मंत्री जी, मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरी बातों को डिस्टार्ड मत कीजिए मैंने कहा है कि इस बिल के साथ न अल्पसंख्यक की व्याख्या है न बहुसंख्यक की व्याख्या है। वह इस बिल के साथ जोड दीजिए, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सीताराम केसरी : आपने हिन्दू धर्म की व्याख्या पूछी है। हिन्दू धर्म का क्या अर्थ है वह सुनिए मैं तो इतना ही जानता हूं और मैंने अपने जीवन में यही सीखा कि अल्पसंख्यक, जो आजादी की लडाई से आज तक मैंने यही सीखा है, कि जो मेरा छोटा भाई है, जो हमसे लघु है, उसको प्यार दो, उसको सुरक्षा दो, उसको संरक्षण दो। मैंने यही सीखा और इसी के आधार पर मैंने देखा कि हमारे नेता का बलिदान हुआ। उपसभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो एक स्लोगन दिया "सेंस आफ विक्ट्री" जब इनका राम का रथ चला, अडवानी जी जब बैठकर चले, सेंस आफ विक्ट्री। सेंस आफ विक्ट्री अगेंस्ट हूम। अगेंस्ट माइनोरिटीज ? आजादी के समय से ही जो करोडों मुसलमान नहीं जानते थे कि पाकिस्तान बनने वाला है, हिन्दुस्तान बनने वाला है, वह निरीह थे, मूक थे। साइलेंट थे। उनके खिलाफ सेंस आफ विक्ट्री तो

sense of victory against whom?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Against the Congress party.

SHRI SITARAM KESRI: Welcome, but it is not a fact. You are speaking hundred per cent otherwise. I do not say 'lies', I say 'otherwise'. मेरे दोस्त विजय उल्लास किस के खिलाफ, विजय के जजबात किस के खिलाफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ? . . .

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) चर्चा का जवाब दीजिए।

श्री सीताराम केसरी : कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे और सेंस आफ विक्ट्री की .. (व्यवधान) मुझे दुख के साथ कहना पड रहा है कि सेंस आफ विक्ट्री आपके पास नहीं है। (व्यवधान)

उपसभापति : देखिए, आप जब बोल रहे थे तो केसरी जी ने किसी को

[उपसभापति]

डिस्टर्ब नहीं किया । अब केसरी जी बोल रहे हैं।

I would not like anybody to disturb him.

श्री प्रमोद महाजन : सेंस आफ विस्ट्री की बात कैसे कर रहे हैं ।

श्री कृष्णलाल शर्मा: अगर वह पर्सनल नाम लेकर कहेंगे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैंने किसी का पर्सनल नाम नहीं लिया। अगर पर्सनल नाम लेकर कहेंगे तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 1984 में क्या हुआ ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?। (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य **प्रदेश**) : 1984 में क्या हुआ था ? (**व्यवधान**)

उपसभापति : सारंग जी आप बैठ जाइए। जब आप बोल रहे थे तो मैं यहां अपने कमरे में बैठी सुन रही थी । केसरी जी ने किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया । अब मंत्री जी बोल रहे हैं अपना जवाब दे रहे हैं आप सहन करके सुनिए । जो कुछ वह कहना चाह रहे हैं उनको बोलने दीजिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): हम लोग शांतिपूर्वक उनको सुनना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : यह कैसे सेंस आफ विस्ट्री की बात कर रहे हैं । किसी ने भी सेंस आफ विस्ट्री की बात नहीं की। खुद शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : केसरी जी सर्व न बोलिए इनको बड़ी तकलीफ हो रही है ।

†[شری محمد افضل عرف م۔ افضل:

کیسری جی سچ نہ بولئے انکو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔]

[ ] † Transsliteration in Arabic Script.

श्री सीता राम केसरी : मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका है ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : आपने मेरा नाम लिया था।

श्री सीता राम केसरी : आपने यह कहा था राष्ट्रीय अपराध है। (**व्यवधान**) मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बिल क्यों आया ? यह विधेयक क्यों आया ? मुझे दुख है। यह विधेयक इस देश में नहीं आना चाहिए था। मगर जो परिस्थिति पैदा हुई उसके कारण और जो आपने कहा कि वोट लेने के लिए यह किया तो मैं इसका भी उत्तर आपको दे रहा हूं। हमने वोट लेने के वक्त वायदा किया था और वायदा करने के बाद अपने घोषणा पत्र में इसे घोषित किया और इसकी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वचनबद्धता प्रकट की। हमारे प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में कहा कि इसी सत्र में कानूनी दर्जा इस अल्पसंख्यक आयोग को देंगे। तदनुसार यह आपके सामने उपस्थित किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि अगर हम अपने मतदाता के सामने वचन देते हैं, उनको कहते हैं कि अगर आप हम को वोट देंगे और हम सत्ता में आये तो हम यह करेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप वोट के लिए जो भय का वातावरण देश में पैदा कर रहे हैं उस पर आपने कभी गम्भीरता से सोचा ? जब आपका राम का रथ सोमनाथ से चला तो दस करोड़ देश के मुस्लिम, बेचारे अल्पसंख्यक पर क्या प्रहार हो रहा है इस बारे में आपने सोचा ? आपने उनके धर्म पर प्रहार किया। वे सब कांप गये। उनके सामने क्या विकल्प था ? भय का वातावरण सारे देश में छा गया। नतीजा क्या हुआ। नतीजा यह हुआ कि जब बिहार में पहुंचे तो इनका रथ रुक गया। एक भी हड़ताल नहीं हुई। किन्तु जिन भाइयों के कलेजे पर क्रन्दन था, दुख था, वे देख रहे थे। इन्हीं सारी परिस्थितियों के कारण जो भय पैदा हुआ उसकी वजह से इस आयोग को आज कानूनी

दर्जा दिया जा रहा है और संभव है कि यदि आपने इस ओर ध्यान नहीं किया, इनको गले से नहीं लगाया तो जिस तरह के भाषण आज आपने अल्पसंख्यक भाइयों की ओर से सुने हैं, जो सारी घटनायें घटती हैं, उनको मद्दे नजर रखिये। देश को एक रखना है। सोसायटी में कम्प्रोमाइज होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सौहार्द होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार करने की बात सोचनी चाहिए। मगर वोट का मुद्दा बना करके, उनके ऊपर अत्याचार करके, समाज को हिन्दू और मुसलमानों में बांटना नहीं चाहिए। किन्तु धर्म के नाम बंटा। आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या यह सत्य नहीं है कि आजादी की लड़ाई में इनका योगदान रहा है? क्या यह सत्य नहीं है, मेरे भाई ने अभी ठीक कहा है कि गांधी ही नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी, ग्रेटेस्ट लीडर आफ दी कन्ट्री, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इस देश का विभाजन हो। दुख है कि इस देश में जिस व्यक्ति ने देश के विभाजन का विरोध किया उसकी हत्या हुई। गहराई से सोचने की बात है। अगर गहराई से नहीं सोचियेगा तो ठीक है, आपने दूसरे रूप में कहा, हम दूसरे रूप में कह रहे हैं। हम अनुभूति के आधार पर कह रहे हैं, आप किताबों के ज्ञान और भावना के आधार पर कह रहे हैं। अगर देश टूट जाएगा तो आप उसको जोड़कर नहीं रख सकते हैं। दस करोड़ अल्पसंख्यकों में कई लोग बुद्धिस्ट्स हैं, कुछ पारसी भी हैं और सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं। मैं अल्पसंख्यकों की डेफिनिशन नहीं कर रहा हूं। मुख्यतः अल्पसंख्यकों का अर्थ हो गया है, आप और हम सब समझ रहे हैं, उसके आधार पर कह रहा हूं, वह मुसलमान हैं। आप 9–10 करोड़ लोगों को इस देश से नहीं निकाल सकते।

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : उनकी संख्या 12 करोड़ हो गई है।

श्री सीताराम केसरी : जो भी संख्या हो, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। एक सौ, दो सौ, तीन सौ, तीन लाख, तीन करोड़, तीस करोड़, इसका सवाल ही नहीं है।

श्रीमती कमला सिन्हा : अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, और बौद्ध भी आते हैं।

श्री सीताराम केसरी : बहिन जी, आप ठीक कह रही हैं, सब आते हैं। लेकिन मूलतः अल्पसंख्यकों के अर्थ में हम मुसलमान भाइयों को ही मानते हैं। हैं नहीं, हम नहीं मानते। हमने तो इस तरह से पढ़कर सुना दिया, यह दूसरी बात है। जो सच्चाई है उस पर हम लोग डिसकसन कर सकते हैं। आज क्या है? पांच सौ वर्ष पहले कोई आक्रमणकारी आया, आततायी आया, अत्याचारी आया, वह क्या था, वह धर्मात्मा था, महात्मा था या खुदा परस्त था, कोई नहीं जानता। क्या पावर थी, कोई नहीं जानता। बाबर आया उसने बाबरी मस्जिद बनाई। यह वोट का मसला है। हम उस राम के चेले हैं जो "हे राम" कह कर चला गया। आप उस राम की चर्चा करते हैं जो कभी रथ पर नहीं चढ़ा। क्या कभी आपने वोट गिने हैं? हमारे देश में 51 करोड़ 80 लाख वोट हैं। पंजाब में 1991 में एक करोड़ वोट भी नहीं पड़े। दो करोड़ दूसरे माइनोरिटीज के वोट मिला लीजिये। ये सब 51 करोड़ 80 लाख होते हैं। 7 करोड़ मुसलमानों के वोट मान लीजिये। 44 करोड़ 80 लाख वोट हुए। 44 करोड़ 80 लाख हिन्दू वोटों में वोट पोल हुए कम से कम 21 करोड़। क्या कभी आपने गिना कि इनके राम को कितने वोट मिले। पौने तीन करोड़, जरा सोच लीजिये। 18 करोड़ हिन्दुओं ने गांधी के "हे राम" को वोट दिया, इनके राम को नहीं। आप गिन लीजिये। मैं तो हिसाब किताब बता रहा हूं। इसलिये मैं आपसे कहता हूं... (व्यवधान)... आप गिन लीजिये। मैं सब के सामने गिना देता हूं। ... (व्यवधान)... यह तो आपकी हालत रही है।

श्री संघ प्रिय गौतम : कांग्रेस का भी हिसाब बता दीजिये।

श्री सीता राम केसरी : कांग्रेस का वही है जो पहले से चला आ रहा है। उसमें कोई फर्क नहीं है। हमारा वोट "हे राम" का है, "हरे राम" का नहीं है, "रथ राम" का नहीं है, "हे राम" का वोट है। हे राम कहकर गांधी जी बलिदान हो गये। सेकुलरिज्म की रक्षा के लिये, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये उनकी हत्या हुई। उस "हे राम" से हम लोग चलते हैं, यह एक सिद्धांत है। विचारों में मतभेद रहना चाहिये। आप भी एक विचार हैं, हम भी एक विचार हैं। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यदि आप अल्पसंख्यकों को गले से नहीं लगायेंगे, उनके धर्म पर, उनके मजहब पर, उनकी सारी चीजों पर आक्रामक तौर से व्यवहार होता रहेगा तो यह देश टूट जायेगा, कोई रोक नहीं सकता है। यह मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है। हिन्दू कास्ट मत पूछिये। हिन्दू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि वह संस्कृति है। इसमें अनेक पैगाम्बर हुए हैं। शंकर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं जब कि दूसरी तरफ आप देख लीजिये... (व्यवधान) आप ऐसा मत कीजिये मेरा निवेदन है और मैं हिन्दू संस्कृति की बात कह रहा हूं। इसलिये में निवेदन करता हूं, कि हिन्दू एक संस्कृति है, वह धर्म नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप देखेंगे कि यह मुल्क कबीर का है, यह मुल्क बुद्ध का है, यह मुल्क गांधी का है। यह मुल्क हमारा है। जो भाई-भाई को भाई नहीं समझे, जो अपने से छोटे पर अत्याचार करे वह अत्याचारी है। एक बात हमेशा याद रखिये। उपसभापति महोदया, आप जानती हैं, आप एक मां हैं। जब मां कभी अपने बच्चे को उसकी गलती पर पीटती है तो बच्चा भी थप थप मारता है। लेकिन उसके लिये यह नहीं कहा जाता है कि बच्चे ने मां को पीटा। इसलिये अल्पसंख्यक इस देश में बच्चा है, उसको प्यार करो, उससे मुहब्बत करो, उसको साथ लेकर चलो, उस थप्पड़ को हप्पड़ मत समझो।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, it was decided that the Bill would be put to vote at 4.00 p.m. Now it is already 5-00 p.m.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. Then I will put it to vote.

श्री सीताराम केसरी : हमारे रहमान साहब ने अल्पसंख्यकों के लिये फाइनेंसियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की बात कही। ... (व्यवधान) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री जी विस्तार से ही बोलें तो अच्छा है।

5.00 PM

श्री सीताराम केसरी : मैं एक निवेदन महोदया आपके द्वारा करना चाहता हूं। महोदया, आज देश में एक जागृति हो रही है, एक जागरण हो रहा है। हिंसा का वातावरण है। चारों तरफ ये सारी चीजें फैल रही हैं और यह बात, यह जो आपके सामने सारी चीज उभरकर आती है, उसको अगर गौर से नहीं देखेंगे, गौर से नहीं समझेंगे तो ये मसले देश के हल होने वाले नहीं हैं। मैं कोई आपको तकरीक, प्रवचन या शिक्षा देने की बात नहीं कहता हूं। यह महसूस करता हूं। आपने माइनारिटी की व्याख्या मांगी तो मैंने दे दी। आपने हिन्दू धर्म की व्याख्या मांगी, मैंने कह दी। मगर साथ साथ यह भी कहता हूं कि इस देश में माइनारिटी है अल्पसंख्यक है, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। 1857 देखिए, उनके नेतृत्व में लड़ा गया और एक बात और मैं कहता हूं कि यह कहना कि उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी यह गलत होगा। एक से एक नेता हुए। मगर आपकी विचारधारा हमेशा उसी फिरकापरस्ती पर रही। हमेशा सेक्युलरिज्म को आपने चैलेंज किया। सेक्युलरिज्म का प्रतीक अशोक द ग्रेट था, सेक्युलरिज्म का प्रतीक अकबर द ग्रेट रहा, सेक्युलरिज्म गांधी और आजादी की कोख से पैदा हुआ। सेक्युलरिज्म को आप चैलेंज करते हैं कि सूडो सेक्युलरिज्म है। सूडो सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म है या नहीं है, यह कहिए।

उपसभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को आप लोग ध्वनि मत से, पूर्व रूप से, एक मत से पास कीजिए। इसी में आपकी सदाशयता है। आपने अपने भाषण में कहा है, एक बात दिखलाई है कि आप एक हैं, संविधान एक है, सब एक हैं, कोई मतभेद नहीं है, मगर विरोध करके निभाना चाहते हैं आप कि आप अल्पसंख्यकों को किसी तरह का सहयोग, किसी तरह की सहानुभूति, किसी तरह की मदद, किसी तरह का संरक्षण देना नहीं चाहते हैं और उनको शिकार बनाकर आप अपना वोट लेने के लिए, एक जमात का, हिंदू धर्म की भावना को उठा करके, यही आप करना चाहते हैं। मगर यह नहीं होगा। अगर हुआ तो देश टूट जाएगा।

उपसभापति महोदय, दुख इस बात का है कि 1978 में इन्होंने खुद ही आयोग की नियुक्ति की और इतना ही नहीं 1978 में ये एक विधेयक लाए मगर रिक्वायर्ड प्रेजेंट मेम्बर्स के नहीं रहने की वजह से वह फेल कर गया। मैं पूछता हूं उस दिन क्या विचार था? आज क्या विचार है? उस दिन क्यों आपने बताया? आज क्या वजह है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है।

श्री संघ प्रिय गौतम: मंत्री जी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कमीशन एजेंट नहीं है माईनारिटीज के जो उनको कमीशन चाहिए... **(व्यवधान)** उन्हें पूरा हक चाहिए... **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी: सुनिए, जितनी घटनाएं घटी हैं, इधर एक-दो तीन वर्षों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, जो दुखद कांड हुए हैं, जितने कम्यूनल रायट्स हुए हैं, जहां पर कि आपको, हम सबको मिल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, जब हम नहीं करते हैं तब इस तरह का बिल ही नहीं, हो सकता है कि संशोधन भी करना पड़े संविधान का, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए उनकी सुरक्षा हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कमिटमेंट है और हम करेंगे और हर हालत में करके रहेंगे।

इन शब्दों के साथ, जो मित्र संशोधन लाए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने संशोधनों को वापस कर लें और इस बिल को, इस विधेयक को एक मत से पास कर दें। यही मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पूर्ण बहुमत से पारित कर दें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> That the Bill to constitute a National Commission for Minorities and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—Constitution of the National Commission for Minorities.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Under Clause 3, there are some amendments. Amendment No. 2 and 6 are in the name of Shri Satya Prakash Malaviya. He is not here. Amendment No. 3 is in the name of Shri Chimanbhai Mehta. He is also not here. Amendment No. 4 is in the name of Shri Ish Dutt Yadav.

श्री प्रमोद महाजन: इसमें मेरा भी है।

उपसभापति: इसमें आपका नहीं है। आपका नम्बर पांच है, इसमें जो मेरे पास लिखा है। नम्बर टाईटल पर है। इसमें पांच नम्बर है।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 2 पर,–

(i) पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

परन्तु इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की आयु पैंतीस वर्ष से कम नहीं होगी और वह किसी भी राजनैतिक दल अथवा समूह से सम्बद्ध नहीं होगा।

(ii) पंक्ति 14 में, "परन्तु" शब्द के पश्चात् "यह और कि" शब्द अन्तःस्थापित किये जायें।

The question was proposed.

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, मेरा संशोधन बड़ा तर्कसंगत है और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें। तो मेरा यह संशोधन है कि इसमें जो सदस्य हो, चेयरमैन हों आयोग के, इनकी एज की कुछ लिमिटेशन कर दी जाए।

मैंने यह संशोधन दिया है कि 35 साल से कम एज का कोई व्यक्ति न तो चेयरमैन हो और न तो सदस्य हो, क्योंकि इस पूरे बिल में कहीं एज का जिक्र नहीं है।

मैडम, किसी भी पद के लिए कोई चुना जाता है, चाहे नौकरी में हो और चाहे जन-प्रतिनिधि हो, तो उसके लिए एज निर्धारित होती है। (समय की घंटी) इस बिल में एज नहीं है। इसलिए मैंने यह कहा है कि 35 साल से कम आयु का व्यक्ति न तो चेयरमैन हो और न तो सदस्य हो।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य चुना जाए, वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। दोनों तर्कसंगत संशोधन हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी इनको स्वीकार करने की कृपा करें।

उपसभापति: आपने सजेशन दे दिया। अब आप इसको मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

श्री ईश दत्त यादव: मैं मंत्री जी का विचार तो जान लूं।

उपसभापति: मंत्री जी ने सुन लिया है। इतना सुन लिया है।

श्री सीताराम केसरी: आपका सुझाव रचनात्मक है, मगर जहां तक उम्र का सवाल है, इस पर 35 भी हो सकता है और 65 भी होगा। अनुभव होता यह है कि अधिकतर जो चालीस से बड़े होते हैं, उन्हीं का मनोनयन होता है। यह कोई नई बात नहीं है।

उपसभापति: तो अब आपने मूव नहीं किया। सजेशन दिया, मूव किया कि नहीं किया है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अभी भाषण नहीं करना है।

श्री ईश दत्त यादव: मैं भाषण नहीं कर रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing for your amendment?

श्री ईश दत्त यादव: मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंत्री जी के विचार से संतुष्ट नहीं हूं कि वह 15 साल का भी हो सकता है और 65 साल का भी हो सकता है—इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन, मैडम, मैं अपने संशोधन को प्रेस नहीं कर रहा हूं, वापिस ले रहा हूं।

Amendment No. 4 was, by leave withdrawn.

उपसभापति: वापिस ले लिया। बस, आपने मूव ही नहीं किया।

प्रमोद महाजन जी, आपका जो। पहला अमेंडमेंट है, देट इज फार क्लाज 3 है और यह पांचवां है। आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं?

श्री प्रमोद महाजन : एक क्षणमात्र बोल कर मैं मूव कर रहा हूं।

उपसभापति जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मूल कल्पना से ही हमारे मतभेद हैं, फिर भी बहुमत के आधार पर आप इसे पारित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको जितना ठीक करें, वह करने का प्रयास करें। इस हेतु मेरा मैं एक संशोधन यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा यह गया है कि—मेम्बर, अध्यक्ष को मिला करके पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे।

जब आयोग ही अल्पसंख्यक आयोग है, तो उसके सदस्यों में अल्पसंख्यक होना, शायद उसका बहुमत होना या उसका अध्यक्ष अल्पसंख्यक होना, यह नैसर्गिक है, लेकिन मुझे अपनी छोटी समझ में यह लगता है कि इस प्रकार का अगर हम कानून में ही किसी एक कमीशन को बनाते समय—अभी हमने अनुसूचित जाति का भी बनाया, लेकिन उसमें यह नहीं कहा कि इतने सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे। मुझे यह लगता है कि कानून से अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे, ऐसा नियम बनायेंगे तो संविधान की धारा 16 के अंतर्गत संप्रदाय के आधार पर किसी दो नागरिकों में मतभेद करना यह उचित नहीं होगा। कल न्यायालय की कसौटी पर यह कानून खरा नहीं उतरेगा।

इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरा अमेंडमेंट मैं मूव कर रहा हूं कि जहां तक आपने यह कहा है कि योग्यता और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात व्यक्तियों को रखा जाएगा, वह अपने आप में पर्याप्त है। उसके साथ धर्म जोड़ कर, जैसे मैंने पहले ही कहा है यह अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक लोग होंगे ही, पूरे बहुसंख्यक को ला कर तो अल्पसंख्यक आयोग नहीं बनेगा, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्था इसमें करना, यह अनुचित है। यह कानून की और फिर संविधान की और न्यायालय की कसौटी पर खरा नहीं रहेगा।

इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं अपने अमेंडमेंट को मूव कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

5. "पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 14 को हटा दिया जाये।"

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will put to vote the amendment moved by Mr. Pramod Mahajan.

SHRI SIKANDER BAKHT: What is the reaction to the amendment?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He does not want to react to it. Now, I will put it to vote.

Amendment No. 5 was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 3 to vote. The question is:

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 (Term of Office and Conditions of Service of Chairperson and Members)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are three amendments under this clause. Amendment No. 7. Shri Satya Prakash Malaviya. He is not present. Amendment No. 8. Shri Raj Mohan Gandhi.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI: My amendment seeks to give to this Commission the powers that the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has by adding the words "The Chairperson and Members shall have the same status as the Chair

[Shri Raj Mohan Gandhi]

person and Members of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively". I hope that the Minister will be willing to accept my amendment.

श्री सीताराम केसरी : माननीय राज मोहन जी, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्डट्राइब्ज के अन्दर जो प्रावधान है, उसमें थोड़ा इसमें अन्तर है। इसलिए इसकी संभावना नहीं है।

SHRI RAJ MOHAN GANDHI: Madam, I am not moving my amendment.

श्री प्रमोद महाजन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

9. "पृष्ठ 2 पर,–

(i) पंक्ति 22 से 24 को हटा दिया जाये।

(ii) पंक्ति 27 से 28 को हटा दिया जाये।

(iii) पंक्ति 31 से 33 को हटा दिया जाये।"

The question was proposed.

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया, पढ़कर यह लगता है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को नियुक्त करने के जितने नियम हैं उससे ज्यादा नियम तो उसको हटाने की दृष्टि से बनाए गए हैं। मतलब कम से कम 7 नियम ऐसे हैं कि जिन पर इसको कब हटाया जाए इस चिंता में मानो सरकार हो। इस प्रकार के नियम बने हैं और उस दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हटाने की, जिस को रखना जरूरी नहीं है, किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी केन्द्र सरकार की राय में नैतिक अधमता हो। अब नैतिक अधमता का निर्णय न्यायालय लेकर सिद्ध करेगा उसके लिए केन्द्र सरकार की राय लेना मुझे उचित नहीं लगता, कार्य करने से इंकार करता हूं, मैं तो अपने आपमें, जिसने ड्राफ्ट किया, मुझे समझ में नहीं आता वह अध्यक्ष कार्य करने से इंकार करे और फिर भी अध्यक्ष रहे, यह तो कोई अच्छी चीज नहीं है फिर आगे यह कहा है कि अगर वह दुरुपयोग करे, ऐसा केन्द्र सरकार का मत होता है, मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार ने माना बनाने के पहले हटाने की योजना इतनी विस्तृत बना रखी है, मेरी प्रार्थना यह है कि इसमें संशोधन करके, आप अगर इसको हटाने के कोई व्यवस्था, प्रावधान उतने ही रखें, अगर साथ-साथ प्रावधान हटाने के है तो मुआफ करें नीयत पर अगर किसी को शंका आ जाए तो उसका दोष नहीं है।

श्री सीताराम केसरी : केन्द्र सरकार को जब अधिकार है मनोनयन करने का, ऐसे कोई किसी गलती के लिए तो उनको ही फैसला करना होगा। अब केन्द्र सरकार एकाउंटेबल पार्लियामेंट को है। अगर केन्द्र सरकार की तरफ से कोई गलती होगी तो जब चाहे तब आप क्वश्चन कर सकते हैं। इसलिए नैतिक मापदंड का अधिकार तो उनको देना ही होगा।

उपसभापति : श्री प्रमोद महाजन।

श्री प्रमोद महाजन : **मैडम, मैं** मूव कर रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am putting amendment No. 9 moved by Shri Pramod Mahajan to vote.

Amendment No. 9 was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 4 to vote. The uestion is:

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

Clause 8 (*Procedure to be regulated by the Commission*)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, मैं अमेंडमेंट नं 14, 15, 16 मूव करना चाहता हूं।

†[شری محمد افضل عرف م۔ افضل :

میڈم میں امنڈمنٹ نمبر ۱۴-۱۵-۱۶ موو کرنا چاہتا ہوں ۔]

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

14. पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में बैठक, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए चुने गए किसी सदस्य की अध्यक्षता में की जायेगी।"

15. पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1क) यदि आयोग के कम से कम दो सदस्य आयोग की बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो उक्त मांग के प्राप्त होने की तारीख के सात दिनों के अन्दर सचिव आयोग की बैठक बुलाने के लिए आबद्ध होगा।"

16. पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात :–

"(2क) आयोग सर्वसम्मति द्वारा या बहुमत द्वारा सिफारिशें करेगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।"

The question was proposed.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, यह बहुत ही वेग है कि जो इन्होंने इसमें मीटिंग बुलाने के सिलसिले में कहा है कि एक तो अगर चैयरमैन मौजूद न हो तो मैंने इसमें गुजारिश की है कि इसमें अमेंडमेंट कर लिया जाय कि जो भी मेंबर प्रजेंट एंड वोटिंग है, वह अगर किसी को चैयरमेन, उस वक्त ही चुनना चाहे और दूसरे मैंने इसके अंदर यह दिया है कि चैयरमेन ही को सिर्फ यह अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वह मीटिंग बुलाए। इसलिए कि इससे बहुत ही अख्तियार चैयरमेन को मिल जाता है और अगर किसी चैयरमेन को इख्तलाफे-राय कुछ मेंबरान से हो तो वह तो बहुत अरसे तक मीटिंग न बुलाने का फैसला कर सकता है और उससे कार्यवाही रुक सकती है। इसलिए मैंने यह गुजारिश की है कि अगर दो मेंबरान् सेक्रेटरी को लिखकर दें तो मीटिंग बुलाने की इजाजत होनी चाहिए और आखिर में मेरा जो अमेंडमेंट 2(ए) है, उसमें मैंने यह गुजारिश की है कि मेजोरिटी वोट जो है, उससे ही फैसला हो या एनातीमसली हो और चैयर पर्सन जो है, वह सिर्फ टाइ की पोजीशन में वोट करे। मैं गुजारिश करता हूं कि मिनिस्टर साहब, इसके बारे में सोचें और इन अमेंडमेंट्स को कबूल कर लें तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा।

†[شری محمد افضل عرف م۔ افضل (اتر پردیش) : میڈم میں پرستاو کرتا ہوں کہ ۔

۱۴۔ پرشٹھ ۳ پر پنکتی ۱۲ کے پشچات نمن لکھت پرنتک انتہ استھاپت کیا جائے ۔ ارتھات کہ ۔

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

درپرنتو یہ کہ اودھیکش کی انوپستھتی کی دشا میں بیٹھک اپستھت اور متدان کرنے والے سدسیوں دوارا اس پریوجن کیلئے چنے گئے کسی سدسیہ کی ادھیکشتا میں ہوگی۔

15- پرشٹھ 2 پر پنکتی 12 کے پشچات - نمن لکھت انتہ استھاپت کیا جائے ارتھات :-

*(ک) یدی آیوگ کے کم سے کم دو سدسیہ آیوگ کی بیٹھک بلانے کی مانگ کرتے ہیں تو اکت مانگ پراپت ہونے کی تاریخ کے سات دنوں کے اندر سچو آیوگ بیٹھک بلانے کیلئے بادھیہ ہوگا -

16- پرشٹھ 3 پر پنکتی 13 کے پشچات نملکھت انتہ استھاپت کیا جائے - ارتھات :-

*(ک) آیوگ سرو سمیتی دوارا یا بہومت دوارا سفارش کریگا - اور مت برابر ہونے کی دشا میں ادھیکش کا مت نرنایک ہوگا -

†[شری محمد افضل عرف م- افضل: میڈم یہ بہت ہی ویگ ہے کہ جو انہوں نے اسمیں میٹنگ بلانے کے سلسلے میں کیا ہے کہ ایک تو اگر چیئرمین موجود نہ ہو تو میں نے اسمیں گزارش کی ہے - کہ اسمیں املنڈمنٹ کر لیا جائے کہ جو بھی ممبر پریزیڈنٹ ایکٹ ورکنگ ہے - وہ اگر کسی کو چیئرمین اسوقت ہی چننا چاہے - اور دوسرے میں نے اسکے اندر یہ دیا ہے کہ چیئرمین ہی کو صرف اختیار نہیں ہونا چاہئے کہ وہ میٹنگ بلائے - اسلئے کہ اس سے بہت ہی اختیار چیئرمین کو مل جاتا ہے - اگر کسی چیئرمین کو اختلاف رائے کچھ ممبران سے ہو وہ بہت عرصے تک میٹنگ نہ بلانے کا فیصلہ کر سکتا ہے - اور اس سے کارروائی رک سکتی ہے - اسلئے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر دو ممبران سکریٹری کو لکھکر دیں تو میٹنگ بلانے کی اجازت ہونی چاہئے اور آخر میں میرا جو املنڈمنٹ 2 اے ہے - اسمیں میں نے یہ گزارش کی ہے - کہ میجورٹی ووٹ جو ہے - اس سے ہی فیصلہ ہو - یا یونانیمس ہو اور چیئرمین جو ہے وہ صرف ٹائی کی پوزیشن میں ووٹ کرے - میں گزارش کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب اسکے بارے میں سوچیں اور ان املنڈمنٹ کو قبول کر لیں تو میں انکا بہت شکر گزار ہونگا -]

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति महोदया, जहां तक मीटिंग का सवाल है, मीटिंग तो निश्चित रूप से एक होती है और अनेक मीटिंग्स भी बुला सकता है चैयरमेन और दूसरी बात, चैयरमेन पर थोड़ा इत्मीनान रखना होगा, विश्वास करना होगा और उन पर हम अविश्वास करें तो यह ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें।

The amendments Nos. 14, 15 and 16 were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 8 to vote. The question is:

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9— (Functions of the Commission)

उपसभापति : श्री प्रमोद महाजन

श्री प्रमोद महाजन : मैडम, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

21 पृष्ठ 2 पर पंक्ति 42 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ञ) संविधान के निदेशक तत्वों के प्रति विशेष रूप से समान सिविल संहिता के अधिनियमन से संबंधित अनुच्छेद–44 के संबंध में अल्पसंख्यकों में चेतना पैदा करना।"

22. पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 10 और 11 में "उप खण्ड (क), उपखण्ड (ख) और उपखण्ड (घ)" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर "उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएं।"

The questions were proposed.

उपसभापति : आप बोलेंगे ? आपके अमेंडमेंट मंत्री जी ने तो पढ़ ही लिए होंगे ऽ अब अगर सब बोलते रहेंगे तो एल.टी.टी.ई. का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रह जाएगा ऽ

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया, म संशोधन 21 व 22 बड़े आग्रह से मक्षा कर रहा। जिसका कारण थोड़े ही क्षणों में दूंगा। इस अल्प संख्यक आयोग के कृत्यों के बारे में जहां तक उल्लेख है, मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग को ढेर सारी बातों की सुरक्षा का कहा गया उचित होगा, लेकिन संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में जो अनुच्छेद 44 है . . . जिसके अंतर्गत समान नारी संहिता, यूनिफार्म सिविल कोड का उल्लेख है मैं कोई लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहता हम जानते हैं इसके लिए जो उप-समिति बनी थी नौ लोगों की उसमें पांच और चार इस प्रकार का मतभेद हुआ अन्यथा यूनिफार्म सिविल कोड यह हमारा फंडामेंटल राइटस बन जाता, जो पांच के विरोध में चार से हार गए और जिसके कारण यह आया मार्गदर्शक सिद्धांतों में। चार में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं थे। इसलिए अल्पसंख्यक आयोग को जितने काम दिए जा रहे हैं, उसमें एक काम देना आवश्यक है क्योंकि हम भी एक ऐसे देश का सपना देखते हैं जहां कानून किसी भी धर्म के आधार पर न हो बल्कि समान नागरी कानून सबके लिए हो, इसलिए अगर यह सदन ऐसा सपना देखता है, कोई भी दल इसका विरोधी नहीं है तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग को एक रचनात्मक काम भी देना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में कामन सिविल कोड का प्रचार करके उनका मत बनाए, हमारे देश में गोवा एक ऐसा प्रांत है, जहां यूनिफार्म सिविल कोड है और वहां कोई शिकायत नहीं है ऽ मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग को एक यह काम देना चाहिए।

दूसरा, उपसभापति महोदया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा इसमें संशोधन यह है कि अल्पसंख्यक आयोग को आपने सिविल कोर्ट का स्थान दिया है और कोर्ट का स्थान देने के बाद . . . (**व्यवधान**)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मैडम, यह एक . . . (**व्यवधान**) . . .

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی:
میڈم یہ ایک . (مداخلت) . .]

उपसभापति : अब आपका इसमें बीच में कोई ताल्लुक नहीं है आप बैठिए ।

मौलाना ओबैदल्ला खान आजमी : बिल यमें यह यूनिफार्म सिविल कोड देते हैं तो फिर अल्पसंख्यक बिल के जरिए यह तो मुसलमानों का कत्ले-आम करने के लिए मशविरा दे रहे हैं . . . . (व्यवधान) . . .

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی : بل میں یہ یونیفارم سول کوڈ دیتے ہیں تو پھر الپ سنکھیک بل کے ذریعے یہ تو مسلمانوں کا قتل عام کرنے کیلئے مشورہ دے رہے ہیں - . . . .(مداخلت). . . .]

उपसभापति : आप बैठिए । . . . (**व्यवधान**) . . . बैठिए । यह उनका अमेंडमेंट है, वह बोल रहे हैं । आपका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Madam, there are BJP Members who have married more than once. He should first correct that before talking about other communities.

श्री प्रमोद महाजन : मैं इनके स्तर पर कभी आ भी नहीं सकता . . . (व्यवधान) . . . दुनियां उतनी ही समझ में आती है, जितना अपना दिमाग है . . . (व्यवधान)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: During the early eighties... (*Interruption*) ... It is a well known fact.

श्री प्रमोद महाजन : दूसरा, मेरा यह है कि । आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति दी है और इस सिविल न्यायालय की शक्ति में आपने उनके लिए तीन काम करने को कहे हैं उपखंड में "क", "ख" और "ग" "क" में संघ राज्य के विकास का अल्पसंख्यकों का है । "ख" में जो आपने कानून पास किए हैं वह कहे हैं लेकिन, जो "ग" है, उसमें अल्पसंख्यक के, उनके अधिकार, रक्षा से वंचित के बारे में शिकायतों को देखने का अधिकार दिया है । अब आपने एक ऐसा आयोग, मेरी इस पर घोर आपत्ति है, आपने एक ऐसा आयोग बनाया है, जिसमें सात में से कम से कम पांच सदस्य अल्पसंख्यक होंगे और हिंदुस्तान की पूरी बहुसंख्यक प्रजा को उस आयोग के सामने जब बुलाएं, कल कोई दंगा हो जाता है, अल्पसंख्यक आयोग वहां चला जाता है तो जिस अल्पसंख्यक आयोग में सात में से पांच अगर अल्पसंख्यक लोग होंगे तो वह क्या निर्णय ले सकते हैं, इसकी कोई भी कल्पना कर सकता है । और, हिंदुस्तान का जो बहुसंख्यक हिन्दू है, उसको तो आपने अल्पसंख्यक आयोग के सामने ऐसा कर दिया है । अब सिविल कोर्ट में मन चाहे वह अल्पसंख्यक करे जिसको चाहे बुलाए, इस प्रकार का अधिकार आपने देकर बहु-संख्यक को गुलाम बनाने का प्रावधान इसमें किया है । मुझे लगता है कि इसमें से इसको निकाल देना चाहिए । यह रखना बहुत ही गलत है . . . (**व्यवधान**) . .

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Madam, I have a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I am putting his amendments to vote...

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I am putting his amendments to vote.

Amendments No. 20 and 23 were negatievd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I am putting clause 9 to vote. The question is:

† [Translation in Arabic Script.

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 13 were added to the Bill.

Clauses 14 to 16 were added to the Bill

Clause 1—Short title, extent and commencement.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 1. There is one amendment, Amendment No. 1, by Mr. Pramod Mahajan.

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot have a point of order while I am putting it to vote.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम् मुझे आपसे प्रोटेक्शन भी चाहिए और आप इसमें जरा इन-लाइटेंट हैं। मैडम, जो लोग इस बिल को इन टोटो अपोज कर रहे हैं, अगर वह अमेंडमेंट मूव करते हैं और अगर सरकार अमेंडमेंट मूव करती है तो क्या वह पार्टी इस बिल को कबूल करेगी ?

श्री प्रमोद महाजन : हां, सब के सब अमेंडमेंट मेरे मान लिए जाएं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : वह पूरी पार्टी आपकी करेगी ? मैडम् यह क्या तमाशा है कि लोअर हाउस के अंदर इस बिल को अपोज किया है और इस पर वाक आउट किया है, आज उसी पार्टी का कोई मैम्बर इस पर अमेंडमेंट कैसे दे रहा है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now there is no point of order. There is no ruling. Mr. Mahajan, do you want to move it or not? If you don't want to move it, let me put it to vote.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Madam, I move.

(1) That at page 1, line 78, the words "except the State of Jammu and Kashmir" be *deleted.*

The question was proposed.

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया; . . . (**व्यवधान**) . . . कारण बताना मेरा अधिकार है, बिना सुने मूव कैसे करूं।

उपसभापति महोदया, अल्पसंख्यकों की बातें आज दिन भर होती रहीं। अगर कश्मीर को लिया जाए और धर्म के आधार पर देखें तो कश्मीर में वहां के साढ़े तीन लाख हिन्दू उस वैली से निकाले गए हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : कश्मीर पर यह लागू नहीं होगा।

श्री प्रमोद महाजन : इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वह कश्मीर पर लागू नहीं होगा। क्योंकि वह करने की हिम्मत आपमें नहीं है। जो भी आपको दबाना है, सिवाय कश्मीर के और जो हैं उसको दबाने की कोशिश आप करें, लेकिन कश्मीर में आप साढ़े तीन लाख हिन्दू, अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार का आक्रमण हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। It is as good as genocide. यह मानव वंश को मारने का प्रयास है। इसलिए अगर इनको यह लागू ही करना है तो इसको कश्मीर पर भी लागू किया जाए।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, कश्मीर में जहां हिन्दुओं के साथ ज्यादती हुई है, वहीं दूसरे लोगों के साथ भी तो ज्यादती हुई है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now you have moved your amendment.

I will put Amendment No. 1 to vote.

Amendment No. 1 was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सीताराम केसरी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

विधेयक को पारित किया जाए।

The question was proposed.

उपसभापति: आप फिर थर्ड रीडिंग में बोल रहे हैं? आप इतना बोल चुके हैं। वह प्रमोद महाजन जी की चिट्ठी आई है, नाम आपका लिखा है, इसलिए मैंने आपकी तरफ देखा। आपको बोलना है थर्ड रीडिंग में?

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, असल में हर चीज स्टीम रोल की जा रही है, किसी भी दलील का जवाब किसी मिनिस्टर साहब की तरफ से मिलता नहीं है। हम इस स्टीम रोलिंग के खिलाफ एतराज करते हैं और एतराज करते हुए हाउस से वाक आउट करते हैं।

(तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सदन से त्याग कर गए)

डा० अबरार अहमद: उपसभापति महोदया, अमेंडमेंट भी देंगे, भाषण भी देंगे और वाक आउट भी करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill be passed.

The motion was adopted.

THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 1992.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): Madam, I move—

"That the Bill further to amend the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Joint Committee on Offices of Profit (Tenth Lok Sabha) in their Second Report had examined the composition, character, functions, etc. of four Commissions including the Planning Commission constituted by the Government of India and the emoluments and allowances payable to their chairpersons, vice-chairpersons, members, etc. with a view to consider whether the holders of offices under those Commissions would incur dis-qualification under Article 102 of the Constitution.

The Committee noted that the term of office of the Deputy Chairman, Planning Commission is for a period of five years from the date of assumption of his office. Further, he is also entitled to a salary of Rs. 2250 per month plus DA as admissible to the Secretary to the Government of India and other perquisites as admissible to a Minister. They have also noted that the Deputy Chairman of the Planning Commision has been given the status of a Cabinet Minister. It was also noted that the Election Commission of India in reference Case No. 1 of 1990 beween Shri A. K. Subhaiah and Shri Rama Krishna Hegde had held that the office of Deputy Chairman of the Planning Commission is capable of profit being derived as a definite salary is attached to that office and the fact that the incumbent did not draw any salary, did not materially alter the status of that office for being an office of profit. The Committee has also op-